



उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

यूपीडा के निदेशक मण्डल की
94वीं बोर्ड बैठक दि.-20.08.2026 का
कार्यवृत्त

(संख्या-5965 / यूपीडा / 08 / 01 / वाल्यूम-12(बोर्ड बैठक) दि.-01.09.2026)



उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ए-ब्लाक, पंचम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010

☎ 0522-2307542 / 2307592, 4004523

Email : upeida2 @gmail. Website : https://www.upeida.in com

पत्रांक-5965 / यूपीडा / 08 / 01 / वाल्यूम-12(बोर्ड बैठक)

दिनांक-01.09.2026

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 94वीं बैठक दि० 20.08.2026 का कार्यवृत्त

बैठक में निदेशक मण्डल के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|-------------------|
| 1. श्री दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त | —अध्यक्ष |
| एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा | एवं सदस्य सचिव |
| 2. सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग | —सदस्य |
| द्वारा प्रतिनिधि श्री निर्मल शुक्ल, संयुक्त सचिव | |
| 3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन | —सदस्य |
| द्वारा प्रतिनिधि श्री अनुराग गुप्ता, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन | |
| 4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ०प्र० शासन | —सदस्य |
| द्वारा प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन | |
| 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण | —सदस्य |
| द्वारा प्रतिनिधि श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा | |
| 6. श्री श्रीहरि प्रताप शाही, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा | —सहायक सदस्य सचिव |

अन्य प्रतिभागी अधिकारीगण:-

1. श्री शशांक चौधरी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (II), यूपीडा।
2. श्री पवन वर्मा, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री संजय कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
4. श्री संजय यादव, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-I, यूपीडा।
5. श्री सर्वेश यादव, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-II, यूपीडा।
6. श्री शक्ति प्रताप सिंह, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-III, यूपीडा।
7. श्री आशीष मिश्रा, वित्त एवं लेखाधिकारी, यूपीडा।
8. श्री आर०आर० सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
9. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
10. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डि०कॉ०), यूपीडा।
11. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
12. श्री गिरीश नाथ सिंह, अधीक्षण अभियन्ता।
13. श्री बी०एस० दुबे, सलाहकार (प्रोक्थ.सेल.), यूपीडा।
14. श्री अरुण कुमार कपूर, सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ), यूपीडा।
15. श्री राजेश प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी(अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी), यूपीडा।
16. श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी (विधि), यूपीडा।
17. श्री विश्वजीत राय, मुख्य महाप्रबन्धक (बैंकिंग), यूपीडा।
18. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू-अर्जन), यूपीडा।
19. श्री नगेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
20. श्री सियाराम मौर्य, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
21. कर्नल आर०बी० सिंह, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
22. श्री राजेश मोहन गुप्ता, महाप्रबन्धक, यूपीडा।
23. श्री नीरज वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।

24. श्री मनीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
 25. श्री महावीर सिंह, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
 26. श्रीमती मोनिका कुमार, सहायक महाप्रबन्धक, यूपीडा।
 27. श्रीमती निमिषा शर्मा, उप महाप्रबन्धक, यूपीडा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(I), यूपीडा द्वारा मा0 निदेशक मण्डल के स्वागत व एजेण्डा प्रस्तुति हेतु अनुमति के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए, बैठक के एजेण्डा पर निम्नवत् बिन्दुवार विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया—

एजेण्डा बिन्दु सं.-01—

यूपीडा निदेशक मण्डल की 93वीं बोर्ड बैठक दि0-19.02.2026 के कार्यवृत्त (संख्या-6795/यूपीडा/08/01/वालयूम-12(बोर्ड बैठक)) दि0 21.02.2026 की पुष्टि हेतु निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा 93वीं बोर्ड बैठक दि0-19.02.2026 के कार्यवृत्त (संख्या-6795/यूपीडा/08/01/वालयूम-12 (बोर्ड बैठक)) दि0 21.02.2026 से अवगत होते हुए, कार्यवृत्त दि0-21.02.2026 की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं.-02—

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 93वीं बोर्ड बैठक दि0-19.02.2026 के निर्णयों की अनुपालन आख्या से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया

निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 19.02.2026 को सम्पन्न हुई, यूपीडा की 93वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। बोर्ड बैठक दि0 19.02.2026 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं.-03(A)—

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद बुलन्दशहर में आपसी सहमति से क्रय हेतु जनपद स्तरीय समिति के, मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव दि0-08.04.2026 के अनुमोदनार्थ

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिंकन्द्राबाद, शिकारपुर, खुर्जा, स्थाना, सदर(ग्रामीण), सदर(नगरीय) से सम्बन्धित ग्रामों की चिन्हित भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दि0-19.03.2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य, जो कि सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित है, को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्र0सं0	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रु0 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रु0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रु0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण /परिषद का गवर्निंग बोर्ड /प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गवर्निंग बोर्ड है। पूर्व की परियोजनाओं की भाँति जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।



तदनुसार जनपद से प्राप्त भूमि क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव व परिसम्पत्तियों का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है-

क्र 0	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम	निहित क्षेत्रफल (हे० मे०)	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	बुलन्द-शहर	1287/आठ-67/2026 दिनांक 01.04.2026	सिकन्दरा बाद, शिकारपुर, खुर्जा, स्याना, सदर (ग्रामीण), सदर (नगरीय)	चचोई, रुपयास पंचगाई, खबरा, विचौला, धराऊ, दीनौल, बरतौली, खलसिया घूहरपुर, धरारी, बैलौट, याकूपपुर घुघरावली, मुकीमपुर, धतूरी, सेमा जगतपुर, मडीना जाफराबाद, चत्तौना अल्लीपुर, दी०बी० नगर, अलायास बतरी, डारीली, बैनीपुर, बांहरपुर, मामन खुर्द, मामनकलां, ऐमनपुर, घिरघिटा, भईपुरा, कलौली, दोहली, अडीली, सराय छबीला, ईस्माइला, सैदपुरा, चरौरा मुस्तफाबाद, हंगथला उर्फ भावसी मुडीबकापुर, पिपाला इखलासपुर, नौहम्मद पनाहपुर सेगली, औरंगाबाद (कुल 39 ग्राम)	539.1567	12509955148.00 (बारह सौ पचास करोड़ निम्नानये लाख पचपन हजार एक सौ अठतालिस रु० मात्र) (परिसम्पत्तियों के मूल्य सहित)	184/यूपीडा-37 65/2026/भू-अर्जन दिनांक 08 अप्रैल 2026

तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद बुलन्दशहर के उक्त भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य के प्रस्ताव (विवरण तालिका में अंकित हैं) को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित किया गया है, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-03(B)-

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद बुलन्दशहर में आपसी सहमति से क्रय हेतु जनपद स्तरीय समिति के, मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव दि०-12.06.2026 के अनुमोदनार्थ

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर, खुर्जा, स्याना, सदर(ग्रामीण), सदर (नगरीय) से सम्बन्धित ग्रामों की चिन्हित भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या -2/2015/215/एक-13-2015- 20(48)/2011 दि०-19.03.2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य, जो कि सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित है, को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्र०सं०	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रु० 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण /परिषद का गर्वनिंग बोर्ड /प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गर्वनिंग बोर्ड है। पूर्व की परियोजनाओं की भाँति जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

9

तदनुसार जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव व परिसम्पत्तियों का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है-

क्र	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त /जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम	निहित क्षेत्रफल (हे० में)	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	बुलन्द-शहर	1745/आठ-67/2026 दिनांक 08.06.2026	शिकारपुर, खुर्जा, स्याना, सदर (ग्रामीण)	मुक़ीमपुर, धरारी, विचौला, धरांक, सेंगाजगतपुर, अलावास वातरी, डारौली, चरौरा मुस्तफाबाद, कलौली, दोहली, मुडी वकापुर, मामनकलौ (कुल 12 ग्राम)	101.5945	2832475720.00 (दो सौ तिरासी करोड़ चौबिस लाख पचहत्तर हजार सात सौ बीस) पूर्व अनुमोदित धनराशि के अन्तर की धनराशि ₹0 579752760.00 (सत्तावन करोड़ सत्तानवे लाख बावन हजार सात सौ साठ मात्र)	1879/यूपीडा-3765/2026 /भू-अर्जन दिनांक 12 जून, 2026

तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद बुलन्दशहर के उक्त भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य के प्रस्ताव (विवरण तालिका में अंकित हैं) को, मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित किया गया है, जो कि मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-03(C)-

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद बुलन्दशहर में आपसी सहमति से क्रय हेतु जनपद स्तरीय समिति के, मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव दि०-30.06.2026 के अनुमोदनार्थ

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिंकेन्द्राबाद, शिकारपुर, खुर्जा, स्याना, सदर से सम्बन्धित ग्रामों की चिन्हित भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या -2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दि०-19.03.2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य, जो कि सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित है, को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्र०सं०	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	₹0 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	₹0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	₹0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण /परिषद का गर्वनिंग बोर्ड /प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गर्वनिंग बोर्ड है। पूर्व की परियोजनाओं की भाँति जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार जनपद से प्राप्त भूमि क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव व परिसम्पत्तियों का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा समय-समय पर, निम्न विवरणानुसार के अनुसार किया गया, जो कि मा0 बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है-





क्र.	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम	निहित क्षेत्रफल (है० म)	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	बुलन्दशहर	824/आर-87/2026 दिनांक 28.06.2026	सिकन्दराबाद, शिकारपुर, खुर्जा, स्यागा, सदर	रूपवास पंचगाई, खबरा, दीनील, बरतौली, खलसिया चूहरपुर, बैलौट, याकुरपुर, युधरावली बनवारीपुर, मडौना जाफराबाद, चत्तौना अलीपुर, बी०बी० नगर, देवीपुर, बांडपुर, माधन खुर्द, ऐमनपुर, चिरचिटा, गईपुरा, अडौली, सराय छवीला, ईस्माइला, सैदपुरा, हंफथला चर्च गावसी, विपला इखलासपुर, मोहम्मद पनाहपुर सेंगली, औरंगाबाद(माहर), औरंगाबाद(अन्वर) (कुल 25 ग्राम)	445.9728	12543551575.00 (बारह सौ चौबिन करोड़ पैंतीस लाख इक्कावन हजार छः सौ पञ्चहत्तर रू० मात्र) (परिसम्पत्तियों के मूल्य सहित) पूर्व अनुमोदित धनराशि के अन्तर की धनराशि व परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि तथा छूटे हुए गादों की दर एवं मूल्य को समाहित करते हुए कुल रू० 2954677501.00 (दो सौ पञ्चानवे करोड़ छियास लाख सतहत्तर हजार पांच सौ एक रू० मात्र)	3262/यूपीडा-378 5/2026/भू-अर्ज न दिनांक 30 जून, 2026

तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद बुलन्दशहर के उक्त भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य के प्रस्ताव (विवरण तालिका में अंकित हैं) को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित किया गया है, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-04(A)-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद-रायबरेली में चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत संशोधित क्रय प्रस्ताव की भूमियों को जनपद स्तरीय (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित जनपद-रायबरेली में चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत संशोधित क्रय प्रस्ताव की भूमियों को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2/2015/215/ एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत जनपद स्तरीय भूमि क्रय की दर व कुल भूमि मूल्य निस्तारण समिति द्वारा संस्तुत एवं मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर व कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्रमांक	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रू० 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रू० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रू० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में)	सम्बन्धित विभाग प्राधिकरण/परिषद का गर्वनिंग बोर्ड/प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गर्वनिंग बोर्ड है। बोर्ड की बैठक दिनांक 12.03.2021 में प्रस्तुत अतिरिक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बोर्ड द्वारा जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया गया है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया -

क्रमांक	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों का नाम	निहित क्षेत्रफल	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	रायबरेली	1259/गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना/2026 दिनांक 04.02.2026	डलमऊ	ऐहार	0.1194	1953738/- (रू० उन्नीस लाख तिरपन हजार सात सौ अड़तीस मात्र)	6554/यूपीडा-20/1914/मूल्य /07 दिनांक 17 फरवरी, 2026



9

तत्काल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद रायबरेली के उक्त भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य के प्रस्ताव (विवरण तालिका में अंकित हैं) को, मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित किया गया है, जो कि मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-04(B)-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद-प्रयागराज में चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत संशोधित क्रय प्रस्ताव की भूमियों को जनपद स्तरीय (मध्यम एवं बृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित जनपद-प्रयागराज में चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत संशोधित क्रय प्रस्ताव की भूमियों को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2/2015/215/ एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत जनपद स्तरीय भूमि क्रय की दर व कुल भूमि मूल्य निस्तारण समिति द्वारा संस्तुत एवं मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर व कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्रमांक	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रु0 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रु0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रु0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/परिषद का गर्वनिंग बोर्ड/प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गर्वनिंग बोर्ड है। बोर्ड की बैठक दिनांक 12.03.2021 में प्रस्तुत अतिरिक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बोर्ड द्वारा जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया गया है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया -

क्रमांक	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों का नाम	निहित क्षेत्रफल	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	प्रयागराज	338/आठ-अ0श्री0-वि0मू0अ0अ(सं0सं0) प्रयागराज दिनांक 03.02.2026	सौरांव	पूरबनारा	0.3725	4815360/- (रु0 अड़तालिस लाख पन्द्रह हजार तीन सौ साठ मात्र)	8603/यूपीडा-20/1909/भूलेख-III दिनांक 13 फरवरी, 2026

तत्काल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद प्रयागराज के उक्त भूमि क्रय की दर/क्रय मूल्य के प्रस्ताव (विवरण तालिका में अंकित हैं) को, मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित किया गया है, जो कि मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।




एजेण्डा बिन्दु सं.-05(A)-

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर की जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन दिनांक 31.12.2025 के अनुमोदन के सम्बन्ध में

औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं० 1/891218/2025/77-3-2025 दिनांक 25.02.2025 के क्रम में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद शाहजहांपुर में 32.8369 हेक्टेयर निजी भूमि तथा उस पर अवस्थित परिसम्पत्तियां की मूल्यांकित धनराशि ₹० 338070197/- (₹० तेतीस करोड़ अस्सी लाख सत्तर हजार एक सौ सत्तानवे मात्र) का शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दिनांक 31.12.2025 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की पुष्टि निदेशक मण्डल द्वारा की गयी तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-05(B)-

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जनपद इटावा की जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन दिनांक 26.05.2026 के अनुमोदन के सम्बन्ध में

औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं० 1/891218/2025/77-3-2025 दिनांक 25.02.2025 के क्रम में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद इटावा में 25.7964 हेक्टेयर निजी भूमि तथा उस पर अवस्थित परिसम्पत्तियां का मूल्य सहित मूल्यांकित धनराशि ₹० 113012897/- (₹० ग्यारह करोड़ तीस लाख बारह हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र) का शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दिनांक 26.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की पुष्टि निदेशक मण्डल द्वारा की गयी तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-05(C)-

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जनपद कन्नौज की जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन दिनांक 24.04.2026 के अनुमोदन के सम्बन्ध में

औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं० 1/891218/2025/77-3-2025 दिनांक 25.02.2025 के क्रम में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद कन्नौज में 22.7806 हेक्टेयर निजी भूमि की मूल्यांकित धनराशि ₹० 181881680/- (₹० अठ्ठारह करोड़ अठ्ठारह लाख इक्कासी हजार छः सौ अस्सी मात्र) का शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दिनांक 24.04.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की पुष्टि निदेशक मण्डल द्वारा की गयी तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-05(D)-

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जनपद मैनपुरी की जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन दिनांक 13.05.2026 व 09.06.2026, के अनुमोदन के सम्बन्ध में

औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1/891218/2025/77-3-2025 दिनांक 25.02.2025 के क्रम में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव के 08 ग्राम तथा तहसील किशनी के 09 ग्राम की निजी भूमि तथा परिसम्पत्तियों की अतिरिक्त मूल्यांकित धनराशि रु0 720846794/- (रु0 बहत्तर करोड़ आठ लाख छियालिस हजार सात सौ चौरानवे मात्र) का शासनादेश सं0-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दि0-13.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी के ग्राम तरिहा में गाटा सं0 131 में लगे 86 बृक्षों वाले बाग में परिसम्पत्ति (बृक्षों) की मूल्यांकित धनराशि रु0 2,31,297/- (रु0 दो लाख इक्तीस हजार दो सौ सत्तानवे मात्र) का शासनादेश सं0-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दि0-09.06.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की पुष्टि निदेशक मण्डल द्वारा की गयी तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-06-

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जनपद फर्रुखाबाद की जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन दिनांक 30.01.2026, 14.05.2026, 12.06.2026, 29.06.2026, 13.07.2026 के अनुमोदन के सम्बन्ध में

औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1/891218/2025/77-3-2025 दिनांक 25.02.2025 के क्रम में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद फर्रुखाबाद की तहसील अमृतपुर के 12 ग्राम तथा तहसील सदर के 30 ग्राम का रकबा 498.9690 हेक्टेयर निजी भूमि तथा उस पर अवस्थित परिसम्पत्तियां का मूल्य सहित मूल्यांकित धनराशि रु0 6752180391/- (रु0 छः अरब पच्चहत्तर करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार तीन सौ इक्थानवे मात्र) का शासनादेश सं0-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दि0-30.01.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद फर्रुखाबाद की तहसील अमृतपुर के 12 ग्राम तथा तहसील सदर के 31 ग्राम का रकबा 498.9690 हेक्टेयर निजी भूमि तथा उस पर अवस्थित परिसम्पत्तियां का मूल्य सहित अतिरिक्त मूल्यांकित धनराशि रु0 3742492988/- (रु0 तीन अरब चौहत्तर करोड़ चौबीस लाख बानवे हजार नौ सौ अठासी मात्र) का शासनादेश सं0-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन की



प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दि०-14.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर के ग्राम भटकुरी का रकबा 4.9314 हेक्टेयर निजी भूमि तथा उस पर अवस्थित परिसम्पत्तियां का मूल्य सहित 58220378 (पांच करोड़ ब्यासी लाख बीस हजार तीन सौ अठात्तर मात्र) का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दिनांक 14.05.20226 के स्थान पर 50060809 (पांच करोड़ साठ हजार आठ सौ मात्र) का शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित दर/मूल्य की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दिनांक 12.06.2026 को प्रदान की गयी है को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित किया गया, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

फर्रुखाबाद जनपद की जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.05.2026 के कार्यवृत्त में तहसील अमृतपुर के ग्राम गांधी, बिलालपुर, लुर्कहटा, जगतपुर नयागांव व उजरामऊ की परिसम्पत्तियों सहित दरो व दरमूल्य को प्रस्तावित तथा अयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा दिनांक 12.05.2026 के संस्तुत तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा दिनांक 14.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.05.2026 के कार्यवृत्त में रह गई त्रुटियों को दूर करते हुए दिनांक 20.06.2026 के कार्यवृत्त में प्रस्तावित तथा अयुक्त द्वारा संस्तुत कृषि भूमि की दरों व उनके अनुरूप परियोजन हेतु प्रस्तावित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्य सहित अतिरिक्त भूमि मूल्य कुल धनराशि 74613408 (सात करोड़ छियालिस लाख तेरह हजार चार सौ आठ मात्र) का शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित दर/मूल्य की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दिनांक 29.06.2026 को प्रदान की गयी है को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित किया गया, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर के 07 राजस्व ग्राम बाबरपुर, आवाजपुर, आद्विउली, कटरीधर्मपुर, बराकेशव, बरौन एवं खिमसेपुर में पूर्व मूल्यांकन के सापेक्ष संशोधित मूल्यांकन में रु० 23,86,31,028/ की आगणित कमी के साथ-साथ 07 राजस्व ग्राम फगुना अतनपुर, बीसरपुर तराई, सिरोली, नीबकरोरी, रसीदपुर, नगला बाग रठौरा एवं मदनपुर में कुल धनराशि रु० 10,93,71,060/ (दस करोड़ तिरानवे लाख इकहत्तर हजार साठ मात्र) की अतिरिक्त बढ़ी हुई धनराशि का शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर/कुल भूमि मूल्य को, मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दि०-13.07.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि मा० बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदनों की पुष्टि निदेशक मण्डल द्वारा की गयी तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

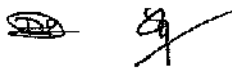
एजेण्डा बिन्दु सं.-07

आगरा-लखनऊ एक्स. से पूर्वान्वल एक्स. जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु लखनऊ की जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदन दि०-20.02.2026, 05.05.2026, 08.06.2026 व 01.07.2026 के अनुमोदन के सम्बन्ध में

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे जनपद लखनऊ की तहसील-सदर के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित ग्राम भलिया व जलियामऊ से प्रारम्भ होकर तहसील-सरोजनीनगर होते हुये तहसील-मोहनलालगंज के ग्राम-पहासा व देहरामऊ पर पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे हेतु जनपद-लखनऊ की जिला स्तरीय समिति द्वारा

के अन्तर्गत क्रय प्रस्ताव की भूमियों को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डलायुक्त से अनुमोदित, जनपद स्तरीय समिति की बैठकों के प्रेषित प्रस्तावित दर/क्रय मूल्य को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार क्रमशः दि०-20.02.2026, 05.05.2026, 08.06.2026 व दि०-01.07.2026 को अनुमोदित किया जा चुका है।



उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्रमांक	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रु० 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/परिषद का गर्वनिंग बोर्ड/प्रबन्ध मण्डल

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गर्वनिंग बोर्ड है। जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है -

क्र.	जनपद का नाम	जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों का नाम	निहित क्षेत्रफल	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	लखनऊ	अपर जिलाधिकारी(भू०अ०), नगर महापालिका-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं०-2081/अ०जि०अ०(भू० अ०), न०म०पा०/लखनऊ दि०-05.02.2026	सरोजनीनगर	नकदौरा, सकरा, मदारपुर, सराय गुहेब, कुईट गांव, भवोई, मवाई पडियाना, अमाबा, मखदूरपुर कैथी एवं खटोला (परियोजना के संरक्षण में आने वाली भूमि पर अवस्थित निर्माण/वृक्ष/वोरिंग के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्ति का प्रतिकूल सम्बन्धित विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर अलग से देय होगा)	176.7599	3201389285	6783/3315/यूपीडा/2024-भू-अर्जन, दिनांक 20 फरवरी, 2026
	लखनऊ	अपर जिलाधिकारी(भू०अ०), नगर महापालिका-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं०-2081/अ०जि०अ०(भू० अ०), न०म०पा०/लखनऊ दि०-05.02.2026	मोहनलाल गंज	खुजौदा, मट्टी वरकतनगर, देईटीकर, सिजोली कला, रायपुर, सबरापुर, पहासा, रतियामऊ एवं देहरामऊ (परियोजना के संरक्षण में आने वाली भूमि पर अवस्थित निर्माण/वृक्ष/वोरिंग के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्ति का प्रतिकूल सम्बन्धित विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर अलग से देय होगा)	101.1578	1082711942	6783/3315/यूपीडा/2024-भू-अर्जन, दिनांक 20 फरवरी, 2026
2	लखनऊ	अपर जिलाधिकारी(भू०अ०), नगर महापालिका-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं०-2081/अ०जि०अ०(भू० अ०), न०म०पा०/लखनऊ दि०-05.02.2026	सदर	भलिया, जलियामऊ, हुलास खेड़ा एवं डाडा सिकन्दरपुर (परियोजना के संरक्षण में आने वाली भूमि पर अवस्थित निर्माण/वृक्ष/वोरिंग के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्ति का प्रतिकूल सम्बन्धित विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर अलग से देय होगा)	54.2151	720292915	858/3315/यूपीडा/2024-भू-अर्जन दिनांक 05 मई, 2026
3	लखनऊ	अपर जिलाधिकारी(भू०अ०), नगर महापालिका-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं०-397/अ०जि०अ०(भू० अ०), न०म०पा०/लखनऊ दि०-06 जून, 2026	सरोजनीनगर	सकरा, मदारपुर, वरकताबाद, भवोई, मवाई पडियाना, अमाबा, लोनबा, भटगांव, पिपरसाख, गडी चुनौटी, राम चौरा, अम्बरपुर देव, ओसाबां, बन्यरा सिकन्दरपुर, कुरौनी, नीगा, मखदूरपुर कैथी, खटौला व रतौली (कुल 19 ग्राम)	211.1561	6,19,41,51,487.00 (रु० छह अरब उन्नीस करोड़ इकतालीस लाख इक्यावन हजार चार सौ सत्तासी रुपये मात्र)	1724/3315/यूपीडा/2024-भू-अर्जन-II दिनांक 08 जून, 2026

4	लखनऊ	अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),नगर महापालिका-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं0-397/अ0जि0अ0(भू0 अ0),न0म0पा0/लखनऊ दि0-06 जून, 2026	मोहनलाल गंज	मसूदा, येन्वेना (नगरीय), गदियाना, डाडा दिकानरपुर, हुसास सैठा, खुशेहरा, सररापुर, पहासा एवं देरामऊ (कुल 09 ग्राम)	110.3117	3,284,798,774.00 (रु0 तीन अरब अठ्ठास करोड़ सैकड़ों लाख एक अच्छाने हजार सात सौ बीसहत्तर रुपये मात्र)	1724/3315/यूपीडा/2024-भू-अ जर्न-1। दिनांक 08 जून, 2026
5	लखनऊ	अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),नगर महापालिका-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं0-505/अ0जि0अ0(भू0 अ0),न0म0पा0/लखनऊ दि0-30.06.2026	सरोजनी नगर	परवर बुख, परवर गश्ियन, जैतीखेडा, सराय मुरीब एवं खुडाई गांव (कुल 05 ग्राम)	57.7981	1,89,35,90,179/- (रु0 एक अरब नवासी करोड़ पैंतीस लाख नब्बे हजार एक सौ उन्चासी रुपये मात्र)	3283/3315/यूपीडा/2024-भू-अ जर्न-1। दिनांक 01 जुलाई, 2026
6	लखनऊ	अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),नगर महापालिका-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं0-505/अ0जि0अ0(भू0 अ0),न0म0पा0/लखनऊ दि0-30.06.2026	सरोजनी नगर	ग्राम-भदौली बरखनगर, देईलीकर, सिजेसी कला, रापपुर एवं रविबामऊ (कुल 05 ग्राम)	60.1593	1,82,54,75,396/- (रु0 एक अरब अष्टासी करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार तीस सौ पियानवे रुपये मात्र)	3283/3315/यूपीडा/2024-भू-अ जर्न-1। दिनांक 01 जुलाई, 2026

आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे से सम्बन्धित जनपद-लखनऊ की जनपद स्तरीय भूमि क्रय की दर निर्धारण समितियों द्वारा प्रेषित भूमि दर/मूल्य प्रस्ताव व कुल परिसम्पत्तियां उपरोक्तानुसार जिनका अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा जनपद-लखनऊ में क्रमशः दि0-20.02.2026, 05.05.2026, 08.06.2029 व दि0-01.07.2026 को अनुमोदित किया जा चुका है, के अवलोकन/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्रस्तुत है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा जनपद-लखनऊ की पत्रावली पर स्वीकृत उपरोक्त प्रस्ताव यथावत यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की पुष्टि बोर्ड द्वारा की गयी तथा निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

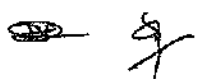
एजेण्डा बिन्दु सं.-08

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु विभिन्न जनपदों में परियोजना के लिए भूमि क्रय/अर्जन हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित व मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रतिनिधानित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव-

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है-
परियोजना का नाम सम्बन्धित जनपद

- (1)आगरा-लखनऊ एक्स. से पूर्वांचल एक्स. जोड़ने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे-लखनऊ.
- (2)जेवर लिंक एक्सप्रेसवे-यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का क्षेत्र व बुलन्दशहर.
- (3)झांसी लिंक एक्सप्रेसवे-झांसी व जालौन.
- (4)विन्ध्य एक्सप्रेसवे-प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर व सोनभद्र.
- (5) विन्ध्य-पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे-मिर्जापुर, चन्दौली व गाजीपुर.
- (6) मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे-अमरोहा, बिजनौर, हरिद्वार.
- (7)फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे-इटावा,कन्नौज,मैनपुरी,फर्रुखाबाद,शाहजहांपुरव हरदोई.
- (8) इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत यूपीडा द्वारा विकसित किये जा रहे इण्डस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग एण्डल लॉजिस्टिक क्लस्टर (आई.एम.एल.सी.) से सम्बन्धित/आच्छादित समस्त जनपद

उपरोक्त परियोजनाओं सम्बन्धित जनपदों में भूमि क्रय/भू-अर्जन की कार्यवाही परियोजना के पक्ष में तीव्रगति से किये जाने के उद्देश्य से उपरोक्त जनपदों की जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित व सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा को प्रतिनिधानित किया जाना इस शर्त के साथ प्रस्तावित है कि उपरोक्तानुसार



अनुमोदित भूमि क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य प्रस्तावों को, यूपीडा के निदेशक मण्डल की आगामी बोर्ड बैठक में अवलोकित/अनुमोदित करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल से अनुमोदित किया जाना निवेदित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की पुष्टि बोर्ड द्वारा की गयी तथा निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-09

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-01, 02, 03, 04, 07 एवं 08 में निर्मित टॉयलेट ब्लॉक को बढ़ाने/संशोधन के कार्य को चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत कराये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन

प्रकरण की पृष्ठभूमि :-

- यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चेनेज 25+400 (RHS), 60+600 (LHS), 109+900 (RHS), 138+850 (LHS), 197+600 (RHS), 228+650 (LHS), 268+600 (RHS), 315+900 (LHS) पर फूड कियोस्क कम टॉयलेट ब्लॉक संचालित हैं।
- विगत कुछ वर्षों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों, विशेषकर बसों के ट्रैफिक में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने के कारण इन टॉयलेट ब्लॉक्स की वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है।
- अत्यधिक व्यस्तता वाले अवधि के दौरान सर्विस, सफाई और प्रतीक्षा अवधि कम करने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उक्त सभी चेनेजों पर स्थापित टॉयलेट ब्लॉक में महिलाओं और पुरुषों के लिए यूरिनल, टॉयलेट सीट की वर्तमान संख्या को जगह की उपलब्धता के अनुसार निर्मित टॉयलेट ब्लॉक में तत्काल बदलाव/बढ़ाने की आवश्यकता है।
- उपरोक्त के दृष्टिगत, अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-01, 02, 03, 04, 07 एवं 08 में उक्त सभी चेनेजों पर निर्मित टॉयलेट ब्लॉक को बढ़ाने/संशोधन करने हेतु चेंज ऑफ स्कोप ऑर्डर निर्गत किया गया है।

प्रस्ताव-

मा0 निदेशक मण्डल की 94वीं बैठक में अनुमोदन हेतु निम्नलिखित चेंज ऑफ स्कोप आदेश प्रस्तुत है:-

COS order No.	Pkg. no.	CoS letter no & date	Brief details of Works	Amount (Rs.) Excluding GST and Labour cess Including (in Rs.)
30	I	6922/UPEIDA/18/1172/Tech dt. 27.02.2026	Agumentation/Modification of Existing block at Ch. 25+400 (RHS) of Purvanchal Expressway	28,37,551/-
26	II	6583/UPEIDA/18/1173/Tech dt. 12.02.2026	Agumentation/Modification of Existing block at Ch. 60+600 (RHS) of Purvanchal Expressway	58,45,273/-
26	III	6584/UPEIDA/18/1174/Tech dt. 12.02.2026	Agumentation/Modification of Existing block at Ch. 109+900 (RHS) of Purvanchal Expressway	70,48,257/-
37	IV	6728/UPEIDA/18/1175-II/Tech dt. 19.02.2026	Agumentation/Modification of Existing block at Ch. 138+850 (LHS) of Purvanchal Expressway	57,43,081/-
26	VII	6787/UPEIDA/18/1178/Tech dt. 20.02.2026	Agumentation/Modification of Existing block at Ch. 269+200 (RHS) of Purvanchal Expressway	27,29,230/-
24	VIII	6786/UPEIDA/18/1179/Tech dt. 20.02.2026	Agumentation/Modification of Existing block at Ch. 316+231 (LHS) of Purvanchal Expressway	27,29,230/-
			Total	2,69,32,622/-

वित्तीय प्रभाव:-

उपरोक्तानुसार निर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश के कारण पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत में कुल ₹0 2,69,32,622/- की वित्तीय वृद्धि होगी।

उपरोक्तानुसार सूची में अंकित, निर्गत किये गये चेंज ऑफ स्कोप आर्डर पर मा0 निदेशक मंडल द्वारा अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-10

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के आगामी संचालन व अनुरक्षण के लिए नवीन अनुबन्ध गठित करने एवं ठेकेदार व अथॉरिटी इंजीनियर (कन्सलटेन्ट) के चयन हेतु परियोजना परामर्शी की सेवाएं लिये जाने हेतु निविदा के माध्यम से चयनित M/S TRANSLINK INFRASTRUCTURE CONSULTANTS PVT. Ltd. पर मा0 निदेशक मण्डल को संज्ञानार्थ

प्रकरण की पृष्ठभूमि :-

1. पूर्वाचल एक्सप्रेसवे का निर्माण ई.पी.सी. पद्धति पर 08 पैकेजों में विभक्त कर कराया गया है। परियोजना के पैकेज सं0-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 के निर्माण की अवधि क्रमशः दिनांक 08.03.2022, 08.11.2021, 30.09.2021, 08.11.2021, 26.10.2021, 30.11.2021, 15.12.2021 तथा दिनांक 06.10.2021 को पूर्ण हो चुकी है। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार निर्माणकर्ता, ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर का परियोजना की अवधि पूर्ण होने की तिथि से 05 वर्षों तक परियोजना के अनुरक्षण का दायित्व निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत सभी पैकेजों के ई.पी.सी. ठेकेदारों के द्वारा परियोजना का अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। पैकेज सं0-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 की 05 वर्षों की अनुरक्षण अवधि क्रमशः दिनांक 07.03.2027, 07.11.2026, 29.09.2026, 07.11.2026, 25.10.2026, 29.11.2026, 14.12.2026 तथा 05.10.2026 को समाप्त हो जायेगी, जिसके पूर्व पूर्वाचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता एवं आवागमन को सुरक्षित रखने हेतु सड़क के आगामी संचालन व अनुरक्षण के लिये नवीन अनुबन्ध गठित करने की आवश्यकता होगी।
2. अतः उपर्युक्त कार्य हेतु एक परियोजना परामर्शी को नियुक्त किया जाना आवश्यक था। परियोजना परामर्शी द्वारा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत पेवमेन्ट, संरचनाएं एवं विविध उपकरण व सुविधाओं आदि की वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए अनुरक्षण के अन्तर्गत दिन-प्रतिदिन किये जाने वाले नियमित अनुरक्षण कार्यों, सामयिक अनुरक्षण कार्यों तथा पेवमेन्ट का तकनीकी परीक्षण करके पेवमेन्ट की राइडिंग क्वालिटी को मानक व विशिष्टियों के अनुसार बनाये रखने के लिये किन-किन कार्यों को कब-कब कराना आवश्यक होगा, के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। इस प्रस्ताव का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् परामर्शी द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत का विवरण तैयार किया जायेगा, जिसके अनुसार निविदा प्रपत्र तैयार कर परामर्शी द्वारा निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया सम्पादित करायी जायेगी तथा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर नियमानुसार अनुबन्ध गठित कराया जायेगा। परियोजना परामर्शी के दायित्व में अनुरक्षण कार्य के लिये उपयुक्त पद्धति यथा आइटम, रेट अनुबन्ध अथवा प्रदर्शन आधारित अनुबन्ध तथा अनुरक्षण की अवधि भी प्रस्तावित करना सम्मिलित होगा।
3. अनुरक्षण कार्यों के गुणवत्तापूर्ण होने तथा अनुश्रवण एवं समयान्तर्गत भुगतान हेतु एक अथॉरिटी इंजीनियर (कन्सलटेन्ट) की नियुक्ति भी किये जाने की आवश्यकता होगी। परियोजना परामर्शी द्वारा उक्त कन्सलटेन्ट की टीम के सदस्यों का निर्धारण, उनकी संख्या तथा उनके दायित्वों का निर्धारण के साथ-साथ अथॉरिटी इंजीनियर को भुगतान की धनराशि का आंकलन करके अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु बिडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कराते हुए अनुबन्ध गठित कराया जायेगा।
4. उक्त के दृष्टिगत परियोजना परामर्शी के चयन हेतु दिनांक 16.12.2025 को ई-टेंडर पोर्टल पर निविदा प्रकाशित की गई, जिसमें कुल 04 निविदादाता, क्रमशः मे0 चैतन्या प्रोजेक्ट, मे0 एम.एस. पार्क, मे0 ट्रांसलिनक एवं मे0 श्री भवानी द्वारा प्रतिभाग किया गया।
5. तकनीकी मूल्यांकन में मे0 चैतन्या प्रोजेक्ट, मे0 एम.एस. पार्क एवं मे0 ट्रांसलिनक योग्य पाये गये, जबकि मे0 श्री भवानी द्वारा मूल पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप अयोग्य पाया गया।
6. वित्तीय मूल्यांकन में M/S Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. न्यूनतम निविदादाता (एल-1) के रूप में चयनित हुए।



7. यूपीडा के पत्रांक 6986/यूपीडा/2025/3641/प्रोक0 दिनांक 05.03.2026 के द्वारा M/S Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. को "Letter of Award" निर्गत कर दिनांक 24.03.2026 को अनुबन्ध गठित किया गया।
8. परियोजना परामर्शी M/S Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. द्वारा Inception Report उपलब्ध कराया गया, जिसका अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुरूप भुगतान किया जा चुका है।
9. परियोजना परामर्शी द्वारा ड्राफ्ट डी.पी.आर. का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर यूपीडा द्वारा कतिपय टिप्पणियाँ अंकित की गईं। परियोजना परामर्शी द्वारा यूपीडा द्वारा की गई टिप्पणियों को सम्मिलित कर Final DPR उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रस्ताव:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगामी संचालन व अनुरक्षण के लिए नवीन अनुबन्ध गठित करने एवं ठेकेदार व अथारिटी इंजीनियर (कन्सलटेन्ट) के चयन हेतु परियोजना परामर्शी की सेवाएं लिये जाने हेतु निविदा के माध्यम से चयनित M/S Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. (अनुबन्धित धनराशि रू0 1,99,89,890/-) पर मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ।

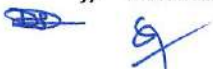
उपरोक्त प्रस्ताव विस्तृत रूप से एजेण्डा बिन्दु सं0-25 पर भी प्रस्तुत किया गया है जो कि मा0 बोर्ड द्वारा अवलोकित कर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु सं.-11

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-07 में 17.81 हे0 अतिरिक्त रिक्त भूमि पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु किये जाने वाले कार्य के साथ वन विभाग द्वारा सुझाये गये कार्य को चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जाने पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन

प्रकरण की पृष्ठभूमि :-

1. उ0प्र0 शासन द्वारा विगत वर्ष 2025 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-7 के चनेज 261+200 (आर.एच.एस.) पर 17.81 हे0 अतिरिक्त रिक्त भूमि को वृक्षारोपण के लिए चयनित किया गया।
2. वन विभाग ने उपरोक्त भूमि पर 10 वर्षों के रखरखाव के साथ-साथ सिंचाई और सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंधों हेतु निम्नवत् अनुरोध किया गया:-
 - a) Fencing of all 4 sides of UPEIDA land excluding part work done during execution of project work.
 - b) Fencing around Harishankari Trees Planted by Hon'ble C.M. for its protection with small gate for maintenance purpose.
 - c) Entry/Exit Gates -2 No. with proper locking system in one each in both part of UPEIDA Land.
 - d) Excavation and Development of a Pond of size 50m x 50m x 1.5m (depth) in middle of part 2 land and transportation and levelling of excavation soil in UPEIDA land wherever required to avoid waterlogging.
 - e) Making of one lockable Barrier at Ch. 259+830 (RHS) where Ramp is constructed between MCW & Service Road to make it access controlled entry/exit for plantation work.
 - f) Removal of temporary Ramps made during Hon'ble Chief Minister Program & levelling of removed soil at suitable places in UPEIDA land.
 - g) Removal of temporary Ramps made in Private Land during Hon'ble Chief Minister Program & reinstate it in original position.
 - h) Arrange watering, maintenance & security of planted trees on 09/07/2025 until land is handed over to Forest Department for further work.
3. मा0 मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त कार्यक्रम हेतु ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर, मे0 जी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0 द्वारा निम्नवत् कार्य कराया गया:-
 - a) Construction of Ramp at Ch. 259+830 (RHS)
 - b) Repairing of Road of Kerma Village (RHS) and for safe house (LHS)
 - c) Construction of Earthen Ramps 9 Nos, for Vehicle Parking and Public entry in UPEIDA Land.
 - d) Construction additional Ramps 2 Nos, for Bus Parking in Private Land arranged by district administration.
 - e) Construction of additional Ramps of 5 Nos @ LHS & 2 Nos. of RHS for Public Vehicle Parking in private land arranged by district administration.
 - f) Installation of Directional Sign Boards for Hon'ble C.M. Program place and for Plantation site.



g) Fencing of Plantation site.

4- उपरोक्त कार्य को कराये जाने हेतु चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव-

मा० निदेशक मण्डल की 94वीं बैठक में अनुमोदन हेतु निम्नलिखित चेंज ऑफ स्कोप आदेश प्रस्तुत है:-

COS order No.	Pkg. no.	CoS letter no & date	Brief details of Works	Amount (Rs.) Excluding GST and Labour cess Including (in Rs.)
27	VII	6784/UPEIDA/18/1178/Tech dt. 20.02.2026	Construction of additional work being carried out at Ch. 261+200 (RHS) for Hon'ble CM Program of Purvanchal Expressway (Pkg-7)	83,71,816/-
			Total	83,71,816/-

वित्तीय प्रभाव:-

उपरोक्तानुसार निर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत में कुल ₹0 83,71,816/- की वित्तीय वृद्धि होगी।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश पर निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

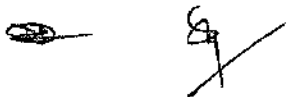
एजेण्डा बिन्दु सं.-12

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-01 में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों पर मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन के सम्बन्ध में

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ग्राम जैतपुर (जनपद-गोरखपुर) एन.एच.-27 बाईपास से प्रारम्भ होकर जनपद सन्त कबीरनगर, अम्बेडकरनगर होते हुए ग्राम सलारपुर (जनपद-आजमगढ़) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे (08 लेन विस्तारणीय) है, जिसकी कुल लम्बाई 91.352 किमी० है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 19.06.2025 को मे० एपको इन्फ्राटेक प्रा० लि० को अन्तःकालीन पूर्णता प्रमाण-पत्र (Provisional Completion certificate) जारी किया जा चुका है तथा मे० डी.बी.एल. को पैकेज-2 हेतु दिनांक 19.06.2025 को पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion certificate) जारी किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु निम्नवत अनुबन्ध गठित है:-

पैकेज संख्या	पैकेज का विवरण	अनुमानित लम्बाई (किमी० में)	अनुबन्ध की (करोड़ में)	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्यदायी संस्था का नाम
01	जैत गोरखपुर बाईपास (जनपद-गोरखपुर) से फुलवरिया (जनपद-अम्बेडकर नगर) (-किमी० 0+817 से किमी० 47+500)	48.317	1774.09	10.02.2020	एपको इन्फ्राटेक प्रा० लि०
02	फुलवरिया (जनपद-अम्बेडकर नगर) से सलारपुर (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जनपद-आजमगढ़) (किमी० 47+500 से किमी० 90+535)	43.035	1250.01	19.06.2020	दिलीप बिल्डकॉन लि०
	योग	91.352	3024.10		

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार/जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनमानस के अनुरोध पर कतिपय अतिरिक्त कार्य कराये गये, जिनका प्राविधान अनुबन्ध में न होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध के क्लॉज 13.2.1 के अन्तर्गत Change of Scope Notice निर्गत किये गये थे जिनके आगणनों को ई०पी०सी० ठेकेदारों से प्राप्त होने के उपरान्त अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा परीक्षण किया गया। अथॉरिटी इंजीनियर



के द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में अथॉरिटी द्वारा इन अतिरिक्त कार्यों के चेन्ज ऑफ स्कोप आदेश निर्गत किये गये हैं।

प्रस्ताव—

मा० निदेशक मण्डल की 94वीं बैठक में अनुमोदन हेतु निम्नलिखित चेंज ऑफ स्कोप आदेश प्रस्तुत है:—

COS order No.	CoS letter no & date	Brief details of Works	Amount (Rs.) Excluding GST and Labour cess Including
Package-I			
23	6785/UPEIDA/1717-II/Tech dt. 20.02.2026	Installation of Double row wire fencing in Pkg-1 of Gorakhpur Link Expressway	51,80,000/-
24	1421/UPEIDA/1717-II/Tech dt. 25.06.2026	Updated Reconciliation of Service road of Gorakhpur Link Expressway	3,06,67,139/-
		Total	3,58,47,139/-

वित्तीय प्रभाव:—

उपरोक्तानुसार निर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश के कारण गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत में कुल रु० 3,58,47,139/- की वित्तीय वृद्धि होगी।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश पर निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-13

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत संस्था राइट्स लि० (Project Management Consultant cum External Auditor (PMC cum ETA) को प्रदान की गई षष्टम् समयवृद्धि (दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक) पर मा० निदेशक मण्डल के अनुमोदन के सम्बन्ध में

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ग्राम जैतपुर (जनपद—गोरखपुर) एन.एच.—27 बाईपास से प्रारम्भ होकर जनपद सन्त कबीरनगर, अम्बेडकरनगर होते हुए ग्राम सलारपुर (जनपद—आजमगढ़) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे (06 लेन विस्तारणीय) है, जिसकी कुल लम्बाई 91.352 किमी० है। परियोजना का निर्माण कार्य दो पैकेजों में विभक्त है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

पैकेज संख्या	पैकेज का विवरण	अनुमानित लम्बाई (किमी० में)	अनुबन्ध की (करोड़ में)	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्यदायी संस्था का नाम
01	जैत गोरखपुर बाईपास (जनपद—गोरखपुर) से फुलवरिया (जनपद—अम्बेडकर नगर) (—किमी० 0+817 से किमी० 47+500)	48.317	1774.09	10.02.2020	एपको इन्फ्राटेक प्रा०लि०
02	फुलवरिया (जनपद—अम्बेडकर नगर) से सलारपुर (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जनपद—आजमगढ़) (किमी० 47+500 से किमी० 90+535)	43.035	1250.01	19.06.2020	दिलीप बिल्डकॉन लि०
	योग	91.352	3024.10		

प्रस्ताव:—

1. ई.पी.सी. पद्धति पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु राइट्स लि० एवं यूपीडा के मध्य दिनांक 02.11.2020 को गठित अनुबन्ध के माध्यम से राइट्स लि० को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अनुश्रवण, तकनीकी परीक्षण व अन्य कार्यों हेतु PMC cum ETA के रूप में कार्य करने हेतु अनुबन्धित किया गया है।
2. अनुबन्ध के SCC क्लॉज सं० 2.4 के अनुसार अनुबन्ध की कुल अवधि 36 माह या निर्माण कार्य पूर्ण होने तक निर्धारित है।
3. राइट्स लि० द्वारा दिनांक 06.11.2020 को अनुबन्ध के अन्तर्गत सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयी।



4. राइट्स लि० के अनुबन्ध के अनुसार 36 माह की अवधि दिनांक 06.11.2023 को पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा पैकेज 1 और 2 के निर्माणकर्ता को प्रदान की गयी समयवृद्धि के दृष्टिगत निम्नलिखित सात समय वृद्धियाँ प्रदान की जा चुकी हैं—

क्रम सं०	समय वृद्धि	दिनांक	यूपीडा का पत्रांक	बोर्ड बैठक में अनुमोदन
1	प्रथम समय वृद्धि	दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 31.05.2024 तक	7543/UPEIDA/19/1877-XXI/Tech. Dated 13-03-2024	87वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 26 पर
2	द्वितीय समय वृद्धि	दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक	1756/UPEIDA/19/1877/Tech. Dated 03-07-2024	88वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 08 पर
3	तृतीय समय वृद्धि	दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक	3946/UPEIDA/1877/Tech. Dated 10.10.2024	90वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 09 पर
4	चतुर्थ समय वृद्धि	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक	6874/UPEIDA/1877/Tech. Dated 19.03.2025	91वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 13 पर
5.	पंचम समय वृद्धि	दिनांक 01.06.2025 से दिनांक 31.07.2025 तक	1533/UPEIDA/1877/Tech. dated 23.06.2025	92वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 29 पर
6.	षष्ठम समय वृद्धि	दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक	3162/UPEIDA/1877/Tech. dated 08.09.2025	93वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा बिन्दु 09 पर
7	सप्तम समय वृद्धि	दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक	4849/UPEIDA/1877 Vol-XXII/Tech. dated 01.12.2025	

5. उपरोक्त के क्रम में राइट्स लि० द्वारा पत्रांक RITES/ HW/UPEIDA/GLE/2026/1003 दिनांक 02.01.2026 के माध्यम से दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक अष्टम समयवृद्धि प्रदान करने की माँग की गयी थी, जिसे यूपीडा के पत्रांक 7424/UPEIDA/1877 Vol XXII/Tech. Dated 23.03.2026 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

प्रस्ताव के औचित्य का विश्लेषण:-

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 19.06.2025 को मे० एपको इन्फ्राटेक प्रा० लि० को अन्तःकालीन पूर्णता प्रमाण-पत्र (Provisional Completion certificate) जारी किया जा चुका है तथा मे० डी.बी.एल. को पैकेज-2 हेतु दिनांक 19.06.2025 को पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion certificate) जारी किया जा चुका है।

अनुबन्ध के Appendix-A Description of services के अनुसार राइट्स लि० के कार्य/दायित्व निम्न है:-

Scope of Project Management Consultant (PMC)	Scope of Services as External Technical Audit (ETA)
1- Project Time Management	1. Stage I -Project Familiarisation
2- Project Design and Consultant	2. Stage II- Initial Technical Audit
3- Project Cost Management	3. Stage III- Intermediate Technical Audits(Monthly)
4- Project Quality Management	4. Stage IV- Final Technical Audit
	5. Stage V - Report Submission

एक्सप्रेसवे के चनेज 28+400 पर रामजानकी मार्ग के कॉसिंग पर इण्टरचेंज पर 06-सेल वी.ओ.पी. के निर्माण का कार्य प्रगति में था। इसके अतिरिक्त पी.एम.सी. कम ई.टी.ए. द्वारा निर्गत कतिपय एन.सी.आर. के अनुपालन से सम्बन्धित कार्य अवशेष था।

अतः परियोजना के समुचित पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी परीक्षण हेतु राइट्स लि० को उपरोक्तानुसार समयवृद्धि देना औचित्यपूर्ण है।

वित्तीय प्रभाव:- राइट्स लि० के उपरोक्त अनुबन्ध की मूल लागत ₹0 10,33,79,222/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) है। राइट्स लि० को स्वीकृत अष्टम समयवृद्धि के उपरान्त आठों समयवृद्धियों को सम्मिलित करते हुये अनुबन्ध की मूल लागत के सापेक्ष ₹0 3,49,22,794/- (मूल्य वृद्धि एवं जी०एस०टी० अतिरिक्त देय) का अतिरिक्त व्यय होगा, जो कि अनुबन्ध की मूल लागत से 33.78 प्रतिशत अधिक है। इस अतिरिक्त सम्भावित व्यय को सम्मिलित करते हुये अनुबन्ध की पुनरीक्षित लागत ₹0 13,83,02,016/- है।

उपरोक्तानुसार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत संस्था राइट्स लि० (Project Management Consultant cum External Auditor (PMC cum ETA) को प्रदान की गई अष्टम समयवृद्धि (दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक) पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन निवेदित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-14

यूपीडा मुख्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव के अनुमोदन/स्वीकृति के सम्बन्ध में

पृष्ठभूमि:-

प्रदेश में सर्वांगीण एवं त्वरित औद्योगिक विकास, आर्थिक उन्नति एवं रोजगार सृजन वृद्धि की पृष्ठभूमि में एक्सप्रेसवे आधारित अवसंरचना विकसित किये जाने के उद्देश्य से यूपीडा का गठन उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 (धारा-3(1)) के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 4246/77-4-07-94 भा./07 टी0सी0, दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 द्वारा ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन के एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र) का स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु किया गया था।

2. यूपीडा का कार्यालय माह दिसम्बर वर्ष 2007 में पिकप भवन में स्थापित किया गया था, तत्पश्चात वर्ष 2008 में यूपीडा कार्यालय को किराये पर पर्यटन भवन में स्थानान्तरित किया गया था। पर्यटन भवन स्थित यूपीडा कार्यालय को रिक्त/खाली करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता रहा। स्थान की कमी होने से कार्यालय के सुचारु संचालन में कठिनाई होने के दृष्टिगत यूपीडा के विभाग को मार्च, 2025 में पिकप भवन के बी-ब्लॉक के पंचम तल में स्थानान्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा बार-बार पर्यटन भवन स्थित यूपीडा के शेष विभागों को भी खाली किये जाने का अनुरोध किया जा रहा, वर्तमान में भी यूपीडा के कतिपय विभागों द्वारा पर्यटन भवन स्थित कार्यालय से कार्य का संचालन किया जा रहा है, जिन्हें पिकप भवन में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से बी-ब्लॉक के भूतल में एक बड़े हॉल को किराये पर लेकर उसे व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि शीघ्र ही उन बचे हुए विभागों को भी पिकप भवन में स्थापित किया जा सके। परन्तु उक्त व्यवस्था के बाद भी यूपीडा के LA Cell एवं कुछ अन्य Cell के स्टाफ समायोजित नहीं हो पायेंगे।

3. उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा यूपीडा को समय-समय पर नये-नये एक्सप्रेसवेज के निर्माण एवं अन्य नये कार्यों का दायित्व सौंपा गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

(i) यूपीडा द्वारा संचालित एवं प्रक्रियाधीन एक्सप्रेसवेज का विवरण:

(A) संचालित (वर्षवार):-

एक्सप्रेसवे का नाम	क्रियान्वयन प्रारम्भ वर्ष	संचालन वर्ष
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे- 302 किमी0	वर्ष 2013	2018
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-340 किमी0	वर्ष 2017	2021
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे-297 किमी0	वर्ष 2019	2022
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे-91 किमी0	वर्ष 2019	2025
गंगा एक्सप्रेसवे-594 किमी0	वर्ष 2021	2026

(B) निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन:-

शासन द्वारा उपरोक्त एक्सप्रेसवे निर्माण के सौंपे गये दायित्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित 07 नये एक्सप्रेसवेज के निर्माण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है:-

- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे-90 किमी0 (निविदा प्रक्रिया में)
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-लिंक एक्सप्रेसवे-51 किमी0 (निविदा प्रक्रिया में)
- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे-15 किमी0 (निविदा प्रक्रिया में)
- जेवर लिंक एक्सप्रेसवे-75 किमी0
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे-106 किमी0
- गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे-146 किमी0
- विन्ध्य एक्सप्रेसवे-333 किमी0
- विन्ध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-लिंक स्पर-117 किमी0

UP E.V. Policy-2022 के तहत यूपीडा के विभिन्न एक्सप्रेसवे पर ई-वाहनों हेतु पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कराये जाने के कार्य के साथ-साथ बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत जनसुविधा परिसरों (Wayside Amenities) के निर्माण कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ii) उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर:-

वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र के उद्यमों का विकास किये जाने हेतु डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण के कार्य का दायित्व भी यूपीडा को सौंपा गया है, जिसके अन्तर्गत 08 डिफेंस नोड्स (आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर व लखनऊ) स्थापित किये जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के स्टाफ पिकप भवन के ब्लॉक में बहुत कम Office Space में बैठते हैं।

(iii) एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक क्लस्टर (IMLC):-

वर्ष 2020 में एक्सप्रेसवे के सन्निकट औद्योगिक गलियारों (IMLCs) की स्थापना हेतु अवस्थापना विकास कार्यों तथा उद्यमी संस्थाओं को निवेश हेतु आमंत्रित कर उद्यमों की स्थापना किये जाने के कार्य का दायित्व भी यूपीडा को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि IMLCs के अन्तर्गत 26 जनपदों में 27 आई0एम0एल0सी0 विकसित किये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में आई0एम0एल0सी0 का विस्तारीकरण 43 जनपदों में किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व में 5000 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने का लक्ष्य था जिसे बढ़ाकर 25000 हेक्टेयर भूमि आई0एम0एल0सी0 हेतु क्रय किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. उपरोक्तानुसार, उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा यूपीडा के कार्यक्षेत्र को निरन्तर विस्तारित किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष यूपीडा में कार्यरत जनशक्ति (Manpower) में भी वृद्धि हो रही है। जनशक्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में यूपीडा में विभिन्न विभागों यथा प्रशासन एवं प्रबंधन विभाग, तकनीकी विभाग (पी0आई0यू0 सहित), वित्त एवं लेखा विभाग, प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ, राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग, विद्युत विभाग, सुरक्षा विभाग डिफेंस कॉरिडोर विभाग, IMLC विभाग, विधि विभाग आदि विभाग संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से यूपीडा में 700 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। इस प्रकार यूपीडा में कार्यरत जनशक्ति (Manpower) में निरन्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने एवं अभिलेखों के रख-रखाव हेतु आवश्यक स्थान की भारी कमी महसूस की जा रही है, जबकि विचारणीय है कि यूपीडा के कई विभाग वर्तमान में अलग-अलग स्थानों से संचालित हो रहे हैं।

उक्त के आलोक में यह आवश्यक है कि यूपीडा कार्यालय हेतु एक पृथक भवन का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में भी यूपीडा के कार्यक्षेत्र में विस्तार होने के फलस्वरूप आवश्यकता के अनुरूप कार्यालय स्थान की उपलब्धता निरन्तर बनी रहे। इस सम्बन्ध में विचारणीय है कि राज्य सरकार के अधिकांश विभागों के कार्यालय उनके स्वयं के भवन में स्थित हैं।

यूपीडा की दिनांक 04.06.2026 को आय-व्यय की समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त नियंत्रक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा मुख्य कार्यपालक महोदय को यूपीडा के भवन निर्माण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा सहमति प्रदान की गयी तथा यूपीडा भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव निदेशक मण्डल में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

यूपीडा बजट: यूपीडा का पिछले 03 वर्षों का वार्षिक बजट निम्नानुसार रहा है:-

1. वर्ष 2026-27 में 10225.48 करोड़
2. वर्ष 2025-26 में 13702.98 करोड़
3. वर्ष 2024-25 में 16092.00 करोड़

(5) भवन निर्माण हेतु वित्त पोषण:- उत्तर प्रदेश में निर्मित/प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें एजेन्सी चार्ज (2 प्रतिशत) एवं कन्टेन्जेन्सी (1 प्रतिशत) का प्राविधान रहता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उक्त धनराशि का प्रयोग प्रस्तावित यूपीडा भवन के भूमि क्रय एवं भवन निर्माण में किया जा सकता है।

उपरोक्त के क्रम में, निम्न बिन्दुओं पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति/अनुमोदन निवेदित है:-

(क) यूपीडा द्वारा पत्र सं0-1916/यूपीडा/3880/2026 के माध्यम से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को यूपीडा भवन निर्माण हेतु लगभग 7000 से 8000 वर्ग मीटर भूखण्ड आवंटित करने हेतु दिनांक 16.06.2026 को प्रेषित किया गया है। पुनः यूपीडा के पत्र दि0-09.07.2026 द्वारा 10000 वर्ग मी0 भूखण्ड आवंटित करने का अनुरोध किया गया। एल0डी0ए0 द्वारा भूमि चिन्हांकन के उपरान्त प्रस्तावित यूपीडा मुख्यालय भवन का क्षेत्रफल एवं लागत निर्धारित हो सकेगी।




(ख) वास्तुविद् (Architect) का चयन:—यूपीडा के प्रस्तावित भवन की प्लानिंग, ड्राइंग—डिजाइन इत्यादि कार्य सम्पादित किये जाने हेतु वास्तुविद् (Architect) के चयन हेतु ई0ओ0आई0/बिड प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर अनुमोदन।

(ग) भवन निर्माण की लागत:—भवन निर्माण, भवन के अन्दर ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, फर्निशिंग, कम्प्यूटराइजेशन, वातानुकूलन, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, पार्किंग, सीवरेज, वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, आई0टी0 सेक्टर डेवलपमेन्ट इत्यादि की अनुमानित लागत लगभग रु0 80 से 100 करोड़ है। वास्तुविद् (Architect) के चयन के उपरान्त भवन निर्माण की वास्तविक लागत डी0पी0आर0 गठन के उपरान्त प्राप्त हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार, यूपीडा के मुख्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव पर विचार—विमर्श एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार यूपीडा के मुख्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.—15(A)

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (Change of Scope) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

यूपीडा निदेशक मण्डल की 93वीं बोर्ड बैठक के उपरान्त गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिये कन्सेशनायर्स(ग्रुप-I, III&IV) को उनके कन्सेशन एग्रीमेन्ट के क्लॉज 16.2.1 के अन्तर्गत पी0आई0यू0 एवं इंडिपेन्डेंट इंजीनियर की संस्तुति के उपरान्त यूपीडा द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत किये गये हैं, जो निम्नवत् है:—

GROUP-I

Notice Issued on 02.01.2026 (02No. Structures)

Change Of Scope Notice-14 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No.5648/UPEIDA/2593-I/Tech., Dated: 02January, 2026			
Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
11401	C/o MNB on Addl. SR, RHS	085+550	Construction of Additional Minor Bridge (MNB) on Additional Service Road (SR), RHS from Ch.85+100 to Ch.85+570.
11402	C/o 1x2x2m Box Culvert in Addl. SR, RHS	085+380	Construction of 1x2x2m Box Culvert in Additional Service Road (SR), RHS from Ch.85+100 to Ch.85+570.

Concessionaire is also directed to construct 3.75m wide Service Road from Ch.85+100 to Ch.85+570, i.e. 470 (Four Hundred Seventy) meters. Please note that a separate COS Notice shall be issued for Service Road on conciliation of Service Roads constructed in entire group.

Notice Issued on 28.01.2026(01No. Structure)

Change Of Scope Notice-15 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No.6220/UPEIDA/2593-I/Tech., Dated: 28January, 2026			
Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
....	SVUP-MCW and SVUP-Ramp provisioned at Ch.124+110 merged into a single SVUP at Ch.124+300	124+300	a) The SVUP-MCW and SVUP-Ramp provisioned at Ch.124+110 shall be considered merged into one SVUP at Ch.124+300. b) Estimate for issuance of COS Order for this COS Notice shall be prepared by calculating separately the quantities (including earthwork) of SVUP-MCW and SVUP-Ramp originally provisioned at Ch.124+110. These quantities shall be added together. c) The quantities of merged SVUP at Ch.124+300 shall be calculated as per actual construction. d) The difference of item wise quantities calculated under point 2 and point 3 shall constitute the quantities for COS Order, the amount of which (positive or negative) shall be calculated on the basis of applicable schedule of rates. e) Schedule of Rates to be adopted for this COS Notice shall be the date, as verified from the issued RFIs for start of construction of merged SVUP at Ch.124+300.

Notice Issued on 22.04.2026(Service Road)

Change Of Scope Notice-16 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No.531/UPEIDA/2593-I/Tech., Dated: 22 April, 2026			
Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
11601	Construction of 3.75meter wide additional service road	35+978 (MJB) to 36+751 (LVUP)	Construction of 3.75metre wide additional service road from Ch.35+978 (MJB) to Ch.36+751 (LVUP), 773 (Seven Hundred Seventy Three) meters on RHS of expressway under COS.

Final Summary of Additional Service Road Constructed and Deleted

Sl.	Description	As per CA	Additional	Deleted	Service	Additional	Additional	Deleted	Length of
-----	-------------	-----------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	-----------

No.		Provisioned Service Road Length (km.)	Service Road (km.)	Service Road (km.)	Road Finally Constructed (km.)	Service Road lengths Constructed (km.)	Service Road lengths for which COS Notice already issued(km.)	Service Road lengths for which COS Notice already issued(km.)	Service Road Requiring COS Notice (km.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SR, LHS, 3.75m wide=	105.8270	2.652	-6.571	101.908	-3.919	0.178	-0.600	-3.497
2	SR, LHS, 7.00m wide=	6.2980	2.105	-0.400	8.003	1.705	1.555	0.000	0.150
3	SR, RHS, 3.75m wide=	49.7380	12.707	-6.144	56.301	6.563	0.327	-0.030	6.266
4	SR, RHS, 7.00m wide=	2.2200	1.960	-0.529	3.651	1.431	1.125	0.000	0.306
	Total	164.083	19.424	-13.644	169.863	5.780	3.185	-0.630	3.225

As per column-10 of table above which shows the lengths (+ve or -ve) of service roads a Change of Scope Notice under Article 16.2.1 of Concession Agreement is issued as follows:-

1. Deletion of 3.497 Km., 3.75 m wide Service Road on LHS
2. Additional 0.150 Km., 7.00 m wide Service Road on LHS
3. Additional 6.266 Km., 3.75 m wide Service Road on RHS
4. Additional 0.306 Km., 7.00 m wide Service Road on RHS

The Unique COS-ID for the Service Road as reconciled above shall be **11602**.

Concessionaire is directed for the Construction of 2mx2m Box Culverts in the Service Road, RHS at Chainage 41+980 and Ch.42+620 under Change of Scope.

The Unique COS-ID for the C/o 2x2m BC (Box Culvert) in Service Road, RHS at Chainage 41+980 & Ch.42+620 shall be **11603 & 11604** respectively.

B) REDUCTION IN CHANGE OF SCOPE OF THE PROJECT UNDER ARTICLE 16.6.1 OF CONCESSION AGREEMENT

Descoping of Minor Bridge in Service Road, RHS at Ch.40+480

Table-2 Reduction in Scope

Sl. No.	COS	Chainage	Description
1	2	3	4
1	Descoping MNB in SR, RHS	40+480	As a result of shifting 1.360 Km. of Service Road from Ch.40+045 to Ch.41+405 elsewhere, the Minor Bridge (MNB) provisioned at Ch.40+480 on Service Road on RHS has not been constructed.

As per Article 16.6.1, Concessionaire shall pay the Authority 80% of the sum saved on account of descoping of MNB listed in Table-2 above.

GROUP-III

Notice Issued on 20.02.2026 (03No. Structures)

Change Of Scope Notice-19 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No.6779/UPEIDA/2593-III/Tech., Dated: 20February, 2026			
Unique COS-ID	COS	CA Chainage	Description of Works
1	2	3	4
31901	C/o 6x1200mm HPC	2+550 of Loop of Interchange @378+182	Construction of 6x1200mm Hume Pipe Culvert, NP-4 in additional service road (RHS) opposite same sized culvert in Main Carriage Way of Loop.
31902	C/o 1x2x2m Box Culvert	2+238 of Loop of Interchange @378+182	Construction of 1x2x2m Box Culvert, NP-4 in additional service road (RHS) opposite same sized culvert in Main Carriage Way of Loop.
31903	C/o Toe wall Service Road	0+350 of Service Road near Interchange @420+992	Construction of toe wall under Change of Scope in a length of 25.800 meters near Ch.0+350 of service road, LHS situated on the RHS of MCW of Interchange at Ch.420+992.

Construction of additional service road, 3.75m carriageway from Km.2+080 to 2.649 (RHS), i.e. 569 meters of loop of Interchange. A separate COS Notice for Service Roads shall be issued on reconciliation of Service Road actually constructed in the entire Group-III.

GROUP-IV

Notice Issued on 08.01.2026 (Service Road)

Change Of Scope Notice-21 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 5806/UPEIDA/2593-IV/Tech., Dated: 08January, 2026			
Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
42101	Widening of Service Road, LHS+RHS near 16-Lane Toll Plaza at Chainage 589+750	589+750	The detour of Kalyanpur-Nawabganj Road, a 5.50m painted road through SVUP @ 589+220 which is only 7.0m wide, Therefore Service Road (S/R) on LHS & RHS from Ch.589+700 to Ch.589+220 i.e. 480x2=960 (Nine Hundred Sixty Meters) is to be widened from 3.750m to 5.50m under Change of Scope.

Notice Issued on 20.02.2026 (01No. Structure)

Change Of Scope Notice-22 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement
vide Ref. No.6780/UPEIDA/2593-IV/Tech., Dated: 20February, 2026

Unique COS-ID	COS Short Description	Chainage	Modified COS
1	2	3	4
42201	Merging loop-2 with NH-30 at Km. 517+439 of Ganga Expressway	517+439	a) Dismantling of 76 (Seventy Six) meters of RCC drain built by NHAI at Km.19+300 of NH-30 to Km.19+376 of NH-30, i.e. 76 (Seventy Six) meters and replacement with drainage arrangement with either NP-4, Hume Pipe or RCC drain as approved by NHAI. b) Widening of Culverts at Km.19+409 and Km.19+541 of NH-30. c) Construction of acceleration zone (75m+205m+50m=330m) with filling the 3.50m wide gap between Main Carriage Way (MCW) and Service Road of NH-30. d) Dismantling the trapezoidal drain built by NHAI between Main Carriage Way (MCW) and 7.0m wide Service Road of NH-30 and Construction of drain at the edge of ROW of NH-30 as per approval of NHAI. e) Strengthening of Service Road from Km.19+300 of NH-30 to Km.20+850 i.e. 1.550Km. for Traffic density of 60MSA.

वित्तीय प्रभाव—वर्तमान प्रस्ताव में गत बोर्ड बैठक के पश्चात निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिस सम्मिलित हैं। इसके पश्चात कन्सेशनायर्स द्वारा कार्य का आगणन गठित करना होगा, जिसका इंडिपेन्डेंट इंजीनियर द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा व्यय भार आकलित किये जाने के पश्चात निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

औचित्य एवं विश्लेषण—कन्सेशन अनुबन्ध के प्रस्तर 16.1.1 में व्यवस्था दी गयी है:—

The Authority may, Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, require the provision of additional works and service which are not included in the Scope of the project as contemplated by this Agreement ("Change of Scope") Any such Change of Scope shall be made in accordance with the provisions of this Article 16 and the costs thereof shall be expended by the Concessionaire and reimbursed to it by the Authority in accordance with Clause 16.3.

तथा प्रस्तर 16.2.1 में व्यवस्था दी गयी है:—

In the event of the Authority determining that a Change of Scope is necessary, it shall issue to the Concessionaire a notice specifying in reasonable detail the works and services contemplated thereunder (the "Change of Scope Notice").

उक्त व्यवस्थाओं के अनुपालन में, उपरोक्तानुसार निर्गत किये गये सी0ओ0एस0 नोटिस के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लेते हुए, अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-15(B)

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस(Change of Scope Notice) के पश्चात चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर (Change of Scope Order) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (सी0ओ0एस0) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिये यूपीडा द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं।

अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पी0पी0पी0 (डी0बी0एफ0ओ0टी0) पद्धति के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु पूरी परियोजना को 04 ग्रुप में विभाजित करते हुए कन्सेशनायर्स के साथ कन्सेशन अनुबन्ध गठित कर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में आवश्यकतानुसार उन कार्यों के लिये, जो कि स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित नहीं थे, कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.1 की व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिस निर्गत किये गये थे, जिन्हें निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।
- आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.2 के अन्तर्गत कन्सेशनायर्स द्वारा इन नोटिसेज की प्राप्ति के उपरान्त इनके निर्माण से परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव एवं कार्य सम्पादन की लागत का आंकलन प्रस्तुत करना होता है एवं तदुपरान्त इंडिपेन्डेंट इंजीनियर द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन के बाद चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये जाते हैं।
- उपरोक्त प्रस्तर 1 द्वारा उल्लिखित नोटिसेज के संदर्भ में प्रस्तर 2 में वर्णित कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त **ग्रुप-II, III एवं IV** हेतु विभिन्न कार्यों के लिये आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.3 के अन्तर्गत निम्नानुसार चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं, जिनकी लागत निम्न तालिका में प्रदर्शित है—

33

9

GROUP-II**Order Issued on 29.04.2026 (Service Road)****Change Of Scope Order No.-13 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No. 737/UPEIDA/2987-Gr-II/Tech., Dated: 29th April, 2025**

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21401	COS-14	a) Upgradation of provisioned Service Road, LHS, 3.75 m Carriageway from 255+200 to Ch.256+100 i.e. approx. 1.000Km. (Since there is ramp/loop of Interchange in this stretch) to 7.0m Wide carriageway Service road.	255+200	3050/UPEIDA/2593-II/Tech., dated 02 nd Sept., 2025	3,23,11,743	0
					Add GST@18%	58,16,114	0
					Grand Total With 18% GST=	3,81,27,857	0

GROUP-III**Order Issued on 17.02.2026 (Revision)****Revision of Change Of Scope Order No.-06 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No.5647/UPEIDA/2987-Gr-III/Tech., Dated: 17 February, 2026**

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Original COS Order-06		Revised COS Order-06	
						Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	313 01-mod 14-mod 18	COS-13	Upgradation of 3.75m SR to 4-Lane SR & c/o 4-Lane road in Industrial corridor	422+003	3274/UPEIDA/2593-III/Tech., dated 12/09/2025	78,99,67,965	25,81,876	78,14,58,178	21,09,937
					Add GST@18%=	14,21,94,234	4,64,738	14,06,62,472	3,79,789
					Total With 18% GST=	93,21,62,199	30,46,614	92,21,20,650	24,89,726

Note:- GST shall be payable as applicable.

GROUP-IV**Order Issued on 22.12.2025 (03No. Structures)****Change Of Scope Order No.-14 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No. 5417/UPEIDA/2987-Gr-IV-Vol-II/Tech., Dated: 22 December, 2025**

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost (Excluding GST)	Estimated Maintenance Cost (Excluding GST) Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41701	COS-17	C/o S/R RHS for Access to IMLC, Pratapgarh	555+100	3049/UPEIDA/2593-IV/Tech., dated 02 nd September, 2025	3,31,73,231	0
					GST@18%	59,71,182	0
					Total=	3,91,44,413	0
2	41702	COS-17	C/o 1x1200mm HPC	517+429	-do-	8,73,815	0
					GST@18%	1,57,269	0
					Total=	10,30,984	0
3	41801	COS-18	Additional Works at Toll Plaza Interchange Ch.487+285	487+285	3868/UPEIDA/2593-IV/Tech., dated 14 th October, 2025	2,07,79,514	0
					GST@18%	37,40,313	0
					Total=	2,45,19,827	0
					Grand Total=	5,48,26,460	0
					Add GST@18%	98,68,763	0
					Grand Total with 18% GST=	6,46,95,223	0

Note:- GST shall be payable as applicable.




Order Issued on 12.03.2026 (02No. Structures)

Change Of Scope Order No.-15 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 7138/UPEIDA/2987-Gr-IV-Vol-II/Tech., Dated: 12 th March, 2026							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost (Excluding GST)	Estimated Maintenance Cost Per Annum (Excluding GST)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42001	COS-20	C/O 10m wide an MNB 1x10m opposite PUP at Ch.547+720 on LHS of MCW	547+720	3049/UPEIDA/2593-IV/ Tech., dated 02 nd September, 2025	35,72,866	0
					GST@18%	6,43,116	0
					Total=	42,15,982	0
2	42101	COS-21	Widening of Service Road, LHS+RHS near 16-Lane Toll Plaza Ch.589+750	589+220	-do-	52,41,315	0
					GST@18%	9,43,437	0
					Total=	61,84,752	0
					Grand Total=	88,14,181	0
					Add GST@18%	15,86,553	0
					Grand Total with 18% GST=	1,04,00,734	0
Note:-GST shall be payable as applicable.							

वित्तीय प्रभाव—वर्तमान प्रस्ताव में 93वीं बोर्ड बैठक के पश्चात अब तक निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर सम्मिलित हैं। कन्सेशनार्यर्स द्वारा नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त कार्यों का आगणन गठित किया गया, जिसका इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप के आर्डर निर्गत किये गये हैं एवं कार्यों की लागत निम्नानुसार है:-

ग्रुप सं०	लागत (रु०)	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	अनुसूचना लागत प्रतिवर्ष (रु०)
I	0.00	0.00	0.00
II	3,81,27,857	0.097	0.00
III	(-) 1,00,41,549 (Revision)	(-) 0.027	(-) 5,56,888 (Revision)
IV	7,50,95,957	0.213	0.00
कुल योग	10,31,82,265		(-) 5,56,888

अब तक निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर के अनुसार कार्यों की कुल लागत निम्नानुसार है:-

ग्रुप सं०	93वीं बोर्ड बैठक तक लागत (रु०)	94वीं बोर्ड बैठक में लागत (रु०)	अब तक कुल लागत (रु०)	अब तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत
I	377,97,92,429	0.00	377,97,92,429	11.475
II	359,84,63,954	3,81,27,857	363,65,91,811	9.259
III	270,29,52,324	(-) 1,00,41,549	269,29,10,775	7.410
IV	130,50,40,180	7,50,95,957	138,01,36,137	3.912
कुल योग	1138,62,48,887	10,31,82,265	1148,94,31,152	

औचित्य एवं विश्लेषण—कन्सेशन अनुबन्ध के प्रस्तर 16.2.2 में व्यवस्था दी गयी है:-

Upon receipt of a Change of Scope Notice, the Concessionaire shall, with due diligence, provide to the Authority such information as is necessary, together with preliminary Documentation in support of:

(b) the options for implementing the proposed Change of Scope and the effect, if any, each such option would have on the costs and time thereof, including a detailed breakdown by work classifications specifying the material and labour costs calculated in accordance with the schedule of rates applicable to the works assigned by the Authority to its contractors, along with the proposed premium/discount on such rates; provided that the cost incurred by the Concessionaire in providing such information shall be reimbursed by the Authority to the extent such cost is certified by the Independent Engineer as reasonable.

तथा प्रस्तर 16.2.3 में व्यवस्था दी गयी है:-

Upon receipt of information set forth in Clause 16.2.2, if the Authority decides to proceed with the Change of Scope, it shall convey its preferred option to the Concessionaire, and the Parties shall, with assistance of the Independent Engineer, thereupon make good faith efforts to agree upon the time and costs for implementation thereof. Upon reaching an agreement, the Authority shall issue an order (the "Change of Scope Order") requiring the Concessionaire to proceed with the performance thereof. In the event that the Parties are unable to agree, the Authority may, by issuing a Change of

Scope Order, require the Concessionaire to proceed with the performance thereof pending resolution of the Dispute, or carry out the works in accordance with Clause 16.5.

उक्त व्यवस्थाओं के अनुपालन में निर्गत किये गये चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लेते हुए, अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-16-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चारों गुप्तों (गुप्त-I, II, III एवं गुप्त-IV) में नियुक्त इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स को निर्माण अवधि में अनुबन्धित/प्रथम अंतरिमवृद्धि (1st EOT) समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् प्रदान की गयी दिनांक 31.03.2026 तक द्वितीय समयवृद्धि तथा दिनांक 31.05.2026 तक तृतीय समयवृद्धि अनुमोदन के सम्बन्ध में

प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि- 593.947 किमी० लम्बे प्रवेश नियंत्रित 06 लेन चौड़े (विस्तारणीय 08 लेन) गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पी०पी०पी (डी०बी०एफ०ओ०टी०) पद्धति पर विकासकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त परियोजना 04 गुप्तों विभक्त है एवं तदनुसार 04 विकासकर्ताओं का चयन किया गया। गुप्तवार विकासकर्ताओं, गुप्त की लम्बाई, अनुबन्ध गठन की तिथि एवं एप्वाइन्टेड डेट का विवरण क्रमशः निम्नवत है:-

क्र०सं०	न०	चयनित विकासकर्ता का नाम	लम्बाई (किमी०)	अनुबन्ध गठन की तिथि	एप्वाइन्टेड डेट
1	I	मे० आई०आर०बी० इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि०	129.700	06-01-20222	12-10-2022
2	II	मे० अडानी इन्टरप्राइजेज लि०	151.700	06-01-20222	03-11-2022
3	III	मे० अडानी इन्टरप्राइजेज लि०	155.700	06-01-20222	03-11-2022
4	IV	मे० अडानी इन्टरप्राइजेज लि०	156.847	06-01-20222	03-11-2022

कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 23 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण एवं अनुबन्ध के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक गुप्त के लिए इंडिपेन्डेंट इंजीनियर की नियुक्ति की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	गुप्त का नाम	इंडिपेन्डेंट इंजीनियर का नाम	अनुबन्ध की तिथि	इफेक्टिव डेट की तिथि	अनुबन्धित अवधि	
					निर्माण कार्य	अनुसंधान कार्य
1	I	मे० लॉयन इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०	21.09.2022	19.10.2022	36 माह	24 माह
2	II	मे० एम०एस०बी० इन्टरनेशनल, आईएनसी	27.09.2025	19.10.2022	36 माह	24 माह
3	III	मे० लॉयन इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०	21.09.2025	19.10.2022	36 माह	24 माह
4	IV	मे० ध्रुव कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि०	27.09.2025	15.10.2022	36 माह	24 माह

प्रस्ताव का औचित्य-उपरोक्त तालिका में अंकित विवरण के अनुसार क्रमशः गुप्त-I, II, III के लिए निर्माण अवधि की समय सीमा दिनांक 18.10.2025 एवं गुप्त-IV के लिए 14.10.2025 को समाप्त हो गयी है। उल्लेखनीय है कि चारों गुप्तों के विकासकर्ताओं के प्रोजेक्ट कम्प्लीशन डेट में अंतरिम समयवृद्धि प्रदान की गयी है जिसके अनुसार विस्तारित कम्प्लीशन डेट का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	गुप्त न०	चयनित विकासकर्ता का नाम	पत्र सं० जिससे अनुबन्ध में अंतरिम समय विस्तार किया गया है	अंतरिम समयवृद्धि दिवस की संख्या	प्रोजेक्ट कम्प्लीशन डेट की विस्तारित तिथि
1	I	मे० आई०आर०बी० इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि०	4629/3650/UPEIDA/2025/ Tech. dated 19.11.2025	81	31.12.2025
2	II	मे० अडानी इन्टरप्राइजेज लि०	4628/3612/UPEIDA/2025/ Tech. dated 19.11.2025	59	31.12.2025
3	III	मे० अडानी इन्टरप्राइजेज लि०	4627/3613/UPEIDA/2025/ Tech. dated 19.11.2025	59	31.12.2025
4	IV	मे० अडानी इन्टरप्राइजेज लि०	4632/3614/UPEIDA/2025/ Tech. dated 19.11.2025	59	31.12.2025

अतः कन्सेशनार्यर्स को निर्माण अवधि में दिये गये समयवृद्धि के सापेक्ष निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स के अनुबन्धित समय में वृद्धि आवश्यक हो गया था जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा इंडिपेन्डेंट इंजीनियर की सेवाओं में दिनांक 31.12.2025 तक प्रथम अंतरिमवृद्धि (1st EOT) यूपीडा के पत्रांक 4651/यूपीडा/2475/ तक० दिनांक 20 नवम्बर 2025 द्वारा प्रदान की गयी है।





उपरोक्तानुसार चारों ग्रुप्स के कन्सेसनायर्स को दिनांक 31.12.2025 तक प्रदान समयवृद्धि तथा 90 दिनों की ग्रेस अवधि मिलाकर दिनांक 31.03.2026 तक कार्य पूर्ण करने की तिथि के दृष्टिगत चारों ग्रुप के इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स द्वारा सीओडी निर्गत करने हेतु उनकी उपलब्धता होने के लिए निम्नानुसार द्वितीय अंतरिमवृद्धि (IInd EOT) प्रदान की गई-

क्र० सं०	ग्रुप न०	इंडिपेन्डेंट इंजीनियर का नाम	पत्र सं० जिससे अंतरिम समय विस्तार किया गया है	द्वितीय अंतरिमवृद्धि तिथि
1	I	मे० लॉयन इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०	6885/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 25 फरवरी 2026	31.03.2026
2	II	मे० एम०एस०वी० इण्टरनेशनल, आईएनसी	6885/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 25 फरवरी 2026	31.03.2026
3	III	मे० लॉयन इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०	6885/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 25 फरवरी 2026	31.03.2026
4	IV	मे० ध्रुव कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि०	6885/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 25 फरवरी 2026	31.03.2026

अवगत कराना है कि चारों ग्रुप के कन्सेसनायर्स को सीओडी प्रारम्भ होने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिनांक 27.04.2026 को निर्गत किया गया, जिसके साथ संलग्न पंचलिस्ट आइटम्स की तालिका में वर्णित कार्यों को 90 दिन की अवधि में पूर्ण करने का प्राविधान है। पंचलिस्ट में वर्णित कार्यों के कन्सेसनायर्स द्वारा सुचारु रूप से पूर्ण किये जाने का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु चारों ग्रुप के इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स को निम्नानुसार तृतीय अंतरिमवृद्धि (IIIrd EOT) प्रदान की गई है-

क्र० सं०	ग्रुप न०	इंडिपेन्डेंट इंजीनियर का नाम	पत्र सं० जिससे अंतरिम समय विस्तार किया गया है	तृतीय अंतरिमवृद्धि तिथि
1	I	मे० लॉयन इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०	1537/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 01 जून 2026	31.05.2026
2	II	मे० एम०एस०वी० इण्टरनेशनल, आईएनसी	1537/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 01 जून 2026	31.05.2026
3	III	मे० लॉयन इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०	1537/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 01 जून 2026	31.05.2026
4	IV	मे० ध्रुव कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि०	1537/यूपीडा/2475/तक० दिनांक 01 जून 2026	31.05.2026

वित्तीय प्रभाव-अनुबन्धित समय सीमा में विस्तार के पश्चात पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आंकलन निम्नानुसार है:-

Contract Value			Group-I	Group-II	Group-III	Group-IV
1	Construction Period 03 years	a	17,80,50,700	21,10,51,200	17,32,53,700	18,78,75,500
2	Maintenance Period	b	3,96,52,600	4,36,48,800	3,85,08,600	3,99,21,000
	Total CV		21,77,03,300	25,47,00,000	21,17,62,300	22,77,96,500
Actual Amount Claimed/paid upto Feb' 2026 (EOT-2) without escalation & GST		I	15,93,93,381	18,36,82,505	16,54,27,708	19,39,83,101
Additional tentative expenditure during EOT period from 01.03.2026 to 31.03.2026 without escalation & GST		II	35,00,000	40,00,000	40,00,000	51,00,000
Additional tentative expenditure during EOT period from 01.04.2026 to 31.05.2026 without escalation & GST		III	62,17,700	69,78,000	74,50,000	1,09,55,400
Total Tentative Expenditure during Construction Period + EOT Period		IV	16,91,11,081	19,46,60,505	17,68,77,708	21,00,38,501
Net Implication during Construction Period over Contract Value		(V)= a-IV	89,39,619	1,63,90,695	(36,24,008)	(2,21,63,001)

सभी कन्सेसनायर्स के साथ गठित कन्सेशन अनुबन्ध में इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स से सम्बन्धित शङ्क्यूल-पी क्लॉज 2.1 'फीस व एक्सपेन्सेज' के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है-

"In determining the nature and quantum of duties and services to be performed by the Independent Engineer During the Development period and construction period, the Authority shall endeavour that payments to the Independent Engineer on account of fee & expenses do not exceed 2% (two percent) of the Total Project Cost. Payments not exceeding such 2% (two percent) shall be borne equally by the Authority and the Concessionaire in

833 9

accordance with the provisions of the Agreement and any payments in excess thereof shall be borne entirely by the Authority".

The Table below shows the status of estimated expenditure of IE:

Group No.	Contract Amount (Rs. in cr.)	Equity Support (Rs. in cr.)	Total Project Cost (Rs. in cr.)	Remuneration limit set by Schedule-P @2% of TPC (Rs. in cr.)	Estimated Expenditure (construction period) for IE with EOT-3 (Rs. in cr.)
1	2	3	4	5	6
I	5,039.85	1,746	3,293.85	65.88	16.91
II	5,647.71	1,720	3,927.71	78.55	19.47
III	5,810.99	2,177	3,633.99	72.68	17.69
IV	5,626.46	2,099	3,527.46	70.55	21.00

उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 व 6 से स्पष्ट है कि निर्माण अवधि के दौरान प्रदत्त EOT-3 तक चारों ग्रुपों के इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स हेतु अनुमानित व्यय कन्सेशन अनुबन्ध के शिड्यूल-पी में प्राविधानित 2% (two percent) की सीमा के अन्दर है।

निदेशक मण्डल का गंगा एक्सप्रेसवे के चारों ग्रुपों के इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स को प्रदान की गयी दिनांक 31.03.2026 तक द्वितीय समयवृद्धि तथा दिनांक 31.05.2026 तक तृतीय समयवृद्धि विषयक प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-17-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चारों ग्रुप्स हेतु डेवलपमेन्ट एवं कन्स्ट्रक्शन फेज के लिए नियुक्त सेफ्टी कन्सल्टेन्ट्स की सेवायें समाप्त होने के सम्बन्ध में

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चारों ग्रुप्स के कन्सेशनार के साथ गठित कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 18 'सेफ्टी रिकवायरमेन्ट्स' में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा सेफ्टी कन्सल्टेन्ट्स की निम्न विवरण के अनुसार नियुक्ति की गई, जिस पर यूपीडा बोर्ड की 87 वीं बैठक दिनांक 13.02.2024 में अनुमोदन प्राप्त है:-

ग्रुप सं०	सेफ्टी कन्सल्टेन्ट का नाम	अनुबन्ध की तिथि	सेवा प्रारम्भ की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	अनुबन्ध की धनराशि (रु०)		
					डेवलपमेन्ट फेज	कन्स्ट्रक्शन फेज	कुल धनराशि
I	इंडियन इन्फ्राटेक प्रा० लि०	01.02.2024	11.03.2024	10.03.2027	20,00,000	50,00,000	70,00,000
II	इंडियन इन्फ्राटेक प्रा० लि०	01.02.2024	11.03.2024	10.03.2027	20,00,000	50,00,000	70,00,000
III	राइट्स लि०	05.02.2024	09.02.2024	08.02.2027	18,89,300	85,10,700	1,04,00,000
IV	राइट्स लि०	05.02.2024	09.02.2024	08.02.2027	18,96,400	85,03,600	1,04,00,000

उपरोक्त तालिका में उद्धृत विवरण के अनुरूप ग्रुप-I एवं ग्रुप-II में सेवा समाप्ति की तिथि 10 मार्च 2027 एवं ग्रुप-III एवं ग्रुप-IV में 08 फरवरी 2027 निर्धारित है।

अनुबन्ध के शिड्यूल-एल में प्राविधानित स्कोप के अन्तर्गत उपरोक्त सेफ्टी कन्सल्टेन्ट्स की नियुक्ति डेवलपमेन्ट एवं कन्स्ट्रक्शन फेज के लिए की गयी है। वर्तमान में परियोजना पर विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 27.04.2026 को कामर्शियल ऑपरेशन डेट निर्धारित किया गया जिसके पश्चात् गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना ऑपरेशन एवं मेंटेनेन्स स्टेज में प्रवेश कर गयी है।

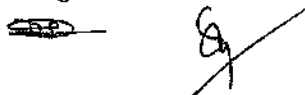
स्कोप के अन्तर्गत सेफ्टी कन्सल्टेन्ट्स को डिजाइन की सेफ्टी ऑडिट के साथ निर्माण कार्य में आवधिक सेफ्टी ऑडिट कर अपनी अभ्युक्ति देनी तथा इन पर कम्प्लायेंस का अनुश्रवण किया जाना सम्मिलित है। परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्री सीओडी सेफ्टी ऑडिट किया जाना भी स्कोप में सम्मिलित है।

सेफ्टी कन्सल्टेन्ट्स द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त दिनांक 27.04.2026 को इंडिपेन्डेंट इंजीनियर्स द्वारा परियोजना के लिए सीओडी जारी की गयी है।

सेफ्टी कन्सल्टेन्ट्स के अनुबन्ध के स्पेशल कन्डीशन के प्रस्तर 2.3 में कान्ट्रैक्ट की अवधि के संबंध में प्राविधान निम्नानुसार उद्धृत है-

"the time period shall be till the completion of the main project."

उक्त के अनुसार चारों ग्रुप्स हेतु डेवलपमेन्ट एवं कन्स्ट्रक्शन फेज के लिए नियुक्त सेफ्टी कन्सल्टेन्ट्स के अनुबन्ध को निम्न विवरण के अनुसार समाप्त कर दिया गया:-



सं०	सेप्टी कन्सल्टेन्ट का नाम	सेवा समापन की तिथि	पत्रांक संदर्भ
I	इंडियन इन्फ्राटेक प्रा० लि०	30.04.2026	1185/UPEIDA/25/3411/Tech., दिनांक 18.05.2026
II	इंडियन इन्फ्राटेक प्रा० लि०	30.04.2026	1187/UPEIDA/25/3412/Tech., दिनांक 18.05.2026
III	राइड्स लि०	30.04.2026	1188/UPEIDA/25/3413/Tech., दिनांक 18.05.2026
IV	राइड्स लि०	30.04.2026	1190/UPEIDA/25/3414/Tech., दिनांक 18.05.2026

अनुबन्ध के समाप्त होने के फलस्वरूप चारों ग्रुप्स में अनुबन्ध की धनराशि के सापेक्ष सम्भावित व्यय निम्न विवरण के अनुसार है:-

सं०	सेप्टी कन्सल्टेन्ट का नाम	अनुबन्ध की धनराशि (रु०)	सम्भावित व्यय की धनराशि (रु०)	बचत धनराशि (रु०)
I	इंडियन इन्फ्राटेक प्रा० लि०	70,00,000	51,00,001	18,99,999
II	इंडियन इन्फ्राटेक प्रा० लि०	70,00,000	51,00,001	18,99,999
III	राइड्स लि०	1,04,00,000	79,95,719	24,04,281
IV	राइड्स लि०	1,04,00,000	79,98,560	24,01,440

उपरोक्तानुसार दिनांक 30.04.2026 से गंगा एक्सप्रेसवे के चारों ग्रुप्स में डेवलेपमेंट एवं कन्स्ट्रक्शन फेज हेतु नियुक्त सेप्टी कन्सल्टेन्ट्स की सेवाओं की अनुबन्ध अवधि समाप्त हो गयी है। तदनुसार प्रकरण मा० निदेशक मण्डल के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-18-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर चारों ग्रुप्स के विकासकर्ताओं को कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

593.947 किमी० लम्बे प्रवेश नियंत्रित 06 लेन चौड़े (विस्तारणीय 08 लेन) गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पी०पी०पी (डी०बी०एफ०ओ०टी०) पद्धति पर विकासकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। उक्त परियोजना 04 ग्रुपों में विभक्त है एवं तदनुसार 04 विकासकर्ताओं का चयन किया गया। ग्रुपवार विकासकर्ताओं एवं ग्रुप की लम्बाई का विवरण क्रमशः निम्नवत है:-

क्रम सं०	ग्रुप न०	विकासकर्ता का नाम	लम्बाई (किमी०)
1	I	मे० मेरठ-बदायूँ एक्सप्रेसवे लि०	129.700
2	II	मे० बदायूँ-हरदोई रोड प्रा० लि०	151.700
3	III	मे० हरदोई-उन्नाव रोड प्रा० लि०	155.700
4	IV	मे० उन्नाव-प्रयागराज रोड प्रा० लि०	156.847

गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334 पर जनपद-मेरठ के बिजौली ग्राम से प्रारम्भ होकर जनपद-प्रयागराज में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 के जूडापुर दाँदू ग्राम पर समाप्त होती है। एक्सप्रेसवे के संरेखण से प्रदेश के 12 जनपद क्रमशः मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आच्छादित है।

परियोजना के सिविल निर्माण में 593.847 किमी० एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिसमें जनपद-शाहजहाँपुर में 3.50 किमी० की लम्बाई में हवाई पट्टी भी सम्मिलित है। एक्सप्रेसवे के संरेखण में 07 आर०ओ०बी०, 14 वृहत सेतु, 32 फ्लाई ओवर, एवं 453 अण्डरपासेस का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त क्रास डैनेज स्ट्रक्चर में 165 लघु सेतु, 795 बॉक्स कलवर्ट एवं हयूम पाईप कलवर्ट का निर्माण भी किया गया है।

निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात परियोजना को सुरक्षित एवं विश्वस्त रूप से कॉमर्शियल ऑपरेशन प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 15.1.1 में निम्न प्राविधान दिया गया है:-

15.1.1 Project Expressway shall be deemed to be completed when the Completion Certificate or Provisional Certificate, as the case may be, is issued under the provisions of Article 14 and accordingly the commercial operation date of the Project shall be the date on which such Completion Certificate or the Provisional Certificate is issued (the "COD"). The Project Expressway shall enter into commercial service on COD whereupon the Concessionaire shall be entitled to demand and collect Fee in accordance with the provisions of Article 27.

उपरोक्त प्राविधान में निहित प्रोविजनल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में कन्सेशन एग्रीमेंट के अनुबन्ध के आर्टिकल 14.3 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

14.3 Provisional Certificate

14.3.1 Subject to the provisions of Clause 14.3.2, the Independent Engineer may, at the request of the Concessionaire, issue a provisional certificate of completion substantially in the form set forth in Schedule-J (the "Provisional Certificate") if the Tests are successful and the Project Expressway can be safely and reliably placed in commercial operation though certain works or things forming part thereof are outstanding and not yet complete. In such an event, the Provisional Certificate shall have appended thereto a list of outstanding items signed jointly by the

Independent Engineer and the Concessionaire (the "Punch List"); provided that the Independent Engineer shall not withhold the Provisional Certificate for reason of any work remaining incomplete if the delay in completion thereof is due to is attributable to the Authority; provided further that the Punch List shall also include the cost of completion for each of the outstanding items.

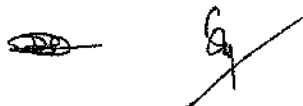
तत्कम में चारों गुप्स के विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना पर सिविल निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त किये गये अनुरोध पर अनुबन्धानुसार सम्बन्धित गुप के इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर द्वारा आर्टिकल 14.3 के अन्तर्गत उल्लिखित शिड्यूल-J के प्रारूप पर निम्न विवरण के अनुसार प्रोविजनल सर्टिफिकेट निर्गत किये गये हैं:-

गुप नं०	विकासकर्ता का नाम	कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD)	इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर का पत्रांक संदर्भ
I	मे० मेरठ-बदायूँ एक्सप्रेसवे लि०	27.04.2026	LION/IE3622/TL/Ganga EX-I/841 dated 28.04.2026
II	मे० बदायूँ-हरदोई रोड प्रा० लि०	27.04.2026	MSV/PRJ/368/UPEIDA/IE/Ganga Exp.-II/TL/2026-27/2802 dated 27.04.2026
III	मे० हरदोई-उन्नाव रोड प्रा० लि०	27.04.2026	LION/IE3722/TL/Ganga Ex-III/843 dated 28.04.2026
IV	मे० उन्नाव-प्रयागराज रोड प्रा० लि०	27.04.2026	IE/UPEIDA/Gr. IV/2025-26/2611 dated 28.04.2026

उपरोक्तानुसार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चारों गुप्स हेतु कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) 27.04.2026 को निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में परियोजना ऑपरेशन्स एवं मेन्टेनेन्स स्टेज में प्रवेश कर गयी है।

उपरोक्त के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चारों गुप पर कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट 27.04.2026 निर्धारित किये जाने विषयक प्रकरण निदेशक मण्डल के समक्ष संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।



एजेण्डा बिन्दु सं.-19-**Service Contract Extension for FY 2026-27 of M/s RTDT Laboratories AG (Spin-off company of ETH University, Zurich) and advance payment of 36'000 CHF for Riding Quality & Riding Comfort Assessment of Ganga Expressway.**

It is well aware that UPEIDA has conducted the Riding Quality & Riding Comfort Assessment Tests during Construction of Ganga Expressway in respective group as per progress of Bituminous Concrete (B.C.) work by using testing vehicle (Innova) of UPEIDA equipped with sensor and hardware provided by ETH University, Zurich & RTDT Laboratories AG (Spin-off company of ETH University, Zurich).

2. In this regard, an agreement vide ref. no. *rttdt-07-052024-UPEIDA* dtd. 08.06.2024 between RTDT Laboratories AG, Zurich and UPEIDA was signed for total amount of 298'279 CHF (INR 2,74,08,985) which was valid upto 31.12.2025.

3. Since the total work was to be completed upto 31.12.2025 but due to delay in work of Bituminous Concrete (B.C.) by Concessionaires, the same could not be done within stipulated time frame.

4. RTDT Laboratories AG, Zurich had further applied and requested the extension of time upto 31.12.2026 vide draft of Service contract Extension ref. no. *RTDT-20251216-037-UPEIDA* dtd. 16.12.2025 and further WhatsApp intimation dated 25.12.2025 for balance work and further extension of time for the same routine work on same rate, terms & condition amounting to 36,000 CHF up-to 31.03.2027.

5. The summary of extension letter of RTDT Laboratories AG, Zurich for balance work which was to be completed from 01.01.2026 to 31.03.2026 and new assignment from 01.04.2026 to 31.03.2027 are as under:

Pricing for Ganga Expressway-

Cloud Storage & Computing RTDT reporting platform & IRI, RI, CI analysis	Cloud Hosting from 01.01.2026 until 31.03.2026 Cloud Computing from 01.01.2026 until 31.03.2026	Free extension of 2025 agreement
Cloud Storage & Computing RTDT reporting platform & IRI, RI, CI analysis	Cloud Hosting from 01.04.2026 until 31.03.2027 Cloud Computing from 01.04.2026 until 31.03.2027	36'000 CHF

VAT is 0.00% on this transaction due to export of services.

Payment Terms-

Upon signing of this agreement, one or several invoices shall be issued by RTDT Laboratories AG to the client. Payment by the Client shall be made in full in CHF currency within 30 day period from the date of invoice.

6. A meeting with regard to the extension of Service Agreement dtd. 08.06.2024 of RTDT Laboratories AG, Zurich for the Assessment of Riding Quality & Riding Comfort for Ganga Expressway was convened under the Chairmanship of ACEO, which was attended by FC, CE-I, Sr.CGM, CGM, GMs and Managers. The deliberations and conclusions on the subject in the meeting are as follows:

(i) The extension of Service Agreement of RTDT Laboratories AG, Zurich for 03 months from 01.01.2026 to 31.03.2026 to keep the contract alive without any financial liabilities for the balance work of Ganga Expressway.

(ii) It was discussed and agreed upon that it shall be prudent to grant extension to RTDT Laboratories AG, Zurich from 01.04.2026 to 31.03.2027 (i.e. for one year) and the necessary charges i.e. 36'000 CHF shall be borne by UPEIDA so that the services of RTDT Laboratories AG, Zurich can be utilized further, as such, their technology has already been procured by the Authority for present and future assessment of Riding Quality & Riding Comfort.

7. In view of above, the note for extension of time of Service Agreement to be granted to RTDT Laboratories AG, Zurich was proposed in the following manner-

(a) From 01.01.2026 to 31.03.2026 without any financial liabilities.

(b) From 01.04.2026 to 31.03.2027 with charges of 36,000 CHF to be borne by UPEIDA.

The above proposal was approved by Competent Authority of UPEIDA on 27.01.2026 and Service contract Extension for 2026 for Ganga Expressway to these effects was also signed on 09.02.2026 between RTDT Laboratories AG, Zurich & UPEIDA.

8. Subsequently, RTDT Laboratories AG, Zurich had submitted the Invoice on email dated 19.03.2026 of 36'000 CHF for payment for full amount for the recently executed service agreement for Financial Year 2026-27, which has been reproduced as under:

"This is the invoice for road quality & comfort assessments on Ganga Expressway, as defined in the service agreement with reference number "RTDT-20251225-037-UPEIDA" dated 25.12.2025.

Item	Material /Description	Quantity	Price CHF	Amount CHF
------	-----------------------	----------	-----------	------------




S. No.	Bidders Name	Total Bid Price (For eight No. of Ambulances for 03 years)	Per Month per ambulance hiring cost (inclusive of all taxes including GST)	Rank
3.	M/s Lifejet Cardiac Ambulance Service	4,86,72,000.00	1,69,000.00	L-3
4.	M/s Zenplus Pvt. Ltd.	6,87,73,824.00	2,38,798.00	L-4
5.	M/s Eminence Youth Power Pvt. Ltd	7,48,99,872.00	2,60,069.00	L-5

4— उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Krishna Health Care Services को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार M/s Krishna Health Care Services को दिनांक 13.05.2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड निर्गत किया गया था तथा दिनांक 05.06.2026 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया 'यूपीडा द्वारा संचालित एक्सप्रेसवेज पर एडवान्सड कैटेगरी लाइफ सपोर्ट इक्यूपमेंट सहित हाई रूफ एम्बुलेंसेस उपलब्ध कराने के लिये सेवा प्रदाता नियुक्त किये जाने के लिए जेम पोर्टल पर जारी किये गये निविदा अभिलेख एवं निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Krishna Health Care Services के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-21-

'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे', 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे', 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' एवं 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2026-27 हेतु संशोधित टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन

अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-2747/77-3-17-37 एम-12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" जारी की गई थी, जिसके प्राविधानों के अनुसार विभिन्न एक्सप्रेसवेज पर टोल की दरों का निर्धारण किया गया था। उक्त नियमावली के नियम-5 (फीस की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण) के अंतर्गत टोल की निर्धारित दरों को प्रत्येक वर्ष डब्ल्यू0पी0आई0 के आधार पर संशोधित कर 01 अप्रैल, से संशोधित टोल दरों को लागू किये जाने का प्राविधान है।

(2) उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-02/2018/235/77-3-2018-37 एम-12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्ताव-4 द्वारा वर्ष 2017-18 की टोल दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा टोल नियमावली के उक्त प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित टोल दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) को लागू किया जाता रहा है।

उक्त नियमावली के नियम सं0-5 के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधित टोल दरों का निर्धारण थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) के आधार पर निम्नवत् सूत्र के अनुसार किया जाता है:-

$$\text{प्रवृत्त फीस दर} = \text{आधार दर} + \left\{ \frac{\text{आधार दर} \times \text{थोक मूल्य सूचकांक 'क' - थोक मूल्य सूचकांक 'ख'}}{\text{थोक मूल्य सूचकांक 'ख'}} \right\} \times 0.4$$

वर्ष 2026-27 के लिये 'क' = WPI as on December 2025 & 'ख' = WPI as on December 2016

(3) अवगत कराना है कि 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे', 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे', 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' एवं 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' हेतु वर्ष 2026-27 के लिये संशोधित टोल दरों के निर्धारण के लिये ई-टेण्डर के

माध्यम से पूर्व में घयनित कन्सलटेन्ट M/s Deloitte Touche Tohmatsu India LLP के श्री संजीव त्रिपाठी को यूपीडा के पत्र संख्या-6641/यूपीडा/2025/3391/प्रोक्यो0 दिनांक 16.02.2026 द्वारा कार्य आवंटित किया गया था, जिसके क्रम में श्री संजीव त्रिपाठी द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे', 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे', 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' एवं 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' हेतु वर्ष 2026-27 के लिये संशोधित टोल दरों का आंगणन उपलब्ध कराया गया था।

(4) उपरोक्तानुसार परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल दरों के संशोधन हेतु अधिसूचना संख्या-02/2018/235/77-3-2018-37 एम-12 दिनांक 15.01.2018 के आधार पर सभी एक्सप्रेसवे के लिए वर्ष 2026-27 हेतु प्रति कि०मी० संशोधित आधार दर निम्नवत् है :-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	वर्ष 2017-18 के लिये दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई० 343.32) पर आधारित फीस की प्रति कि०मी० आधार पर टोल दर (रुपये में)	वर्ष 2026-27 के लिये दिसम्बर 2025 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई० 483.17) पर आधारित फीस की प्रति कि०मी० आधार पर टोल दर (रुपये में)
1	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	2.20	2.55
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.50	4.05
3	बस या ट्रक	7.05	8.20
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	10.85	12.60
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	13.85	16.10

निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2026-27 के लिये दिसम्बर, 2025 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई० 483.17) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:-

वर्ष 2026-27 के लिये फीस की आधार दर रु० में (प्रति वाहन प्रति फेरा)						
क्रम सं०	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रु० में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	बस या ट्रक	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)
1	10-15	7.00	10.45	20.85	30.70	41.80
2	रु० 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रु० 100 करोड़ तक	1.40	2.10	4.20	6.30	8.35
3	रु० 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रु० 200 करोड़ तक	1.05	1.65	3.15	4.75	6.30
4	रु० 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.70	1.05	2.10	3.15	4.20

(5) "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार यूपीडा के विभिन्न एक्सप्रेसवेज पर यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2026-27 हेतु (प्रति फेरा) आंगणित की गई संशोधित टोल दरें एवं वर्ष 2025-26 की दरों से तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे				
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रु० में) 25 प्रतिशत छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रु० 5/- की राउंडिंग सहित)		
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	प्रतिशत वृद्धि
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर	330	330	0.00
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	665	665	0.00
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1045	1045	0.00
4	बस या ट्रक	2100	2115	0.71
5	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	3225	3235	0.31

का

54

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे			
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रु में) 25 प्रतिशत छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रु 5/- की राउडिंग सहित)	
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	4145	4155
			प्रतिशत वृद्धि
			0.24
		औसत वृद्धि	
		0.21 प्रतिशत	

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे			
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रु में) 25 प्रतिशत छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रु 5/- की राउडिंग सहित)	
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर्स	350	350
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	700	700
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1105	1105
4	बस या ट्रक	2225	2240
5	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	3420	3430
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	4385	4400
			प्रतिशत वृद्धि
			0.67
			0.29
		औसत वृद्धि	
		0.22 प्रतिशत	

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे			
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रु में) 25 प्रतिशत छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रु 5/- की राउडिंग सहित)	
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर्स	315	315
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	635	635
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1000	1000
4	बस या ट्रक	2010	2025
5	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	3085	3100
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	3965	3980
			प्रतिशत वृद्धि
			0
			0
			0
			0.75
			0.49
		औसत वृद्धि	
		0.27 प्रतिशत	

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे			
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रु में) 25 प्रतिशत छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रु 5/- की राउडिंग सहित)	
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर्स	140	145
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	285	295
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	440	440
4	बस या ट्रक	840	845
5	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	1335	1345
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	1745	1755
			प्रतिशत वृद्धि
			3.57
			3.51
			0
			0.59
			0.75
		औसत वृद्धि	
		1.50 प्रतिशत	

उपरोक्तानुसार टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे', 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे', 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' एवं 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2026-27 हेतु आंगणित संशोधित टोल दरों की धनराशि के विवरण से संज्ञानित होते हुए संलग्न सूची संलग्नक-1, सूची संलग्नक-2, सूची संलग्नक-3 एवं सूची संलग्नक-4 के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

का

9

7/10/22

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Single Trip (Rounded Off Rates)																
The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27																
Toll Rates for Two Wheeler / Three Wheeler / Legally Registered Vehicle																
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates																
	1	2	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11	12	13	14	15
1	0	25	65	90	110	120	125	135	150	170	190	210	220	235	270	300
2	0	0	40	65	85	95	100	110	125	145	160	180	190	205	240	270
3			0	20	45	60	65	75	85	105	120	140	150	165	200	230
4				0	20	50	55	65	75	95	110	130	140	155	190	220
5					0	10	15	25	35	55	70	90	100	115	150	180
6						0	5	15	25	45	60	80	90	105	140	170
7							0	10	25	45	60	80	90	105	140	170
8								0	15	35	55	75	85	100	135	165
8A									0	20	35	55	65	80	115	145
9										0	15	30	40	50	85	115
10											0	10	25	35	70	100
11												0	10	25	60	90
12													0	15	50	80
13														0	40	70
14															0	30
15																0
16																0
17																0

The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27																
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle																
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates																
	1	2	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11	12	13	14	15
1	0	55	135	180	230	240	250	270	300	340	375	415	435	455	540	635
2	0	0	80	125	170	185	200	215	235	280	315	365	385	415	490	585
3			0	45	85	105	115	125	135	165	200	240	260	290	365	460
4				0	45	60	75	80	90	120	150	195	215	245	320	415
5					0	15	30	35	45	75	105	135	155	185	260	355
6						0	15	30	35	65	100	135	155	185	260	355
7							0	15	30	65	100	135	155	185	260	355
8								0	15	70	105	140	160	190	265	360
8A									0	40	75	110	130	160	235	330
9										0	35	70	95	125	200	295
10											0	40	80	110	185	280
11												0	30	60	90	165
12													0	30	60	135
13														0	55	110
14															0	45
15																0
16																0
17																0

Toll rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Single Trip (Rounded Off Rates)																
The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27																
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus																
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates																
	1	2	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11	12	13	14	15
1	0	85	210	280	350	375	395	425	475	535	590	655	690	735	855	1000
2	0	0	130	200	265	290	315	340	390	455	510	575	605	655	770	915
3			0	70	135	165	185	210	265	325	380	445	475	525	640	785
4				0	65	95	115	140	195	255	310	375	410	455	570	715
5					0	25	50	75	125	180	245	310	340	390	505	650
6						0	20	50	100	160	215	280	315	360	480	625
7							0	25	80	140	195	260	295	340	465	610
8								0	55	115	170	235	265	315	440	585
8A									0	60	115	180	215	260	385	530
9										0	55	120	150	200	315	460
10											0	65	95	145	260	410
11												0	30	80	195	345
12													0	45	105	250
13														0	115	265
14															0	85
15																0
16																0
17																0

The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27																
Toll Rates for Bus or Truck																
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates																
	1	2	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11	12	13	14	15
1	0	170	425	565	700	765	800	855	960	1085	1245	1435	1590	1805	2120	2515
2	0	0	235	400	535	585	630	685	790	915	1025	1160	1285	1470	1785	2180
3			0	140	275	330	375	420	525	650	770	900	965	1060	1295	1690
4				0	135	190	230	285	390	520	630	760	825	910	1155	1550
5					0	55	85	110	140	285	395	525	590	705	950	1345
6						0	45	100	205	330	440	570	635	750	1000	1395
7							0	50	160	285	395	530	595	710	1000	1395
8								0	105	330	440	575	640	755	1045	1440
8A									0	125	285	410	475	590	880	1275
9										0	110	245	305	420	710	1105
10											0	130	195	280	570	965
11												0	85	160	350	745
12													0	85	305	695
13														0	235	630
14															0	175
15																0
16																0
17																0

2022

8/

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Return Trip (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	135	340	450	540	600	635	675	760	860	945	1050	1105	1180	1365	1505	1675
2		0	205	315	425	465	500	545	630	725	815	920	970	1045	1230	1370	1540
3			0	110	220	280	295	340	425	520	610	715	765	840	1025	1165	1335
4				0	105	180	185	225	310	410	495	600	650	730	915	1055	1225
5					0	45	75	120	205	300	390	495	545	620	805	945	1120
6						0	35	75	160	260	345	450	500	580	765	905	1075
7							0	45	130	225	315	420	470	545	730	870	1040
8								0	85	185	270	375	425	500	690	825	1000
9									0	100	185	290	340	415	605	745	915
10										0	85	190	245	320	505	645	815
11											0	105	155	230	415	555	730
12												0	75	260	400	580	775
13													0	185	325	425	500
14														0	140	235	310
15															0	100	170
16																0	75
17																	0

The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Bus or Truck
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	370	680	905	1125	1210	1280	1365	1535	1735	1915	2125	2225	2380	2750	3035	3380
2		0	410	635	855	940	1010	1095	1265	1465	1645	1855	1955	2110	2480	2765	3110
3			0	225	440	530	595	685	855	1055	1230	1445	1545	1700	2070	2355	2700
4				0	215	360	370	460	630	830	1005	1215	1320	1470	1845	2135	2475
5					0	85	155	240	415	610	790	1000	1105	1255	1630	1920	2260
6						0	70	155	325	525	705	915	1015	1170	1540	1825	2170
7							0	90	260	460	635	845	950	1100	1475	1755	2105
8								0	170	370	545	760	860	1015	1385	1670	2015
9									0	200	375	590	690	845	1215	1505	1845
10										0	175	390	480	645	1015	1300	1645
11											0	210	315	465	840	1120	1470
12												0	105	355	630	910	1260
13													0	155	525	805	1155
14														0	370	655	1000
15															0	280	630
16																0	350
17																	0

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Return Trip (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	415	1040	1390	1715	1850	1955	2090	2350	2660	2990	3255	3415	3645	4210	4645	5180
2		0	625	975	1300	1435	1540	1675	1935	2240	2515	2840	2995	3230	3795	4230	4765
3			0	345	675	810	915	1050	1310	1615	1890	2115	2370	2605	3170	3605	4140
4				0	330	460	565	700	955	1270	1540	1865	2025	2260	2825	3255	3790
5					0	130	235	370	635	940	1215	1535	1695	1930	2495	2930	3460
6						0	105	210	500	810	1080	1405	1565	1800	2365	2795	3330
7							0	135	395	705	975	1300	1460	1695	2260	2690	3225
8								0	260	570	840	1165	1325	1560	2120	2555	3090
9									0	305	580	905	1060	1295	1860	2295	2830
10										0	270	585	755	990	1555	1985	2520
11											0	325	485	715	1280	1715	2250
12												0	160	395	950	1390	1925
13													0	235	800	1230	1765
14														0	565	1000	1530
15															0	435	965
16																0	305
17																	0

The Link-wise Toll Rates for Agra-Lucknow Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	530	1345	1785	2215	2380	2515	2690	3025	3415	3765	4175	4380	4680	5415	5970	6650
2		0	810	1255	1680	1850	1985	2150	2495	2885	3290	3645	3850	4150	4885	5440	6120
3			0	445	870	1040	1175	1345	1690	2070	2470	2835	3035	3335	4075	4630	5310
4				0	425	585	730	900	1235	1620	1975	2390	2595	2895	3630	4185	4865
5					0	170	305	475	810	1200	1550	1965	2165	2465	3205	3755	4440
6						0	135	305	640	1035	1380	1795	1995	2295	3035	3585	4270
7							0	175	510	900	1245	1660	1865	2165	2905	3455	4145
8								0	335	725	1075	1490	1690	1990	2735	3285	3975
9									0	390	780	1195	1395	1695	2440	2990	3680
10										0	415	815	915	1155	2205	2755	3445
11											0	205	505	1240	1785	2330	2920
12												0	300	1035	1580	2125	2715
13													0	735	1290	1835	2425
14														0	555	940	1335
15															0	380	680
16																0	295
17																	0

SDP

4

[illegible][illegible][illegible]

The Link-wise Toll Rates for Agri-Lutknow Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27																												
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)																												
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

**Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Single Trip
(Rounded Off Rates)**

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

[illegible]

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	115	180	275	395	445	515	580	610	645	730	845	965	1105
B		0	65	165	285	335	405	470	495	530	620	730	855	995
C			0	100	220	270	340	405	430	465	555	665	790	930
D				0	120	170	240	305	330	370	455	565	690	830
E					0	50	120	185	210	250	335	445	570	710
F						0	70	135	160	200	285	395	520	660
G							0	65	90	130	215	325	450	590
H								0	25	65	150	260	385	525
H1									0	35	125	235	360	500
I										0	85	200	320	460
J											0	110	235	375
K												0	125	265
L													0	140
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Bus or Truck
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	230	360	560	805	905	1045	1175	1230	1305	1480	1705	1955	2240
B		0	130	330	575	675	815	945	1000	1075	1250	1475	1725	2010
C			0	195	445	545	685	815	870	945	1120	1345	1595	1880
D				0	245	345	485	615	670	745	925	1145	1395	1680
E					0	100	240	370	425	500	675	900	1150	1435
F						0	140	270	325	400	575	800	1050	1335
G							0	130	185	260	435	660	910	1195
H								0	55	130	305	530	780	1065
H1									0	75	250	475	725	1010
I										0	175	400	650	935
J											0	225	475	755
K												0	250	535
L													0	285
M														0

- 2 -

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	350	555	855	1230	1385	1605	1805	1885	2005	2275	2615	2995	3430
B		0	205	505	880	1035	1250	1450	1535	1650	1920	2260	2645	3080
C			0	300	680	830	1050	1250	1335	1450	1720	2060	2440	2880
D				0	380	530	750	950	1035	1150	1420	1760	2140	2580
E					0	155	370	570	655	770	1040	1380	1765	2200
F						0	215	415	500	615	885	1225	1610	2045
G							0	200	285	400	670	1010	1390	1830
H								0	85	200	470	810	1190	1630
H1									0	115	385	725	1110	1545
I										0	270	610	990	1430
J											0	340	720	1160
K												0	380	820
L													0	435
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	450	710	1095	1580	1775	2055	2310	2415	2565	2910	3350	3840	4400
B		0	260	650	1130	1325	1605	1860	1970	2115	2460	2905	3390	3950
C			0	390	870	1070	1345	1600	1710	1855	2200	2645	3130	3690
D				0	480	680	955	1210	1320	1465	1810	2255	2745	3300
E					0	195	475	730	835	985	1330	1775	2260	2820
F						0	275	535	640	790	1135	1575	2065	2625
G							0	255	365	510	855	1300	1785	2345
H								0	110	255	600	1045	1530	2090
H1									0	145	490	935	1425	1980
I										0	345	790	1275	1835
J											0	445	930	1490
K												0	490	1045
L													0	560
M														0

- 3 -

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Return Trip (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Two Wheeler / Three Wheeler / Locally Registered Tractor
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	55	90	140	200	225	260	295	305	325	370	425	490	560
B		0	35	85	145	170	205	235	250	270	315	370	430	505
C			0	50	110	135	170	205	215	235	280	335	400	470
D				0	60	85	120	155	165	185	230	285	350	420
E					0	25	60	90	105	125	170	225	290	360
F						0	35	70	80	100	145	200	265	335
G							0	45	65	110	165	230	300	375
H								0	15	80	135	200	275	350
H1									0	20	60	120	185	250
I										0	45	100	165	235
J											0	55	120	190
K												0	60	135
L													0	70
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	115	180	280	400	450	520	585	615	650	740	855	975	1120
B		0	65	165	290	340	410	475	500	540	625	740	865	1005
C			0	100	220	270	340	405	435	470	560	675	800	940
D				0	120	170	240	305	335	370	460	575	700	840
E					0	50	120	185	210	250	335	450	575	715
F						0	70	135	160	200	285	400	525	665
G							0	65	90	130	215	330	455	595
H								0	25	65	130	265	390	530
H1									0	35	125	240	365	505
I										0	85	200	325	470
J											0	115	240	380
K												0	125	265
L													0	140
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	180	285	440	635	715	825	930	970	1030	1170	1350	1545	1770
B		0	105	260	455	535	645	750	790	850	990	1170	1365	1590
C			0	155	350	430	540	645	690	745	885	1065	1260	1485
D				0	195	275	385	490	530	590	730	910	1105	1330
E					0	80	190	295	335	395	535	715	910	1135
F						0	110	215	260	315	455	635	830	1055
G							0	105	145	205	345	525	720	945
H								0	45	105	240	420	615	840
H1									0	60	200	375	575	800
I										0	140	315	515	740
J											0	180	375	600
K												0	195	420
L													0	225
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Bus or Truck
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	365	575	895	1285	1445	1670	1880	1970	2090	2370	2730	3125	3580
B		0	210	525	920	1080	1305	1515	1605	1725	2005	2365	2760	3215
C			0	315	710	870	1095	1305	1390	1510	1790	2150	2550	3005
D				0	395	555	780	990	1075	1195	1475	1835	2235	2690
E					0	160	385	595	680	800	1085	1445	1840	2295
F						0	215	435	520	640	925	1285	1680	2135
G							0	210	295	415	700	1055	1455	1910
H								0	90	210	490	850	1245	1700
H1									0	120	400	760	1160	1615
I										0	280	640	1040	1495
J											0	360	755	1210
K												0	400	855
L													0	455
M														0

8

20

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	560	885	1365	1970	2220	2565	2885	3020	3205	3635	4180	4790	5490
B		0	325	805	1410	1655	2005	2325	2460	2645	3075	3620	4230	4930
C			0	480	1085	1330	1680	2000	2135	2320	2750	3295	3905	4605
D				0	605	850	1195	1520	1650	1835	2270	2815	3425	4125
E					0	245	595	915	1050	1235	1665	2210	2820	3520
F						0	345	665	800	985	1420	1965	2575	3275
G							0	320	455	640	1070	1615	2230	2925
H								0	135	320	750	1295	1905	2605
H1									0	185	615	1160	1770	2470
I										0	430	975	1590	2285
J											0	545	1155	1855
K												0	610	1310
L													0	700
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	715	1135	1755	2525	2840	3285	3695	3865	4100	4655	5365	6145	7035
B		0	415	1035	1810	2125	2565	2975	3150	3385	3935	4645	5425	6320
C			0	620	1395	1710	2150	2560	2735	2970	3520	4230	5010	5905
D				0	770	1085	1530	1940	2110	2345	2900	3610	4390	5285
E					0	315	760	1165	1340	1575	2125	2835	3615	4510
F						0	445	850	1025	1260	1815	2520	3300	4195
G							0	410	580	820	1370	2080	2860	3755
H								0	170	410	960	1670	2450	3345
H1									0	235	790	1495	2280	3170
I										0	550	1260	2040	2935
J											0	710	1490	2385
K												0	780	1675
L													0	895
M														0

- 6 -

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Monthly Pass (20 Trips) (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Two Wheeler / Three Wheeler / Legally Registered Tractor
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	570	895	1395	2010	2260	2610	2935	3070	3255	3695	4270	4885	5595
B		0	330	830	1440	1690	2040	2365	2500	2690	3125	3700	4320	5025
C			0	500	1110	1360	1710	2035	2170	2360	2795	3370	3990	4695
D				0	615	860	1210	1535	1670	1860	2295	2870	3490	4195
E					0	250	600	925	1060	1245	1685	2260	2880	3585
F						0	350	675	810	1000	1435	2010	2630	3335
G							0	325	460	645	1085	1660	2280	2985
H								0	135	325	760	1335	1955	2660
H1									0	185	625	1200	1815	2525
I										0	435	1010	1630	2340
J											0	575	1195	1900
K												0	620	1325
L													0	710
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	1135	1795	2795	4020	4515	5220	5865	6140	6510	7385	8535	9775	11190
B		0	660	1660	2880	3380	4080	4730	5005	5375	6250	7400	8635	10055
C			0	1000	2225	2720	3425	4070	4345	4720	5595	6745	7980	9395
D				0	1225	1720	2425	3070	3345	3715	4590	5740	6980	8395
E					0	500	1200	1850	2120	2495	3370	4520	5755	7170
F						0	700	1350	1625	1995	2870	4020	5255	6670
G							0	650	920	1295	2170	3320	4555	5970
H								0	275	645	1520	2670	3905	5325
H1									0	375	1250	2400	3635	5050
I										0	875	2025	3260	4675
J											0	1150	2385	3800
K												0	1285	2650
L													0	1415
M														0

- 7 -

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	1805	2850	4415	6355	7145	8260	9290	9725	10315	11705	13490	15450	17700
B		0	1045	2610	4550	5340	6455	7485	7920	8515	9900	11685	13650	15895
C			0	1565	3505	4295	5410	6440	6875	7470	8855	10640	12605	14850
D				0	1940	2735	3850	4880	5310	5905	7295	9075	11040	13285
E					0	790	1905	2935	3370	3960	5350	7135	9095	11345
F						0	1115	2145	2580	3170	4560	6340	8305	10555
G							0	1030	1465	2055	3445	5230	7190	9440
H								0	435	1025	2415	4200	6160	8410
H1									0	575	1980	3765	5730	7975
I										0	1390	3170	5135	7385
J											0	1780	3745	5995
K												0	1965	4210
L													0	2250
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Bus or Truck
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	3655	5770	8925	12855	14460	16715	18800	19680	20880	23690	27285	31260	35810
B		0	2115	5270	9205	10805	13060	15150	16025	17225	20040	23630	27605	32155
C			0	3155	7090	8690	10945	13030	13910	15110	17925	21515	25490	30040
D				0	3930	5535	7790	9875	10755	11955	14765	18360	22335	26885
E					0	1600	3860	5945	6820	8020	10835	14425	18400	22955
F						0	2255	4340	5220	6420	9230	12825	16800	21355
G							0	2080	2965	4165	6975	10570	14545	19095
H								0	880	2080	4890	8480	12460	17010
H1									0	1200	4015	7605	11580	16130
I										0	2810	6405	10380	14930
J											0	5590	9570	14120
K												0	3975	8525
L													0	4550
M														0

- 8 -

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	5615	8865	13675	19715	22180	25645	28850	30200	32045	36365	41815	47920	54915
B		0	3250	8060	14100	16565	20030	23235	24585	26430	30750	36200	42310	49300
C			0	4810	10850	13315	16780	19985	21335	23180	27500	32950	39055	46050
D				0	6040	8505	11970	15175	16525	18370	22690	28140	34245	41240
E					0	2460	5930	9135	10485	12325	16650	22095	28205	35200
F						0	3465	6670	8020	9865	14185	19635	25745	32740
G							0	3205	4555	6400	10720	16170	22275	29270
H								0	1350	3195	7515	12965	19070	26065
H1									0	1845	6165	11615	17725	24715
I										0	4315	9770	15880	22875
J											0	5450	11555	18550
K												0	6110	13105
L													0	6995
M														0

The Link-wise Toll Rates for Purvanchal Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M
A	0	7175	11325	17545	25265	28415	32845	36940	38660	41020	46540	53630	61440	70375
B		0	4155	10375	18095	21240	25670	29765	31490	33845	39365	46460	54265	63200
C			0	6220	13940	17085	21515	25610	27335	29690	35215	42305	50110	59045
D				0	7720	10865	15295	19390	21115	23470	28995	36085	43890	52825
E					0	3145	7575	11670	13395	15750	21275	28365	36170	45110
F						0	4430	8525	10250	12605	18125	25220	33025	41960
G							0	4095	5820	8175	13695	20790	28595	37530
H								0	1725	4080	9600	16695	24500	33435
H1									0	2355	7880	14970	22775	31715
I										0	5520	12615	20420	29355
J											0	7090	14900	23835
K												0	7810	16745
L													0	8935
M														0

- 9 -

[illegible][illegible]

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Single Trip (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Bundelkhand Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	0	240	415	485	535	600	1270	1750	1845	2165	2610	3355	3190
B		0	180	230	295	360	1030	1510	1610	1865	2370	2720	2860
C			0	75	120	185	435	635	640	740	915	1040	1085
D				0	50	115	285	425	430	510	615	710	735
E					0	85	215	315	320	370	440	510	535
F						0	370	550	555	620	710	795	830
G							0	480	675	685	760	865	895
H								0	85	125	160	195	205
I									0	260	360	440	465
J										0	505	600	625
K											0	345	360
L												0	145
M													0

The Link-wise Toll Rates for Bundelkhand Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	0	805	530	620	685	1155	1630	2245	2270	2700	3350	3795	3980
B		0	230	315	380	630	825	1040	1045	1255	1500	1690	1775
C			0	90	150	265	365	475	480	570	680	765	795
D				0	65	125	205	285	290	340	400	455	475
E					0	100	180	260	265	310	360	405	425
F						0	475	700	715	815	935	1040	1085
G							0	670	745	825	935	1040	1085
H								0	125	165	200	235	245
I									0	380	460	535	560
J										0	550	635	660
K											0	445	465
L												0	165
M													0

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Return Trip (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Bundelkhand Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Two Wheeler / Three Wheeler / Legally Registered Tractor
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	0	40	65	80	85	145	205	285	300	345	430	485	505
B		0	30	40	50	110	170	250	265	305	390	445	470
C			0	10	20	80	140	220	235	275	360	415	440
D				0	10	70	130	210	225	265	350	405	430
E					0	60	120	200	215	255	340	395	420
F						0	60	140	155	195	280	335	360
G							0	80	95	135	220	275	300
H								0	15	60	140	195	220
I									0	40	125	180	205
J										0	85	140	165
K											0	55	80
L												0	25
M													0

The Link-wise Toll Rates for Bundelkhand Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	0	75	135	160	175	295	415	575	605	690	855	970	1015
B		0	60	80	95	215	335	495	530	610	780	890	940
C			0	25	40	160	280	440	470	555	720	835	880
D				0	15	135	255	415	445	530	700	810	855
E					0	120	240	400	430	515	680	795	840
F						0	120	280	310	395	560	675	720
G							0	160	190	275	440	555	600
H								0	30	115	280	395	440
I									0	85	250	365	410
J										0	165	280	325
K											0	110	160
L												0	45
M													0

**Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Monthly Pass (20 Trips)
(Rounded Off Rates)**

The Link-wise Toll Rates for Bundelkhand Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	0	3810	6660	7780	8570	14410	20325	27990	29550	33675	41750	47305	49600
B		0	2850	3970	4760	10600	16515	24180	25740	29865	37940	43495	45790
C			0	1120	1905	7745	13665	21330	22890	27015	35085	40645	42940
D				0	785	6625	12545	20210	21770	25895	33965	39520	41820
E					0	5840	11760	19425	20980	25105	33180	38735	41025
F						0	5920	13585	15140	19265	27340	32895	35195
G							0	7665	9225	13350	21420	26975	29275
H								0	1560	5685	13755	19315	21610
I									0	4120	12195	17755	20050
J										0	8075	13630	15925
K											0	5555	7855
L												0	2295
M													0

The Link-wise Toll Rates for Bundelkhand Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	0	4870	8510	9945	10950	18490	26050	35945	37940	43210	53630	60730	63665
B		0	3645	5075	6080	13620	21185	31080	33070	38340	48765	55865	58800
C			0	1430	2435	9975	17540	27435	29430	34700	45120	52220	55155
D				0	1005	8545	16105	26005	27995	33265	43685	50785	53725
E					0	7540	15105	25000	26990	32260	42685	49785	52720
F						0	7565	17460	19450	24720	35145	42245	45180
G							0	9900	11890	17160	27580	34680	37615
H								0	1995	7265	17685	24785	27720
I									0	5270	15690	22790	25725
J										0	10420	17520	20455
K											0	7100	10035
L												0	2935
M													0

210104-4.

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Single Trip (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Two Wheeler / Three Wheeler / Legally Registered Tractor
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	5	10	20	50	120	130	140	145
B		0	5	15	45	115	125	135	140
C			0	15	40	110	120	130	140
D				0	25	100	105	115	125
E					0	70	80	90	100
F						0	10	20	25
G							0	10	20
H								0	10
I									0

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	10	15	45	100	240	255	275	295
B		0	5	35	90	230	245	270	285
C			0	30	85	225	240	260	280
D				0	55	195	210	235	250
E					0	140	160	180	195
F						0	15	35	55
G							0	20	40
H								0	15
I									0

210104-4.

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	15	25	70	150	355	380	415	440
B		0	10	55	140	340	370	400	430
C			0	45	130	330	360	390	420
D				0	85	285	310	345	375
E					0	205	230	265	290
F						0	25	60	85
G							0	35	60
H								0	25
I									0

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Bus or Truck
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	30	50	140	285	675	725	795	845
B		0	20	110	240	645	700	765	820
C			0	90	220	625	675	745	800
D				0	125	535	585	655	705
E					0	405	460	525	580
F						0	50	120	175
G							0	70	120
H								0	55
I									0

- 2 -

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	45	75	215	465	1080	1160	1265	1345
B		0	30	170	425	1035	1115	1220	1305
C			0	140	390	1005	1085	1190	1270
D				0	250	865	945	1050	1130
E					0	615	695	800	880
F						0	80	185	265
G							0	105	185
H								0	80
I									0

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Single Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	55	95	275	605	1415	1515	1650	1755
B		0	40	220	550	1360	1460	1595	1700
C			0	180	510	1320	1420	1555	1660
D				0	330	1140	1240	1375	1480
E					0	810	910	1045	1150
F						0	100	235	340
G							0	135	240
H								0	105
I									0

- 3 -



Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Return Trip (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Two Wheeler / Three Wheeler / Legally Registered Tractor
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	5	10	35	80	190	205	220	235
B		0	5	30	70	185	200	215	230
C			0	25	65	180	195	210	225
D				0	45	155	170	185	200
E					0	115	125	145	155
F						0	15	30	45
G							0	15	30
H								0	15
I									0

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	15	25	70	155	385	410	445	470
B		0	10	55	140	370	395	430	455
C			0	45	130	360	385	420	445
D				0	85	315	340	375	400
E					0	225	255	285	315
F						0	25	60	85
G							0	35	60
H								0	25
I									0

- 4 -

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or Mini Bus
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	20	40	110	245	570	610	665	705
B		0	15	90	220	550	590	640	685
C			0	70	205	530	570	625	670
D				0	130	460	500	555	595
E					0	325	365	420	465
F						0	40	95	135
G							0	55	95
H								0	40
I									0

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27
Toll Rates for Bus or Truck
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	45	75	225	425	1080	1160	1270	1355
B		0	35	180	380	1035	1115	1225	1310
C			0	145	350	1000	1085	1195	1280
D				0	200	855	935	1045	1130
E					0	650	735	845	930
F						0	85	190	275
G							0	110	195
H								0	85
I									0

- 5 -

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27

Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	70	120	345	745	1725	1855	2020	2155
B		0	50	275	675	1660	1785	1955	2085
C			0	225	625	1610	1735	1905	2035
D				0	400	1380	1510	1675	1810
E					0	980	1110	1275	1410
F						0	125	295	425
G							0	170	300
H								0	130
I									0

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles In FY 2026-27

Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Return Journey Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	90	150	440	965	2260	2425	2640	2805
B		0	65	350	880	2175	2335	2550	2720
C			0	290	815	2110	2270	2485	2655
D				0	525	1820	1985	2200	2365
E					0	1295	1455	1670	1840
F						0	165	375	545
G							0	215	380
H								0	170
I									0

Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for Monthly Pass (20 Trips) (Rounded Off Rates)

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Two Wheeler / Three Wheeler / Legally Registered Tractor
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	70	120	350	780	1920	2045	2215	2350
B		0	50	280	710	1850	1975	2145	2280
C			0	230	660	1800	1925	2095	2230
D				0	435	1570	1700	1870	2000
E					0	1135	1265	1435	1565
F						0	130	300	430
G							0	170	305
H								0	135
I									0

The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	140	240	695	1565	3835	4095	4435	4700
B		0	100	560	1425	3695	3955	4295	4560
C			0	455	1325	3595	3855	4190	4460
D				0	865	3140	3395	3735	4000
E					0	2270	2530	2870	3135
F						0	260	595	865
G							0	340	605
H								0	265
I									0

**The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for
Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Light Commercial Vehicle, Light Good Vehicle or
Mini Bus**

Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	220	380	1105	2430	5695	6105	6645	7065
B		0	160	885	2210	5475	5885	6425	6845
C			0	725	2050	5315	5725	6260	6685
D				0	1325	4590	5000	5540	5960
E					0	3265	3675	4215	4635
F						0	410	950	1370
G							0	540	960
H								0	425
I									0

**The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for
Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Bus or Truck**

Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	450	775	2240	4265	10780	11610	12700	13555
B		0	325	1795	3815	10335	11160	12250	13105
C			0	1465	3490	10005	10835	11925	12780
D				0	2025	8540	9370	10460	11315
E					0	6515	7345	8435	9290
F						0	830	1920	2775
G							0	1090	1945
H								0	855
I									0

-४-

**The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for
Various Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth
Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to
Six Axles**

Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	690	1190	3445	7450	17265	18540	20215	21530
B		0	500	2755	6760	16580	17850	19525	20840
C			0	2255	6260	16075	17350	19025	20340
D				0	4005	13825	15095	16770	18085
E					0	9815	11090	12765	14080
F						0	1275	2950	4265
G							0	1675	2990
H								0	1315
I									0

**The Link-wise Toll Rates for Gorakhpur Link Expressway for Various
Category of Vehicles in FY 2026-27
Toll Rates for Oversized Vehicles (Seven or more Axles)
Monthly Pass Amount with 25% Discount on Base Toll Rates**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	880	1520	4400	9670	22620	24245	26385	28065
B		0	640	3520	8790	21740	23365	25505	27185
C			0	2880	8150	21095	22725	24865	26545
D				0	5270	18220	19845	21985	23665
E					0	12945	14575	16715	18395
F						0	1630	3770	5450
G							0	2140	3820
H								0	1680
I									0

-५-

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यूपीडा निदेशक मण्डल का निम्न बिन्दुओं पर कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित है:-

- उपरोक्तानुसार वर्ष 2026-27 हेतु 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' (सूची-1), 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' (सूची-2), 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' (सूची-3) एवं 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' (सूची-4) पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच के लिये आंगणित संशोधित टोल दरों (पूर्व की भाँति 25 प्रतिशत की छूट सहित) पर अनुमोदन।
- 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे', 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे', 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' एवं 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2026-27 हेतु आंगणित संशोधित टोल दरों को दिनांक 01.04.2026 से लागू करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन। यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-22-

‘गंगा एक्सप्रेसवे’ पर वर्ष 2026-27 हेतु संशोधित टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यान्तर अनुमोदन

अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-2747/77-3-17-37 एम-12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा “उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017” जारी की गई थी, जिसके प्राविधानों के अनुसार विभिन्न एक्सप्रेसवेज पर टोल की दरों का निर्धारण किया गया था। उक्त नियमावली के नियम-5 (फीस की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण) के अंतर्गत टोल की निर्धारित दरों को प्रत्येक वर्ष डब्ल्यू0पी0आई0 के आधार पर संशोधित कर 01 अप्रैल, से संशोधित टोल दरों को लागू किये जाने का प्राविधान है।

(2) उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-02/2018/235/77-3-2018-37 एम-12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर-4 द्वारा वर्ष 2017-18 की टोल दरों (दिसम्बर 2018 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर “उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017” के प्राविधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा टोल नियमावली के उक्त प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित टोल दरों को लागू किया जाता रहा है।

उक्त नियमावली के नियम सं0-5 के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधित टोल दरों का निर्धारण थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) के आधार पर निम्नवत् सूत्र के अनुसार किया जाता है:-

$$\text{प्रवृत्त फीस दर} = \text{आधार दर} + \left\{ \text{आधार दर} \times \frac{\text{थोक मूल्य सूचकांक 'क' - थोक मूल्य सूचकांक 'ख'}}{\text{थोक मूल्य सूचकांक 'ख'}} \right\} \times 0.4$$

वर्ष 2026-27 के लिये ‘क’ = WPI as on December 2025 & ‘ख’ = WPI as on December 2016

(3) अवगत कराना है कि ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ हेतु वर्ष 2026-27 के लिये संशोधित टोल दरों के निर्धारण के लिये ई-टेण्डर के माध्यम से पूर्व में चयनित कन्सल्टेंट M/s Deloitte Touche Tohmatsu India LLP के श्री संजीव त्रिपाठी को यूपीडा के पत्र संख्या-6641/यूपीडा/2025/3391/प्रोक्थो0 दिनांक 16.02.2026 द्वारा कार्य आवंटित किया गया था, जिसके क्रम में श्री संजीव त्रिपाठी द्वारा ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ हेतु वर्ष 2026-27 के लिये संशोधित टोल दरों का आगणन उपलब्ध कराया गया था।

(4) उपरोक्तानुसार परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल दरों के संशोधन हेतु अधिसूचना संख्या-02/2018/235/77-3-2018-37 एम-12 दिनांक 15.01.2018 के आधार पर सभी एक्सप्रेसवे के लिए वर्ष 2026-27 हेतु प्रति कि0मी0 संशोधित आधार दर निम्नवत् है :-

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2017-18 के लिये दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रुपये में)	वर्ष 2026-27 के लिये दिसम्बर 2025 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 483.17) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रुपये में)
1	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	2.20	2.55
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.50	4.05
3	बस या ट्रक	7.05	8.20
4	मारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) न्यू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	10.85	12.60
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	13.85	16.10




निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2026-27 के लिये दिसम्बर, 2025 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई 483.17) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:-

वर्ष 2026-27 के लिये फीस की आधार दर ₹0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा)						
क्रम सं०	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ ₹0 में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	बस या ट्रक	मारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)
1	10-15	7.00	10.45	20.95	30.70	41.80
2	₹0 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर ₹0 100 करोड़ तक	1.40	2.10	4.20	6.30	8.35
3	₹0 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर ₹0 200 करोड़ तक	1.05	1.65	3.15	4.75	6.30
4	₹0 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.70	1.05	2.10	3.15	4.20

(5) "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'गंगा एक्सप्रेसवे' समूह-एक, समूह-दो, समूह-तीन तथा समूह-चार पर यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2026-27 हेतु (प्रति फेरा) आंगणित की गई संशोधित टोल दरें एवं वर्ष 2025-26 की दरों से तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:-

समूह-एक (ग्रुप-I)				
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	गंगा एक्सप्रेसवे के समूह-एक पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (₹ में) (नियमावली के अनुसार ₹ 5/- की राउडिंग सहित)		
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	प्रतिशत वृद्धि
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर	220	220	0.00
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	435	435	0.00
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	685	685	0.00
4	बस या ट्रक	1370	1375	0.36
5	मारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	2095	2105	0.48
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	2705	2715	0.37
औसत वृद्धि				0.20 प्रतिशत

समूह-दो (ग्रुप-II)				
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	गंगा एक्सप्रेसवे के समूह-दो पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (₹ में) (नियमावली के अनुसार ₹ 5/- की राउडिंग सहित)		
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	प्रतिशत वृद्धि
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर	240	240	0.00
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	480	480	0.00
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	750	755	0.67
4	बस या ट्रक	1510	1515	0.33
5	मारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	2310	2320	0.43
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	2980	2985	0.17
औसत वृद्धि				0.27 प्रतिशत

समूह-तीन (ग्रुप-III)				
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	गंगा एक्सप्रेसवे के समूह-तीन पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (₹ में) (नियमावली के अनुसार ₹ 5/- की राउडिंग सहित)		
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	प्रतिशत वृद्धि
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर	240	240	0.00
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	480	480	0.00
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	750	755	0.67
4	बस या ट्रक	1510	1515	0.33
5	मारी निर्माण कार्य मशीन (एच०सी०एम०) भू-गतिमान उपस्कर (ई०एम०आई०) या बहुधुरीय यान (एम०ए०वी०) (3 से 6 धुरीय)	2310	2320	0.43
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	2980	2985	0.17
औसत वृद्धि				0.27 प्रतिशत

		अनुसार रु 5/- की राउडिंग सहित)		
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	प्रतिशत वृद्धि
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर	245	245	0
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	485	485	0
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	765	765	0
4	बस या ट्रक	1535	1545	0.65
5	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) मू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	2350	2360	0.42
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वैहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	3030	3040	0.33
औसत वृद्धि				0.23 प्रतिशत

समूह-चार (ग्रुप-IV)				
क्रम सं०	वाहन का प्रकार	गंगा एक्सप्रेसवे के समूह-चार पर यात्रा (प्रथम टोल से अंतिम टोल तक) करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रु में) (नियमावली के अनुसार रु 5/- की राउडिंग सहित)		
		वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	प्रतिशत वृद्धि
1	टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/लीगली रजिस्टर्ड ट्रैक्टर	200	200	0
2	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	400	400	0
3	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	635	635	0
4	बस या ट्रक	1280	1285	0.39
5	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) मू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	1970	1975	0.25
6	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वैहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	2515	2525	0.40
औसत वृद्धि				0.17 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'गंगा एक्सप्रेसवे' के चारों समूहों (Groups) पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2026-27 हेतु आंगणित संशोधित टोल दरों की धनराशि के विवरण से संज्ञानित होते हुए संलग्न सूची संलग्नक-1, सूची संलग्नक-2, सूची संलग्नक-3 एवं सूची संलग्नक-4 पर अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

User Fee - Ganga Expressway (Group-I)
Single Trip- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations	7.900	13.400	19.941	25.270	34.640	74.181	102.427	123.268	137.600
Entry / Exit									
7.9									
13.4									
19.941									
25.27									
34.64									
74.181									
102.427									
123.268									
137.6									

Return Journey- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations	7.900	13.400	19.941	25.270	34.640	74.181	102.427	123.268	137.600
Entry / Exit									
7.9									
13.4									
19.941									
25.27									
34.64									
74.181									
102.427									
123.268									
137.6									

30 One Way Trips- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations	7.900	13.400	19.941	25.270	34.640	74.181	102.427	123.268	137.600
Entry / Exit									
7.9									
13.4									
19.941									
25.27									
34.64									
74.181									
102.427									
123.268									
137.6									

User Fee - Ganga Expressway (Group-I)
Single Trip- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
	7.9								
	13.4								
	19.941		50	90	205	255	345	400	435
	35.27		90	60	175	225	315	370	405
	54.64		205	175	115	165	255	310	345
	74.181		255	225	165	115	205	260	295
	102.427		345	315	255	205	95	145	180
	123.288		400	370	310	260	110	75	110
	137.6		435	405	345	295	180	110	55

Return Journey- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
	7.9								
	13.4								
	19.941		85	145	325	405	555	640	695
	35.27		145	95	275	355	505	590	650
	54.64		325	275	180	260	410	495	560
	74.181		405	355	260	180	330	415	475
	102.427		555	505	410	330	150	285	290
	123.288		640	590	495	415	235	120	175
	137.6		695	650	560	475	290	175	90

20 One Way Trips- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
	7.9								
	13.4								
	19.941		825	1450	3255	4050	5535	6385	6970
	35.27		1450	960	2765	3560	5045	5895	6480
	54.64		3255	2765	1805	2600	4085	4935	5520
	74.181		4050	3560	2600	1810	3295	4145	4730
	102.427		5535	5045	4085	3295	1485	2335	2920
	123.288		6385	5895	4935	4145	2335	1185	1765
	137.6		6970	6480	5520	4730	2920	1765	915

2/6

User Fee - Ganga Expressway (Group-I)
Single Trip- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
	7.9								
	13.4								
	19.941		80	140	315	395	540	625	685
	35.27		140	95	270	345	490	575	635
	54.64		315	270	175	255	400	485	540
	74.181		395	345	255	175	320	405	465
	102.427		540	490	400	320	145	230	290
	123.288		625	575	485	405	230	115	175
	137.6		685	635	540	465	290	175	90

Return Journey- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
	7.9								
	13.4								
	19.941		130	150	430	555	790	925	1015
	35.27		225	150	280	405	640	775	865
	54.64		505	430	280	280	515	650	740
	74.181		635	555	405	280	285	370	460
	102.427		790	720	640	515	235	185	280
	123.288		925	825	725	650	370	185	140
	137.6		1095	1015	865	740	480	280	140

20 One Way Trips- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
	7.9								
	13.4								
	19.941		1280	2270	5065	6335	8660	10010	10940
	35.27		2270	1490	4295	5555	7880	9230	10160
	54.64		5065	4285	2795	4060	6350	7740	8670
	74.181		6335	5555	4060	2805	5135	6485	7410
	102.427		8660	7880	6350	5135	2325	3680	4605
	123.288		10010	9230	7740	6485	3680	1850	2775
	137.6		10940	10160	8670	7410	4605	2775	1425

3/6

User Fee - Ganga Expressway (Group-I)

Single Trip- Bus or Truck

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
7.9									
13.4									
19.941									
35.27									
54.64									
74.181									
102.427									
123.288									
137.6									

Return Journey-Bus or Truck

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
7.9									
13.4									
19.941									
35.27									
54.64									
74.181									
102.427									
123.288									
137.6									

20 One Way Trips-Bus or Truck

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
7.9									
13.4									
19.941									
35.27									
54.64									
74.181									
102.427									
123.288									
137.6									

User Fee - Ganga Expressway (Group-I)

Single Trip- Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axis Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
7.9									
13.4									
19.941									
35.27									
54.64									
74.181									
102.427									
123.288									
137.6									

Return Journey-Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axis Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
7.9									
13.4									
19.941									
35.27									
54.64									
74.181									
102.427									
123.288									
137.6									

20 One Way Trips-Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axis Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	137.600
7.9									
13.4									
19.941									
35.27									
54.64									
74.181									
102.427									
123.288									
137.6									

516

User Fee - Ganga Expressway (Group-I)
Single Trip- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
7.9									
13.4									
19.941		320		565	1255	1570	2150	2485	2715
35.27		565	370		1060	1375	1955	2290	2520
54.64		1255	1060	690		1005	1585	1920	2150
74.181		1570	1375	1005	695		1270	1605	1840
102.427		2150	1955	1585	1270	580		915	1145
123.288		2485	2290	1920	1605	915	460		690
137.6		2715	2520	2150	1840	1145	690	355	

Return Journey- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
7.9									
13.4									
19.941		510		905	2010	2510	3435	3975	4340
35.27		905	595		1700	2200	3125	3665	4030
54.64		2010	1700	1105		1610	2535	3070	3440
74.181		2510	2200	1610	1110		2035	2570	2940
102.427		3435	3125	2535	2035	925		1465	1830
123.288		3975	3665	3070	2570	1465	735		1105
137.6		4340	4030	3440	2940	1830	1105	565	

20 One Way Trips- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations		13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
Entry / Exit	7.900	13.400	19.941	35.270	54.640	74.181	102.427	123.288	135.400
7.9									
13.4									
19.941		5085		9035	20075	25110	34365	39740	43425
35.27		9035	5935		16975	22010	31160	36635	40325
54.64		20075	16975	11040		16075	25330	30705	34390
74.181		25110	22010	16075	11085		20340	25715	29400
102.427		34365	31160	25330	20340	9235		14625	18315
123.288		39740	36635	30705	25715	14625	7350		11040
137.6		43425	40325	34390	29400	18315	11040	5665	

616

User Fee - Ganga Expressway (Group II)
Single Trip- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations		146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845		289.300
137.6		45	65	90	195	230	240	
173.454	45		20	45	150	185	195	
189.394	65	20		25	130	165	175	
207.484	90	45	25		105	140	150	
255.167	195	150	130	105		35	45	
282.845	230	185	165	140	35		10	
289.3	240	195	175	150	45	10		

Return Journey- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations		146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845		289.300
137.6		75	105	145	315	370	385	
173.454	75		35	70	240	295	310	
189.394	105	35		35	205	265	275	
207.484	145	70	35		170	225	240	
255.167	315	240	205	170		55	70	
282.845	370	295	265	225	55		15	
289.3	385	310	275	240	70	15		

20 One Way Trips- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations		146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845		289.300
137.6		730	1055	1425	3130	3695	3825	
173.454	730		325	695	2400	2960	3095	
189.394	1055	325		370	2075	2635	2770	
207.484	1425	695	370		1705	2270	2400	
255.167	3130	2400	2075	1705		565	695	
282.845	3695	2960	2635	2270	565		130	
289.3	3825	3095	2770	2400	695	130		

999

9

116

User Fee - Ganga Expressway (Group II)
Single Trip- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		90	130	180	380	460	480
173.454	90		40	85	300	370	385
189.394	130	40		45	260	330	345
207.484	180	85	45		215	285	300
255.167	390	300	260	215		70	85
282.845	460	370	330	285	70		15
289.3	480	385	345	300	85	15	

Return Journey- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		145	210	285	625	740	765
173.454	145		65	140	480	590	620
189.394	210	65		75	415	525	555
207.484	285	140	75		340	455	480
255.167	625	480	415	340		115	140
282.845	740	590	525	455	115		25
289.3	765	620	555	480	140	25	

20 One Way Trips- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		1465	2115	2850	6260	7390	7650
173.454	1465		650	1390	4795	5925	6190
189.394	2115	650		740	4145	5275	5540
207.484	2850	1390	740		3405	4535	4800
255.167	6260	4795	4145	3405		1130	1395
282.845	7390	5925	5275	4535	1130		265
289.3	7650	6190	5540	4800	1395	265	

216

User Fee - Ganga Expressway (Group II)
Single Trip- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		145	210	285	615	725	755
173.454	145		65	140	470	580	605
189.394	210	65		75	405	515	545
207.484	285	140	75		330	445	470
255.167	615	470	405	330		110	140
282.845	725	580	515	445	110		25
289.3	755	605	545	470	140	25	

Return Journey- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		230	335	455	985	1160	1205
173.454	230		105	115	750	930	970
189.394	335	105		115	645	825	870
207.484	455	230	115		530	710	750
255.167	985	750	645	530		180	220
282.845	1160	930	825	710	180		40
289.3	1205	970	870	750	220	40	

20 One Way Trips- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		2325	3555	4530	9830	11620	12040
173.454	2325		1035	2205	7605	9300	9715
189.394	3555	1035		1170	6475	8265	8685
207.484	4530	2325	1170		5300	7095	7520
255.167	9830	7605	6475	5300		1785	2210
282.845	11620	9300	8265	7095	1785		420
289.3	12040	9715	8685	7520	2210	420	

316



User Fee - Ganga Expressway (Group II)
Single Trip- Bus or Truck

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		295	425	575	1235	1465	1515
173.454	295		130	280	945	1170	1225
189.394	425	130		150	815	1040	1095
207.484	575	280	150		665	890	945
255.167	1235	945	815	665		225	280
282.845	1465	1170	1040	890	225		55
289.3	1515	1225	1095	945	260	55	

Return Journey-Bus or Truck

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		470	680	915	1980	2345	2430
173.454	470		210	445	1510	1875	1955
189.394	680	210		235	1300	1665	1750
207.484	915	445	235		1065	1425	1510
255.167	1980	1510	1300	1065		365	450
282.845	2345	1875	1665	1425	365		85
289.3	2430	1955	1750	1510	450	85	

20 One Way Trips-Bus or Truck

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		4705	6795	9170	19800	23430	24275
173.454	4705		2090	4465	15095	18725	19575
189.394	6795	2090		2375	18008	16635	17480
207.484	9170	4465	2375		10680	14260	15110
255.167	19800	15095	13005	10680		3630	4480
282.845	23430	18725	16635	14260	3630		845
289.3	24275	19575	17480	15110	4480	845	

416

User Fee - Ganga Expressway (Group II)

Single Trip- Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		450	655	880	1890	2240	2320
173.454	450		200	430	1440	1785	1870
189.394	655	200		230	1235	1585	1665
207.484	880	430	230		1010	1360	1440
255.167	1890	1440	1235	1010		350	430
282.845	2240	1785	1585	1360	350		80
289.3	2320	1870	1665	1440	430	80	

Return Journey-Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		725	1045	1410	3025	3580	3710
173.454	725		320	685	2300	2860	2990
189.394	1045	320		365	1980	2535	2665
207.484	1410	685	365		1615	2170	2300
255.167	3025	2300	1980	1615		560	690
282.845	3580	2860	2535	2170	560		130
289.3	3710	2990	2665	2300	690	130	

20 One Way Trips-Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations	146.700	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	
Entry / Exit	137.600	173.454	189.394	207.484	255.167	282.845	289.300
137.6		7230	10440	14090	30230	35810	37110
173.454	7230		3215	6860	23005	28580	29885
189.394	10440	3215		3645	19790	25370	26670
207.484	14090	6860	3645		16140	21720	23025
255.167	30230	23005	19790	16140		5580	6880
282.845	35810	28580	25370	21720	5580		1300
289.3	37110	29885	26670	23025	6880	1300	

516

SDP

6

User Fee - Ganga Expressway (Group II)
Single Trip- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations	346,700	173,434	189,894	207,484	253,167	282,845	
Entry / Exit	337,600	173,434	189,894	207,484	253,167	282,845	289,300
137.6		575	835	1125	2440	2885	2885
173.434	575		355	520	1860	2305	2410
189.894	835	355		290	1605	2050	2155
207.484	1125	550	290		1315	1760	1860
253.167	2440	1860	1605	1315		445	550
282.845	2885	2305	2050	1760	445		105
289.3	2985	2410	2155	1860	550	105	

Return Journey- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations	346,700	173,434	189,894	207,484	253,167	282,845	
Entry / Exit	337,600	173,434	189,894	207,484	253,167	282,845	289,300
137.6		575	1235	1800	2900	4615	4750
173.434	575		410	875	2375	3600	3855
189.894	835	410		465	2465	3280	3445
207.484	1125	875	465		2100	2835	2990
253.167	2440	2375	2565	2100		715	880
282.845	2885	3620	3445	2980	715		165
289.3	2985	3825	3445	2980	880	165	

20 One Way Trips- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations	346,700	173,434	189,894	207,484	253,167	282,845	
Entry / Exit	337,600	173,434	189,894	207,484	253,167	282,845	289,300
137.6		575	1235	1800	2900	4615	4750
173.434	575		410	875	2375	3600	3855
189.894	835	410		465	2465	3280	3445
207.484	1125	875	465		2100	2835	2990
253.167	2440	2375	2565	2100		715	880
282.845	2885	3620	3445	2980	715		165
289.3	2985	3825	3445	2980	880	165	

116

User Fee - Ganga Expressway (Group III)
Single Trip- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations		329,945	351,300	378,155	420,932	
Entry / Exit	289,300	329,945	351,300	378,155	420,932	445,000
289.3		70	105	130	210	245
329.945	70		35	80	145	175
351.3	105	35		45	110	140
378.155	130	80	45		65	95
420.932	210	145	110	65		30
445	245	175	140	95	30	

Return Journey- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations		329,945	351,300	378,155	420,932	
Entry / Exit	289,300	329,945	351,300	378,155	420,932	445,000
289.3		110	165	240	340	390
329.945	110		60	130	230	280
351.3	165	60		70	175	220
378.155	240	130	70		100	150
420.932	340	230	175	100		50
445	390	280	220	150	50	

20 One Way Trips- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations		329,945	351,300	378,155	420,932	
Entry / Exit	289,300	329,945	351,300	378,155	420,932	445,000
289.3		1085	1665	2380	3395	3890
329.945	1085		580	1295	2310	2800
351.3	1665	580		715	1730	2220
378.155	2380	1295	715		1015	1505
420.932	3395	2310	1730	1015		490
445	3890	2800	2220	1505	490	

117



User Fee - Ganga Expressway (Group III)
Single Trip- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3						
	329.945	135	135	210	300	425	485
	351.3	210	75	75	160	290	350
	378.155	300	160	90		215	280
	420.932	425	290	215		125	190
	445	485	350	280	190	60	60

Return Journey- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3						
	329.945	215	215	335	475	680	780
	351.3	335	115	115	260	460	560
	378.155	475	260	145		345	445
	420.932	680	460	345		205	300
	445	780	560	445	300	100	100

20 One Way Trips- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3						
	329.945	2175	2175	3335	4760	6795	7775
	351.3	3335	1160	1160	2585	4620	5600
	378.155	4760	2585	1425		3460	4440
	420.932	6795	4620	3460		2035	3015
	445	7775	5600	4440	3015	980	980

User Fee - Ganga Expressway (Group III)
Single Trip- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3						
	329.945	215	215	325	465	665	765
	351.3	325	115	115	255	455	550
	378.155	465	255	140		340	435
	420.932	665	455	340		200	300
	445	765	550	435	300	95	95

Return Journey- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3						
	329.945	340	340	525	745	1065	1220
	351.3	525	180	180	405	725	880
	378.155	745	405	225		545	700
	420.932	1065	725	545		320	475
	445	1220	880	700	475	155	155

20 One Way Trips- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3						
	329.945	3410	3410	5225	7460	10665	12225
	351.3	5225	1815	1815	4050	7255	8815
	378.155	7460	4050	2235		5440	7000
	420.932	10665	7255	5440		3200	4760
	445	12225	8815	7000	4760	1560	1560

User Fee - Gange Expressway (Group III)
Single Trip - Bus or Truck

Toll Plaza Locations		329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit	289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
289.3		430	650	860	1345	1505
329.945	430		230	310	915	1115
351.3	650	230		280	685	885
378.155	940	310	280		405	500
420.932	1345	915	685	405		105
445	1505	1115	885	600	195	

Return Journey - Bus or Truck

Toll Plaza Locations		329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit	289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
289.3		690	1055	1505	2155	2470
329.945	690		365	820	1465	1780
351.3	1055	365		450	1100	1415
378.155	1505	820	450		645	965
420.932	2155	1465	1100	645		315
445	2470	1780	1415	965	315	

20 One Way Trips - Bus or Truck

Toll Plaza Locations		329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit	289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
289.3		6860	10545	15080	21635	24695
329.945	6860		2665	8135	14655	17815
351.3	10545	2665		4515	10990	14145
378.155	15080	8135	4515		6475	9630
420.932	21635	14655	10990	6475		3160
445	24695	17815	14145	9630	3160	

4/6

User Fee - Gange Expressway (Group III)

Single Trip - Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations		329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit	289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
289.3		655	1005	1435	2055	2360
329.945	655		350	780	1400	1700
351.3	1005	350		430	1050	1335
378.155	1435	780	430		620	920
420.932	2055	1400	1050	620		305
445	2360	1700	1335	920	305	

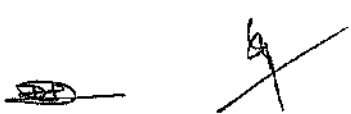
Return Journey - Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations		329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit	289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
289.3		1050	1610	2300	3290	3775
329.945	1050		560	1250	2240	2725
351.3	1610	560		690	1680	2165
378.155	2300	1250	690		990	1475
420.932	3290	2240	1680	990		485
445	3775	2725	2165	1475	485	

20 One Way Trips - Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations		329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit	289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
289.3		10500	16095	23885	32885	37740
329.945	10500		5590	12480	22385	27235
351.3	16095	5590		6890	16795	21645
378.155	23885	12480	6890		9900	14755
420.932	32885	22385	16795	9900		4850
445	37740	27235	21645	14755	4850	

5/6



User Fee - Ganga Expressway (Group III)
Single Trip- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3		845	1300	1855	2650	3040
	329.945	845		450	1005	1805	2190
	351.3	1300	450		555	1350	1740
	378.155	1855	1005	555		795	1185
	420.932	2650	1805	1350	795		385
	445	3040	2190	1740	1185	385	

Return Journey- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3		1355	2075	2965	4240	4860
	329.945	1355		720	1610	2885	3505
	351.3	2075	720		890	2165	2785
	378.155	2965	1610	890		1275	1895
	420.932	4240	2885	2165	1275		620
	445	4860	3505	2785	1895	620	

20 One Way Trips- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations			329.945	351.300	378.155	420.932	
Entry / Exit		289.300	329.945	351.300	378.155	420.932	445.000
	289.3		13550	20775	29665	42400	48600
	329.945	13550		7225	16120	28850	35050
	351.3	20775	7225		8895	21625	27825
	378.155	29665	16120	8895		12735	18935
	420.932	42400	28850	21625	12735		6200
	445	48600	35050	27825	18935	6200	

8/6

User Fee - Ganga Expressway (Group IV)
Single Trip- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		55	95	140	170	200
	487.285	55		40	85	115	145
	517.708	95	40		45	75	105
	554.951	140	85	45		30	60
	576.587	170	115	75	30		30
	601.847	200	145	105	60	30	

Return Journey- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		85	150	225	270	320
	487.285	85		60	140	180	235
	517.708	150	60		75	120	170
	554.951	225	140	75		45	95
	576.587	270	180	120	45		50
	601.847	320	235	170	95	50	

20 One Way Trips- 2,3 Wheeler & Tractor

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		865	1485	2245	2685	3200
	487.285	865		620	1380	1820	2335
	517.708	1485	620		760	1200	1715
	554.951	2245	1380	760		440	955
	576.587	2685	1820	1200	440		515
	601.847	3200	2335	1715	955	515	

SBA

9

1/6

User Fee - Ganga Expressway (Group IV)
Single Trip- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		110	185	280	335	400
	487.285	119		80	175	250	320
	517.708	185	80		95	150	215
	554.951	280	175	95		55	120
	576.587	335	250	150	55		65
	601.847	400	290	215	120	65	

Return Journey- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		175	295	450	535	640
	487.285	175		125	275	385	465
	517.708	295	125		250	340	345
	554.951	450	275	250		90	390
	576.587	535	385	340	90		105
	601.847	640	465	345	390	105	

20 One Way Trips- Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		1725	2965	4485	5970	6100
	487.285	1725		1240	2760	3645	4675
	517.708	2965	1240		2400	3435	3435
	554.951	4485	3760	2400		885	1030
	576.587	5970	3645	3435	885		1030
	601.847	6100	4675	3435	1030	1030	

2/6

User Fee - Ganga Expressway (Group IV)
Single Trip- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		170	285	415	535	635
	487.285	170		125	275	360	465
	517.708	285	125		150	240	340
	554.951	415	275	150		90	190
	576.587	535	360	240	90		100
	601.847	635	465	340	190	100	

Return Journey- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		275	470	710	855	1015
	487.285	275		195	440	580	740
	517.708	470	195		240	380	545
	554.951	710	440	240		140	305
	576.587	855	580	380	140		165
	601.847	1015	740	545	305	165	

20 One Way Trips- Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		2740	4710	7125	8525	10165
	487.285	2740		1970	4385	5785	7425
	517.708	4710	1970		2415	3815	5450
	554.951	7125	4385	2415		1400	3040
	576.587	8525	5785	3815	1400		1635
	601.847	10165	7425	5450	3040	1635	

3/6

User Fee - Ganga Expressway (Group IV)
Single Trip- Bus or Truck

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		345	595	900	1080	1285
	487.285	345		250	555	730	940
	517.708	595	250		305	485	690
	554.951	900	555	305		175	385
	576.587	1080	730	485	175		205
	601.847	1285	940	690	385	205	

Return Journey-Bus or Truck

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		555	955	1445	1725	2060
	487.285	555		400	890	1170	1505
	517.708	955	400		490	770	1105
	554.951	1445	890	490		285	615
	576.587	1725	1170	770	285		330
	601.847	2060	1505	1105	615	330	

20 One Way Trips-Bus or Truck

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		5550	9540	14425	17265	20580
	487.285	5550		3990	8880	11715	15030
	517.708	9540	3990		4885	7725	11040
	554.951	14425	8880	4885		2840	6155
	576.587	17265	11715	7725	2840		3315
	601.847	20580	15030	11040	6155	3315	

4/6

User Fee - Ganga Expressway (Group IV)
Single Trip- Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) Three to Six Axles

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		535	915	1385	1660	1975
	487.285	535		385	855	1125	1445
	517.708	915	385		470	740	1060
	554.951	1385	855	470		275	590
	576.587	1660	1125	740	275		320
	601.847	1975	1445	1060	590	320	

Return Journey-Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV)
Three to Six Axles

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		850	1465	2215	2655	3160
	487.285	850		615	1365	1800	2310
	517.708	1465	615		750	1185	1695
	554.951	2215	1365	750		435	945
	576.587	2655	1800	1185	435		510
	601.847	3160	2310	1695	945	510	

20 One Way Trips-Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV)
Three to Six Axles

Toll Plaza Locations			487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit		445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445		8525	14660	22165	26530	31620
	487.285	8525		6135	13640	18005	23095
	517.708	14660	6135		7510	11870	16960
	554.951	22165	13640	7510		4360	9455
	576.587	26530	18005	11870	4360		5090
	601.847	31620	23095	16960	9455	5090	

5/6

330

9

User Fee - Ganga Expressway (Group IV)
Single Trip- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations		487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit	445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445	680	1170	1770	2120	2525
	487.285	680	490	1090	1440	1845
	517.708	1170	490	600	950	1355
	554.951	1770	1090	600	350	755
	576.587	2120	1440	950	350	405
	601.847	2525	1845	1355	755	405

Return Journey- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations		487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit	445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445	1090	1875	2830	3390	4040
	487.285	1090	785	1745	2300	2950
	517.708	1875	785	960	1515	2165
	554.951	2830	1745	960	555	1210
	576.587	3390	2300	1515	555	550
	601.847	4040	2950	2165	1210	650

20 One Way Trips- Oversized Vehicle (Seven or more Axles)

Toll Plaza Locations		487.285	517.708	554.951	576.587	589.700
Entry / Exit	445.000	487.285	517.708	554.951	576.587	601.847
	445	10895	18730	28325	33895	40405
	487.285	10895	7835	17430	23005	29510
	517.708	18730	7835	9595	15165	21675
	554.951	28325	17430	9595	5575	12080
	576.587	33895	23005	15165	5575	6505
	601.847	40405	29510	21675	12080	6505

6/6

यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा संचालित सभी ई0पी0सी0 एक्सप्रेसवेज पर "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुक्रम में आगणित टोल दरों में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है किन्तु 'गंगा एक्सप्रेसवे' एक पी0पी0पी0 परियोजना होने के कारण "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के कम में आगणित टोल दरों को सभी सम्बन्धित कंसेशनायर्स को बिना किसी छूट के उपलब्ध कराया गया है।

यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराना है कि गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक-29.04.2026 किया गया है तथा सभी चारों कंसेशनायर्स द्वारा दिनांक-15.05.2026 से टोल की वसूली की जा रही है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यूपीडा निदेशक मण्डल का निम्न बिन्दुओं पर कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित है:-

1. उपरोक्तानुसार वर्ष 2026-27 हेतु 'गंगा एक्सप्रेसवे' के ग्रुप-I (सूची-1), ग्रुप-II (सूची-2), ग्रुप-III (सूची-3) एवं ग्रुप-IV (सूची-4) पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच के लिये आगणित संशोधित टोल दरों पर अनुमोदन।
2. वर्ष 2026-27 हेतु उक्त आगणित टोल दरों को गंगा एक्सप्रेसवे के चारों ग्रुपों के सम्बन्धित कंसेशनायर्स को अग्रसारित करने तथा नियमावली, 2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आगणित टोल दरों के अनुसार टोल दरों पर वसूली हेतु प्रत्येक ग्रुप के सम्बन्धित कंसेशनायर्स को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन।
यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-23-

'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर टोल फीस एकत्र करने हेतु चयनित एजेंसी के अनुबन्ध को समय से पूर्व समाप्त करने के संबंध में

अवगत कराना है कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर टोल फीस एकत्र करने हेतु चयनित एजेंसी M/s DSSG & Sri Sai Enterprises (JV) के साथ दिनांक 10.10.2024 को कॉन्ट्रैक्ट अनुबन्ध निष्पादित किया गया था, जो 02 वर्ष की अवधि के लिए था।

2- उक्त फर्म द्वारा पूर्व में फोर्स-क्लोजर हेतु आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में यूपीडा के पत्र सं0 7201 दिनांक 13.03.2026 द्वारा फर्म को सूचित किया गया कि उनकी प्रार्थना अनुबन्ध की धारा 26 के अनुसार मान्य नहीं है, व उनकी प्रार्थना निरस्त कर दी गई थी।

3- यूपीडा के उक्त पत्र के क्रम में फर्म द्वारा पुनः यमुना घाट ब्रिज एवं शेरगढ़ ब्रिज को भारी ट्रैफिक के लिए खोले जाने एवं खनन पर प्रतिबन्ध के कारण ट्रैफिक में कमी के दृष्टिगत टोल कलेक्शन की धनराशि में हानि होने के कारण अनुबन्ध के प्राविधान 36(5) के तहत उनका अनुबन्ध समाप्त किये जाने का पुनः अनुरोध किया गया था।

4- उक्त फर्म के साथ निष्पादित अनुबन्ध के प्राविधान 36(5) के अनुसार ठेकेदार द्वारा टोल प्लाजा का चार्ज लेने के 30 दिनों के अन्दर टोल आय का गलत अनुमान लगाये जाने के कारण यदि अनुबन्ध अवधि से पूर्व समाप्त करने का आग्रह किया जाता है, तो उक्त स्थिति में भी उसे टोल संचालन तब तक करना होगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा नवीन एजेंसी का चयन कर सभी टोल प्लाजास ट्रांसफर नहीं कर दिये जाते हैं। उक्त स्थिति में 25 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्योरिटी की धनराशि को जब्त किये जाने का भी प्राविधान है।

5- एजेंसी के उपलिखित अनुरोध को अस्वीकार किये जाने पर भी एजेंसी द्वारा जनवरी, 2026 से टोल में हानि होने के दृष्टिगत अनुबन्ध को समय-पूर्व समाप्त किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है तथा टोल संचालन हेतु अपनी असामर्थ्यता प्रकट की गई है।

6- टोल एजेंसी के साथ निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 10.10.2024 के अनुसार दो वर्ष की कान्ट्रैक्ट अवधि दिनांक 14.10.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 13.10.2026 को समाप्त होती है। अतः लगभग 1.5 वर्ष की कान्ट्रैक्ट अवधि समाप्त हो चुकी है एवं मात्र 06 माह की अवधि शेष है। एजेंसी द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जब तक नवीन एजेंसी का चयन एवं उसके द्वारा सभी टोल प्लाजास का कब्जा नहीं लिया जाता है तब तक टोल कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा ही किया जायेगा तथा अनुबन्ध के अनुसार प्राधिकरण को निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जाता रहेगा।

7- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुबन्ध के क्लॉज 37 में निम्नवत् प्राविधान भी किया गया है:-

"Clause 37- DECISION OF AUTHORITY: FINAL AND BINDING

Except where otherwise provided or specified in this Contract and subject also to such powers as may be delegated by the State Government to any of the specific official of the Authority from time to time, any decision of the Authority for the time being on all questions and matters whatsoever arising out of or in relation to or in connection with this Contract or as to the interpretation of any of its conditions whether during the subsistence of this Contract or at any time thereafter, shall be final and binding on the parties to this Contract."

8- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

- a) Issuance of a letter to the contractor w.r.t. to their aforesaid request, conveying the consent of the Authority for pre-mature termination of the contract dated 10.10.2024 at this stage, subject to the following:-
 - i. They shall continue to collect User Fee at the User plazas, remit the agreed remittances timely, as per contract agreement, to the Authority and comply with all other terms and conditions in accordance with the contract, till handing over of the User plazas to the new agency. However, UPEIDA shall endeavour to finalize the new agency as early as possible.
 - ii. 25% of the performance security shall be forfeited by the Authority and the balance performance security shall be released after clearance of all pending dues, if any, to the Authority and issuance of a 'No Dues' certificate by the Authority. The Contract agreement dated: 10.10.2024 shall stand terminated thereafter.
- b) To initiate action for publishing fresh RFP document for selection of a new agency.

9- प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयों के क्रम में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के टोल कॉन्ट्रैक्टर M/s DSSG & Sri Sai Enterprises (JV) को पत्र सं0 1605/यूपीडा/2023/2676/वाल्सू-II दिनांक 03.06.2026 के माध्यम से प्राधिकरण के उक्त निर्णय से अवगत कराया गया। साथ ही नये टोल कॉन्ट्रैक्टर के चयन हेतु नवीन निविदा अभिलेख तैयार कर ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 09.06.2026 को प्रकाशित कर इच्छुक निविदाकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तदक्रम में दिनांक 18.06.2026 को प्री-बिड कॉन्फरेंस आयोजित कर इच्छुक निविदाकर्ताओं की पृच्छाओं का उत्तर एवं कोरिजेन्डम दिनांक 23.06.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही तथा लिये गये निर्णयों से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल कृपया 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर टोल फीस एकत्र करने हेतु चयनित एजेंसी M/s DSSG & Sri Sai Enterprises (JV) के साथ दिनांक 10.10.2024 को निष्पादित अनुबन्ध को समय से पूर्व समाप्त करने हेतु प्राधिकरण द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों पर सहमति एवं कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-24-

यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज पर टोल वसूली एवं टोल प्लाजाओं के संचालन (आवश्यक कार्मियों के साथ 08 एडवान्सड कैटेगरी हाई रुफ एम्बुलेन्सेस एवं 16 पेट्रोल-कम-सेपटी वाहनों की तैनाती सहित) के लिए कॉन्ट्रैक्टर के चयन के संबंध में

अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज पर टोल वसूली एवं टोल प्लाजाओं के संचालन (आवश्यक कार्मियों के साथ 08 एडवान्सड कैटेगरी हाई रुफ एम्बुलेन्सेस एवं 16 पेट्रोल-कम-सेपटी वाहनों की तैनाती सहित) के लिए कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये अनुमोदित निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 02.12.2025 को प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 15.12.2025 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आवश्यक Reply/Clarification एवं Corrigendum दिनांक 26.12.2025 को जारी किया गया था।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 07.01.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 07 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 08.01.2026 को 'नामित समिति' एवं निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष ऑनलाइन खोला एवं डाउनलोड किया गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

- i. M/s Sri Sai Enterprises.
- ii. M/s Sahakar Global Ltd.
- iii. M/s Highway Infrastructure Ltd.
- iv. M/s Surya International Pvt. Ltd.
- v. M/s Inderdeep Construction Company.
- vi. M/s Coral Associates.
- vii. M/s Skylark Enfra Engineering Pvt. Ltd.

3- उपरोक्त 07 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोपरान्त दिनांक 23.01.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में तकनीकी रूप से अर्ह उक्त सभी 07 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:-

S.N.	Name of the Bidder	Total Bid Amount to be paid by the Bidder to the Authority for the First Year of Contract (Inclusive of all Taxes including GST and Service Charges, if any)	Bid Rank
1	M/s Coral Associates in Consortium with M/s Shiva Corporation (India) Ltd.	Rs. 405,30,00,000.00 (Rupees Four Hundred Five Crore Thirty Lakhs only)	H-1
2	M/s Sri Sai Enterprises.	Rs. 402,66,99,999.00 (Rupees Four Hundred Two Crore Sixty Six Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Nine only)	H-2
3	M/s Highway Infrastructure Ltd.	Rs. 401,77,77,777.00 (Rupees Four Hundred One Crore Seventy Seven Lakh Seventy Seven Thousand Seven Hundred Seventy Seven only)	H-3
4	M/s Inderdeep Construction Company.	Rs. 383,86,99,999.00 (Rupees Three Hundred Eighty Three Crore Eighty Six Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Nine only)	H-4
5	M/s Surya International Pvt. Ltd.	Rs. 377,99,40,000.00 (Rupees Three Hundred Seventy Seven Crore Ninety Nine Lakh Fourty Thousand only)	H-5
6	M/s Sahakar Global Ltd.	Rs. 352,35,00,000.00 (Rupees Three Hundred Fifty Two Crore Thirty Five Lakhs only)	H-6
7	M/s Skylark Infra Engineering Pvt. Ltd.	Rs. 350,77,77,777.00 (Rupees Three Hundred Fifty Crore Seventy Seven Lakh Seventy Seven Thousands Seven Hundred Seventy Seven only)	H-7

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Coral Associates in Consortium with M/s Shiva Corporation (India) Ltd. को चयनित करने की संस्तुति प्रदान की गई थी। तदनुसार M/s Coral Associates in Consortium with M/s Shiva Corporation (India) Ltd. को दिनांक 16.02.



2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड निर्गत किया गया था तथा दिनांक 27.02.2026 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। उक्त संस्था द्वारा पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का कार्य दिनांक 01.03.2026 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वाचल एक्सप्रेसवेज पर टोल वसूली एवं टोल प्लाजाओं के संचालन (आवश्यक कार्मियों के साथ 08 एडवान्स्ड कैटेगरी हाई रूफ एम्बुलेन्सेस एवं 16 पेट्रोल-कम-सेपटी वाहनों की तैनाती सहित) के लिए कॉन्ट्रैक्टर के चयन के लिए ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये निविदा अभिलेख के क्रम में निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Coral Associates in Consortium with M/s Shiva Corporation (India) Ltd. के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

• उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-25-

यूपीडा द्वारा निर्मित पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु एजेंसी (कॉन्ट्रैक्टर) तथा अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु आवश्यक रिपोर्ट एवं निविदा अभिलेखों को तैयार करने के लिए परामर्शी नियुक्त किये जाने के संबंध में

अवगत कराना है कि 'यूपीडा द्वारा निर्मित पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु एजेंसी (कॉन्ट्रैक्टर) तथा अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु आवश्यक रिपोर्ट एवं निविदा अभिलेखों को तैयार करने के लिए परामर्शी नियुक्त किये जाने के लिये अनुमोदित ई-निविदा अभिलेख ई-पोर्टल पर दिनांक-16.12.2025 को प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक-01.01.2026 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी। प्री-बिड बैठक में उपस्थित निविदाकर्ताओं द्वारा टेंडर डाक्टूमेंट से सम्बन्धित की गई पृच्छाओं पर लिये गये निर्णयानुसार आवश्यक Reply/Clarification एवं Corrigendum दिनांक-07.01.2026 को जारी किया गया था।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि यथा दिनांक-22.01.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर निम्नलिखित 04 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थी, जिन्हें निर्धारित तिथि यथा दिनांक-23.01.2026 को नामित समिति के समक्ष खोला एवं डाउनलोड किया गया था:-

- i. M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd.
- ii. M/s Chaitanya Projects Consultancy Ltd.
- iii. M/s MSPARK Futuristics & Associates
- iv. M/s Shree Bhawani Consultancy Services Pvt. Ltd.

'नामित समिति' के निर्देशानुसार उक्त 04 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि एक निविदाकर्ता- M/s Shree Bhawani Consultancy Services Pvt. Ltd. द्वारा निविदा अभिलेख की शर्त के अनुसार 'मूल पॉवर ऑफ अटॉर्नी' की हॉर्ड कॉपी नहीं प्रस्तुत की गयी है एवं उनके द्वारा बैठक में न तो प्रतिभाग किया गया और न ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक प्रस्तुतीकरण किया गया। अतः 'नामित समिति' द्वारा निविदाकर्ता- M/s Shree Bhawani Consultancy Services Pvt. Ltd. की निविदा को 'नॉन रिस्पॉन्सिव' घोषित करते हुए उनकी निविदा-प्रस्ताव को Evaluate न किये जाने का निर्णय लिया गया।

3- निर्धारित तिथि दिनांक-20.02.2026 को 'नामित समिति' की बैठक में समिति को अवगत कराया गया कि उक्त निविदाकर्ता- M/s Shree Bhawani Consultancy Services Pvt. Ltd. की निविदा 'नॉन रिस्पॉन्सिव' पाये जाने के साथ-साथ एक अन्य निविदाकर्ता- M/s MSPARK Futuristics & Associates की निविदा तकनीकी रूप से अर्ह नहीं पायी गयी। तदनुसार 'नामित समिति' द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार तकनीकी रूप से अर्ह शेष 02 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया। प्राप्त निविदाओं का QCBS मूल्यांकन निम्नवत् है:-

'Composite QCBS score for Engagement of a Consultant for preparation of necessary Reports and Bid Documents for Selection of Agency (Contractor) and Authority's Engineer for Operation and Maintenance of Purvanchal Expressway.'

Sl. No.	Name of Agency	Quoted Financial Proposal
1	M/s Chaitanya Projects Consultancy Limited in consortium with Nangle and Company LLP	49733000.00
2	M/s Translink Infrastructure Consultant Pvt.Ltd.	19989890.00
	L1	19989890.00

QCBS Evaluation						
Particulars	M/s Chaitanya Projects Consultancy Limited in consortium with Nangle and Company LLP			M/s Translink Infrastructure Consultant Pvt.Ltd.		
	Marks scored out of 100	Weightage %	Weighted Score	Marks scored out of 100	Weightage %	Weighted Score
Technical Score	95.00	70.00	66.50	79.25	70.00	55.48
Financial Score	40.19	30.00	12.06	100.00	30.00	30.00
Combined Score out of 100			78.56			85.48

4— उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा अधिकतम QCBS स्कोर प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. (जिनकी वित्तीय निविदा भी न्यूनतम थी) को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा पत्रावली में अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. को दिनांक-06.03.2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड निर्गत कर दिनांक-24.03.2026 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया 'यूपीडा द्वारा निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु एजेंसी (कॉन्ट्रैक्टर) तथा अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु आवश्यक रिपोर्ट एवं निविदा अभिलेखों को तैयार करने के लिए परामर्शी नियुक्त किये जाने हेतु ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये निविदा अभिलेख के क्रम में निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार अधिकतम QCBS स्कोर प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. (जिनकी वित्तीय निविदा भी न्यूनतम थी) के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

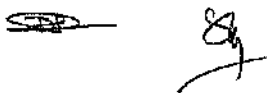
यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-26-

यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-III, पैकेज-IV, पैकेज-V, पैकेज-VI, पैकेज-VII एवं पैकेज-VIII पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स के साथ फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख-रखाव हेतु एजेंसियों को चयनित किये जाने के संबंध में

अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-III, पैकेज-IV, पैकेज-V, पैकेज-VI, पैकेज-VII एवं पैकेज-VIII पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स के साथ फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख-रखाव हेतु एजेंसियों को चयनित किये जाने के लिये अनुमोदित निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक-09.10.2025 को प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक-27.10.2025 को प्री-बिड बैठक आयोजित की गयी थी। प्री-बिड बैठक में उपस्थित निविदाकर्ताओं द्वारा टेण्डर डॉक्यूमेंट से सम्बन्धित की गयी पृच्छाओं पर लिये गये निर्णयानुसार Reply/Clarification एवं Corrigendum दिनांक-03.11.2025 को जारी किया गया था।

2— उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि यथा दिनांक-17.11.2025 को ई-टेंडर पोर्टल पर 24 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि यथा दिनांक-18.11.2025 को नामित समिति के समक्ष खोला एवं डाउनलोड किया गया था। 'नामित समिति' के निर्देशानुसार उक्त 24 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान 14 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों में कतिपय कमियां पायी गई थी।



उक्त 14 निविदाकर्ताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण पर दिनांक-06.01.2026 को सम्पन्न 'नामित समिति' की बैठक पर विचार-विमर्शपरान्त उक्त 24 निविदाकर्ताओं में से 19 निविदाकर्ताओं की निविदायें तकनीकी रूप से अर्ह पायी गई। तत्पश्चात् 03 अन्य निविदाकर्ताओं के द्वारा यूपीडा को देय अवशेषों के भुगतान किये जाने के उपरान्त उनकी निविदाओं को भी तकनीकी रूप से अर्ह घोषित किया गया। तदनुसार नामित समिति द्वारा 22 तकनीकी रूप से अर्ह निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाओं को ऑनलाइन खोले जाने का निर्णय लिया गया।

3— तत्पश्चात् दिनांक-22.01.2026 को आहूत नामित समिति की बैठक में समिति के समक्ष तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये 22 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था, जिसके अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों हेतु प्राप्त अधिकतम निविदा मूल्य (एच-1) का विवरण निम्नवत् है:-

S. No.	Details of Package	H-1 Bidder quoting the highest bid amount	Bid Amount (H-1)
1.	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract w.r.t. Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package III of 'Purvanchal Expressway' at Chainage 109+900 (RHS)	M/s Jai Bharat Enterprises	Rs. 62,10,000.00
2.	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract w.r.t. Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package IV of 'Purvanchal Expressway' at Chainage 138+850 (LHS)	M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandra and Bhojnalaya	Rs. 16,52,151.00
3.	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract w.r.t. Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package V of 'Purvanchal Expressway' at Chainage 197+600 (RHS)	M/s Jai Ambe Trading Company	Rs. 8,25,000.00
4.	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract w.r.t. Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package VI of 'Purvanchal Expressway' at Chainage 228+650 (LHS)	M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd.	Rs. 6,11,111.00
5.	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract w.r.t. Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package VII of 'Purvanchal Expressway' at Chainage 268+600 (RHS)	M/s The Manish Eating Point	Rs. 5,25,999.00
6.	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract w.r.t. Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package VIII of 'Purvanchal Expressway' at Chainage 315+900 (LHS)	M/s Jai Bharat Enterprises	Rs. 3,11,000.00

उक्त विवरण के क्रम में पैकेज-III के लिए अधिकतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Jai Bharat Enterprises ने 'नामित समिति' के समक्ष यह लिखित रूप से स्वीकार किया कि उनके द्वारा त्रुटिवश निविदा मूल्य रु0 62,10,000.00 दी गयी है जबकि उनकी निविदा मूल्य वास्तविक रूप से रु0 6,21,000.00 की धनराशि है। उक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा उक्त निविदाकर्ता की निविदा को निरस्त करने, बिड सिक्वोरिटी धनराशि को जब्त करने तथा पैकेज-III के लिए नवीन निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

4— उपरोक्तानुसार नामित समिति द्वारा विभिन्न पैकेजों हेतु अधिकतम निविदा मूल्य देने वाले निविदाकर्ताओं यथा- पैकेज-IV के लिए M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya, पैकेज-V के लिए M/s Jai Ambe Trading Company, पैकेज-VI के लिए M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd., पैकेज-VII के लिए M/s The Manish Eating Point तथा पैकेज-VIII के लिए M/s Jai Bharat Enterprises को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार उक्त चयनित निविदाकर्ताओं को दिनांक-11.02.2026 को 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' निर्गत किया गया था।

निर्गत 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' के नियम एवं शर्तों के अनुसार उक्त निविदाकर्ताओं द्वारा वांछित परफॉरमेन्स सिक्वोरिटी की धनराशि जमा करायी जानी थी, जिनमें से केवल पैकेज-IV के लिए चयनित M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya, पैकेज-VI के लिए चयनित M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd., पैकेज-VII के लिए चयनित M/s The Manish Eating Point तथा पैकेज-VIII के लिए चयनित M/s Jai Bharat Enterprises द्वारा परफॉरमेन्स सिक्वोरिटी की धनराशि जमा करायी गयी थी।

कालांतर में परफॉरमेन्स सिक्वोरिटी की धनराशि जमा कराने वाले पैकेज-VII के लिए चयनित निविदाकर्ता M/s The Manish Eating Point द्वारा उन्हें अवॉर्ड किये गये कार्य को सम्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

इसके साथ ही पैकेज-V के लिए चयनित निविदाकर्ता M/s Jai Ambe Trading Company द्वारा परिवार में स्वास्थ्य सम्बन्धी अचानक आई गंभीर समस्या के कारण उन्हें अवॉर्ड किये गये कार्य को सम्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की गयी। पैकेज-IV के लिए चयनित M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya के साथ अनुबंध निष्पादित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

तत्कम में दिनांक-17.05.2026 को सम्पन्न 'नामित समिति' की बैठक में पैकेज-V के लिए चयनित M/s Jai Ambe Trading Company एवं पैकेज-VII के लिए चयनित M/s The Manish Eating Point को जारी किये गये 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' को निरस्त कर उनके द्वारा जमा करायी गयी बिड सिक्वोरिटी एवं पैकेज-VII के लिए चयनित M/s The Manish Eating Point द्वारा जमा करायी गयी परफॉरमेंस सिक्वोरिटी को भी जब्त किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पैकेज-III, पैकेज-V एवं पैकेज-VII हेतु नवीन निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये।

तत्पश्चात् दिनांक-25.03.2026 को पैकेज-VIII के लिए चयनित निविदाकर्ता M/s Jai Bharat Enterprises तथा दिनांक-20.05.2026 को पैकेज-VI के लिए चयनित निविदाकर्ता M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd. के साथ अनुबंध निष्पादित किये गये थे।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया यूपीडा द्वारा पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-III, पैकेज-IV, पैकेज-V, पैकेज-VI, पैकेज-VII एवं पैकेज-VIII पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स के साथ फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख-रखाव हेतु एजेंसियों को चयनित किये जाने के लिए ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये निविदा अभिलेख के क्रम में निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार पैकेज-IV, पैकेज-VI एवं पैकेज-VIII के लिए अधिकतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं क्रमशः M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya, M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd. एवं M/s Jai Bharat Enterprises के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-27-

यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज-II एवं पैकेज-III पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख-रखाव हेतु एजेंसियों को चयनित किये जाने के संबंध में

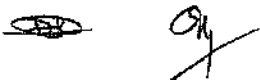
अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज-II एवं पैकेज-III पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख-रखाव हेतु एजेंसियों को चयनित किये जाने के लिये अनुमोदित निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक-02.02.2025 को प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

2- उक्त के क्रम में चयनित एजेंसी 'मे0 सुशीला इण्टरप्राइजेज' को 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' निर्गत किया गया था, किन्तु उनके द्वारा पैकेज-II एवं पैकेज-III पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स एवं फूड किऑस्क्स का कब्जा नहीं लेने के कारण उनको निर्गत 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' दिनांक-13.10.2025 को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा करायी गयी परफॉरमेंस गारंटी को जब्त कर लिया गया।

तत्पश्चात् उक्त टॉयलेट ब्लॉक्स एवं फूड किऑस्क्स हेतु पुनः दिनांक-13.10.2025 को निविदा अभिलेख को ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित किया गया, जिसके सापेक्ष निविदा जमा किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक-17.11.2025 को मात्र एक बिड की ही प्राप्ति हुई। अतः निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।

उसके उपरान्त पुनः दिनांक-18.11.2025 को निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित किया गया। निविदा जमा किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक-27.11.2025 को पुनः मात्र एक बिड प्राप्त होने के फलस्वरूप उक्त अंतिम तिथि को दिनांक-15.12.2025 तक के लिए विस्तारित किया गया, जिसके सापेक्ष पुनः एक बिड की प्राप्ति के दृष्टिगत अंतिम तिथि को पुनः दिनांक-01.01.2026 तक के लिए विस्तारित किया गया। दिनांक-01.01.2026 को भी एक ही बिड प्राप्त होने के फलस्वरूप निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि को दिनांक-06.01.2026 तक के लिए पुनः विस्तारित किया गया।

'नामित समिति' की निर्धारित तिथि दिनांक-07.01.2026 को सम्पन्न बैठक में यह संज्ञान में लिया गया कि निविदा अभिलेख तीन बार ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने एवं निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि को अनेक बार विस्तारित किये जाने के बावजूद प्रत्येक अवसर पर मात्र एक बिड की ही प्राप्ति हुई है; अतः



समिति द्वारा प्रचलित निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत उक्तानुसार प्राप्त एकल बिड (Single Bid) को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

3— उपरोक्तानुसार प्राप्त एकल निविदा को 'नामित समिति' के समक्ष निर्धारित तिथि दिनांक-07.01.2026 को ऑनलाइन खोला गया था। 'नामित समिति' द्वारा उक्त बैठक में उक्त एकल निविदाकर्ता-M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd. द्वारा ऑनलाइन जमा की गयी निविदा को डाउनलोड किया गया था:-

4— उपरोक्त 01 निविदाकर्ता के तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकनोपरान्त दिनांक-04.02.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में उक्त निविदाकर्ता को तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने के उपरान्त उनके वित्तीय प्रस्ताव को खोला गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl.No.	Particular of Toilet Blocks with Food Kiosk	Name of the Bidder	Lump Sum Amount (Inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the contract of respective Toilet Block with Food Kiosk.
1.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk of Package-II of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 70+500 (RHS)	M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd.	Rs. 11,111.00 (Rupees Eleven Thousand One Hundred Eleven Only)
2.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk of Package-III of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 128+500 (LHS)	M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd.	Rs. 15,121.00 (Rupees Fifteen Thousand One Hundred Twenty One Only)

5— उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा अधिकतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले एकल निविदाकर्ता M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd. को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd. को दिनांक-25.02.2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड निर्गत किया गया था तथा दिनांक-20.05.2026 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया 'यूपीडा' द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज-II एवं पैकेज-III पर स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स एवं फूड किऑस्क के संचालन तथा रख-रखाव हेतु एजेंसियों को चयनित किये जाने के लिए ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये निविदा अभिलेख के क्रम में निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार एकल निविदाकर्ता M/s OJS Ganesh Business (OPC) Pvt. Ltd. के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-28-

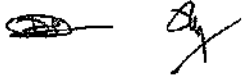
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक/विवरण संज्ञानार्थ

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय-व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:-

		(धनराशि रु0 लाख में)		दिनांक-	
		वित्तीय वर्ष 2026-27		25.07.2026	
योजना का नाम		वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आवंटित कुल बजट		प्राविधानित के सापेक्ष शासन स्तर से जारी स्वीकृति	
		पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
1	CAPITAL OUTLAY				
1	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना (परियोजना के 06 निर्माणकर्ताओं के अनुसूच्य कार्यों के सम्पादित देयक, अथारिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय,				

	एटीएमएस के संचालन एवं अनुसंधान से संबंधित भुगतान, एजेंसी चार्ज)							
	5054-03-337-06-24 (वृहत निर्माण)	30,000.00			30,000.00		7,500.00	22,500.00
2	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (परियोजना के 08 निर्माणकर्ताओं के अनुसंधान कार्यों के सम्पादित देयक, अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय, एटीएमएस के संचालन एवं अनुसंधान से संबंधित भुगतान, एजेंसी चार्ज)							
	5054-03-337-04-24 (वृहत निर्माण)	32,500.00			32,500.00		9,000.00	23,500.00
3	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (परियोजना के निर्माणकर्ताओं के निर्माण कार्य तथा अनुसंधान कार्यों के सम्पादित देयक, अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय एवं एजेंसी चार्ज)							
	5054-03-337-07-24 (वृहत निर्माण)	8,000.00			8,000.00		3,000.00	5,000.00
4	गुर्दासपुर एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीखोर परियोजना							
	5054-03-337-08-24 (वृहत निर्माण)	30,000.00	6,638.53		23,361.47		809.18	22,552.29
	5054-03-337-08-60 (भूमि कय)	12,500.00			12,500.00			12,500.00
5	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्ज, अनुसंधान के अनुसार चेंज ऑफ स्कोप के सम्पादित देयक)							
	5054-03-337-09-24 (वृहत निर्माण)	60,000.00			60,000.00		26500.00	33,500.00
6	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बीओजीएफओ धनराशि							
	5054-03-337-14-24 (बीओजीएफओ)	60,000.00			60,000.00			60,000.00
7	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जीओएसटीओ के अतिरिक्त प्रस्तावित व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु							
	5054-03-337-17-20 (जीओएसटीओ)	6,000.00			6,000.00			8,000.00
8	आरंभी लिंक परियोजना (निर्माणकर्ताओं के भुगतान, अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्ज आदि)							
	5054-03-337-15-24 (वृहत निर्माण)	50,000.00			50,000.00			50,000.00
	5054-03-337-15-60 (भूमि कय)	5,000.00			5,000.00			5,000.00
9	चित्रकूट लिंक परियोजना (निर्माणकर्ताओं के भुगतान, अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्ज आदि)							
	5054-03-337-16-24 (वृहत निर्माण)	25,048.00			25,048.00			25,048.00
	5054-03-337-16-60 (भूमि कय)	1,000.00			1,000.00			1,000.00
10	आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किये जाने हेतु (अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, निर्माण कार्य, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्ज आदि)							
	5054-03-337-18-24 (वृहत निर्माण)	20,000.00	7,500.00		12,500.00			12,500.00
	5054-03-337-18-60 (भूमि कय)	1,20,000			1,20,000.00			1,20,000
11	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पॉलिफाइल परियोजना (Arbitration/Conciliation/Payment to Advocate)							
	5054-03-337-03-24 (वृहत निर्माण)	25,000.00			25,000.00			25,000.00
12	आगरा-लखनऊ को किमी 292 में बाँधी जोर नये जनसुविधा परिसर एवं याहन पार्किंग स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में							
	5054-03-337-04-24 (वृहत निर्माण)	1,500.00			1,500.00			1,500.00
13	जंवर एअरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दाशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित प्रदेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे (निर्माण कार्य के देयक अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्ज आदि)							
	5054-03-337-19-24 (वृहत निर्माण)	20,000.00			20,000.00			20,000.00
	5054-03-337-19-60 (भूमि कय)	90,000.00			90,000.00		45,800.7	44,199.21
15	आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रदेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे (निर्माण कार्य के देयक अधीरिटी इंजीनियर के सम्पादित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्ज आदि)							
	5054-03-337-23-24 (वृहत निर्माण)	25,000.00	7,500.00		17,500.00			17,500.00
	5054-03-337-23-60 (भूमि कय)	1,00,000.	89,220.		10,780.00			10,780.00
16	एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक							



	कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु (औद्योगिक नोड्स में अविग्रहीत का गयी भूमि पर बुनियादी ढांचे के विकास यथा सीएनजी कार्य, आंतरिक सड़क निर्माण, सन्देशन का निर्माण कार्य, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था का कार्य, जल आपूर्ति, अग्निशमन, एरिया ड्रेनेज, सीवरेंज ड्रीटमेंट, फायर स्टेशन इत्यादि का कार्य, उक्त के अलावा प्री-फिजीविलिटी हेतु परामर्श के संग्रहित देयक)							
	5054-03-337-13-24 (बृहत निर्माण)	90,000.00	19,766.99	70,233.01			70,233.01	
17	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना कार्य (जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु 04 स्थलों में प्रत्येक स्थल पर परिसर के विकास हेतु आवश्यक मार्गों, ड्रेनेज, सीवरेंज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था आदि कार्य)							
	5054-03-337-20-24 (बृहत निर्माण)	6,000.00	4,517.74	1,482.26			1,482.26	
16	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना के कार्य (जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु 08 स्थलों में प्रत्येक स्थल पर परिसर के विकास हेतु आवश्यक मार्गों, ड्रेनेज, सीवरेंज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था आदि कार्य)							
19	5054-03-337-21-24 (बृहत निर्माण)	12,000.00	9,464.54	2,535.46			2,535.46	
	आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मरम्मत एवं अनुसूचना का कार्य							
	5054-03-337-22-24 (बृहत निर्माण)	40,100.00	12,000.00	28,100.00			28,100.00	
20	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत यातायात एवं यातायात सुरक्षा की निगरानी हेतु एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.) का कार्य। (एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ Vehicle Speed Detection System Equipment (VSDS) एवं Digital Transmission System का कार्य)							
	5054-03-337-24-24 (बृहत निर्माण)	1,400.00		1,400.00			1,400.00	
21	आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नये एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.) का कार्य। (एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ Vehicle Speed Detection System Equipment (VSDS) एवं Digital Transmission System का कार्य)							
	5054-03-337-25-24 (बृहत निर्माण)	1,500.00		1,500.00		1,000.00	500.00	
22	गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, बाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनमढ तक (विन्ध्य एक्सप्रेसवे) निर्माण।							
23	5054-03-337-26-60 (भूमि कय)	50,000.00		50,000.00			50,000.00	
	मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण							
	5054-03-337-27-60 (भूमि कय)	50,000.00		50,000.00		1,000.00	49,000.00	
24	विन्ध्य एक्सप्रेसवे पर सोनमढ जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली गाजीपुर होते हुये (विन्ध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल लिंक स्पर) निर्माण।							
	5054-03-337-28-60 (भूमि कय)	50,000.00		50,000.00			50,000.00	
	योग	10,22,548	1,56,607.80	-	8,65,940.20	-	94,609.97	7,71,330.23
REVENUE OUTLAY								
1	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	53,341.00	13,668.08	39,672.92	11,072.26		28,600.66	
2	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान	42,824.00	10,707.00	32,117.00			32,117.00	
3	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	16,700.00	4,325.21	12,374.79	3,552.60		8,822.18	
4	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान	18,750.00	4,687.50	14,062.50			14,062.50	
5	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	40,593.00	10,745.08	29,847.92	9,198.32		20,649.60	
6	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान	72,400.00	18,100.00	54,300.00			54,300.00	
7	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	15,918.00	4,135.38	11,782.62			11,782.62	
8	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान	18,388.00	4,597.00	13,791.00			13,791.00	
	योग	2,78,914.0	70,965.25	-	2,07,948.75	23,823.19	1,84,125.56	
9	UP Defence & Aerospace Unit & Employment Promotion Policy 2018							

2652-08-104-03-27 (Subsidy)		7,000.00						
योग		7,000.00						
महायोग	10,22,548	2,85,914	1,56,607.80	70,965.25	8,55,940.20	2,07,948.75	1,18,433.15	9,55,455.79

उपरोक्तानुसार आय-व्ययक विवरण मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा के उपरोक्त आय व्ययक/विवरण को अवलोकित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-29-

उ0प्र0 डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं आई0एम0एल0सी0 के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुमोदनार्थ

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 की धारा 6 (2) में प्राधिकरण के निर्धारित दायित्वों में योजना एवं तलपट मानचित्र तैयार करने का दायित्व भी निर्धारित है। तत्कम में प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.02.2024 के अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या 3 में यूपीडा द्वारा विभिन्न डिफेन्स नोड हेतु प्रस्तावित तलपट मानचित्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदत्त उक्त अनुमोदन के क्रम में यूपी0डी0आई0सी0 नोड के 02 तलपट मानचित्रों का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं0	नोड का नाम	अनुमोदन का दिनांक	संलग्नक का विवरण
1.	झाँसी	11.02.2026 (संशोधित)	संलग्नक क
2.	अलीगढ़ (फेस 2)	10.04.2026 (संशोधित)	संलग्नक ख

इसके अतिरिक्त आई0एम0एल0सी0 के 05 नोड हेतु तलपट मानचित्र का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है, जिनके विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं0	नोड का नाम	अनुमोदन का दिनांक	संलग्नक का विवरण
1.	हमीरपुर	07.02.2026	संलग्नक ग
2.	बदायूँ	07.02.2026	संलग्नक घ
3.	शाहजहाँपुर	06.03.2026 (संशोधित)	संलग्नक ङ
4.	नेरठ	06.03.2026 (संशोधित)	संलग्नक च
5.	फिरोजाबाद	14.05.2026 (संशोधित)	संलग्नक छ

उपरोक्त समस्त तलपट मानचित्र (संलग्नक "क" से "छ") प्राधिकरण के निदेशक मण्डल के समक्ष संज्ञानार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त समस्त तलपट मानचित्र, पर निदेशक मण्डल के द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-30-

उत्तर प्रदेश डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, झाँसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा प्रस्तावित रक्षा उत्पादन इकाई हेतु भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए यूपीडा में विस्तृत भवन मानचित्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झाँसी नोड में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा सार्वजनिक उपक्रम (Defence Public Sector Undertaking & DPSU) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) को यूपीडा द्वारा भूखण्ड संख्या एस-1, लगभग 183 हेक्टेयर, आवंटित की गयी है। उक्त भूमि पर BDL द्वारा रक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित विनिर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है।

2. पृष्ठभूमि

यूपीडा द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी औद्योगिक भवन के निर्माण हेतु यूपीडा भवन नियमावली (Building Bye-Laws) के अनुरूप भवन मानचित्र तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेख, शपथ-पत्र, तकनीकी विवरण एवं देय शुल्क जमा किये जाते हैं। भवन मानचित्र अनुमोदन के समय कुल आच्छादित क्षेत्रफल (Total Covered Area) एवं निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) के आधार पर अनुज्ञा शुल्क, निरीक्षण शुल्क, मलबा शुल्क एवं अन्य देय शुल्क निर्धारित किये जाते हैं। मानचित्र एवं अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त भवन नियमावली के अनुरूप पाए जाने पर यूपीडा द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदित किया जाता है।

3. वर्तमान प्रस्ताव

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अपर महाप्रबन्धक, झांसी परियोजना द्वारा पत्रांक दिनांक 26.06.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित रक्षा उत्पादन इकाई से सम्बन्धित भवन मानचित्र एवं आन्तरिक विन्यास (Layout) अत्यन्त संवेदनशील एवं गोपनीय प्रकृति के हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा प्रतिष्ठानों की गोपनीयता बनाए रखने के दृष्टिगत विस्तृत भवन मानचित्र यूपीडा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से छूट प्रदान की जाए।

BDL द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि:-

- (क) सम्पूर्ण निर्माण कार्य पंजीकृत वास्तुविद्/तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), यूपीडा भवन उपविधियों, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, अग्नि सुरक्षा मानकों एवं अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कराया जाएगा।
- (ग) सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियां, एनओसी एवं स्वीकृतियां सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त की जाएंगी।
- (घ) भवन उपविधियों एवं अन्य लागू नियमों के अनुपालन हेतु समस्त उत्तरदायित्व भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का होगा।

इसके अतिरिक्त, BDL द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् श्री अनिल बंसल, COA Registration No. CA/1989/12765 का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि प्रस्तावित भवन का नियोजन एवं अभिकल्प UPEIDA Building Bye&Laws, National Building Code (NBC)-2016, तथा अन्य लागू मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है तथा निर्माण कार्य भी इन्हीं प्रावधानों के अनुसार कराया जाएगा।

BDL द्वारा प्रस्तावित निर्माण हेतु घोषित निर्मित क्षेत्रफल (Built&up Area) 18822 वर्गमीटर के आधार पर देय भवन अनुज्ञा शुल्क जमा कर दिया गया है।

4. वित्तीय उपाशय

BDL द्वारा केवल विस्तृत भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने में छूट का अनुरोध किया गया है। भवन अनुज्ञा शुल्क अथवा अन्य देय प्रभारों में किसी प्रकार की छूट नहीं मांगी गई है। अतः इस प्रस्ताव से यूपीडा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा निर्धारित शुल्क यथावत प्राप्त होते रहेंगे। निर्मित क्षेत्र में वृद्धि होने की स्थिति में अतिरिक्त देय शुल्क भी BDL द्वारा जमा कराया जाएगा।

5. औचित्य एवं विश्लेषण

सामान्यतः भवन मानचित्र अनुमोदन के दौरान अधिकतम भू-आच्छादन (Ground Coverage), एफ.ए.आर. (FAR), सेट-बैक, पार्किंग व्यवस्था, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी/वृक्षारोपण, अग्नि सुरक्षा प्रावधान, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य विकास नियंत्रण मानकों का परीक्षण किया जाता है।

BDL भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रणनीतिक एवं संवेदनशील रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। रक्षा उत्पादन इकाइयों के भवन मानचित्र एवं आन्तरिक विन्यास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गोपनीय होते हैं। दूसरी ओर, BDL द्वारा सक्षम अधिकारी का शपथ-पत्र तथा पंजीकृत वास्तुविद् श्री अनिल बंसल (COA Registration No- CA/1989/12765) का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें UPEIDA Building Bye-Laws, National Building Code (NBC)-2016, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, अग्नि सुरक्षा मानकों एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि UPEIDA बोर्ड की 82वीं बैठक में रक्षा क्षेत्र की समान प्रकृति की परियोजना, डी0आई0सी0 लखनऊ में ब्रम्होस की विनिर्माण इकाई को विस्तृत भवन मानचित्र प्रस्तुत करने से सशर्त छूट प्रदान की गई थी।

उपरोक्त तथ्यों, BDL द्वारा प्रस्तुत आश्वासनों, पंजीकृत वास्तुविद् श्री अनिल बंसल (COA Registration No- CA/1989/12765) के प्रमाण-पत्र तथा UPEIDA बोर्ड की 82वीं बैठक में लिए गए पूर्व निर्णय के दृष्टिगत, BDL को विस्तृत भवन मानचित्र UPEIDA में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने से सशर्त छूट प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि UPEIDA Building Bye-Laws, Development Control Regulations, National Building Code (NBC)-2016, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, अग्नि सुरक्षा मानकों तथा अन्य समस्त लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का पूर्ण उत्तरदायित्व भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) का होगा।

6. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

बोर्ड से निम्नलिखित अनुमोदन अपेक्षित है—

1. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) को उसकी प्रस्तावित रक्षा उत्पादन इकाई हेतु विस्तृत भवन मानचित्र यूपीडा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से सशर्त छूट प्रदान की जाये।
2. BDL द्वारा प्रस्तावित निर्माण के कुल आच्छादित/निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर देय भवन अनुज्ञा शुल्क एवं अन्य प्रभार यथावत देय रहेंगे तथा इनमें किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
3. BDL के अधिकारी एवं पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र/अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि सम्पूर्ण निर्माण कार्य यूपीडा भवन उपविधियों, विकास नियंत्रण विनियमों, राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों, अग्नि सुरक्षा मानकों एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा उक्त का अनुपालन BDL द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा।
4. भविष्य में यदि निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो BDL तत्काल इसकी सूचना यूपीडा को देगा तथा अतिरिक्त देय शुल्क एवं अन्य प्रभार जमा करायेगा।
5. भवन नियमावली अथवा अन्य लागू नियमों के किसी भी उल्लंघन की दशा में उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का होगा तथा यूपीडा इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा10 निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है। प्रश्नगत प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त BDL से उक्त प्रस्तर -3 में उल्लेखानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा 90 दिन के अन्दर समस्त वांछित अनापत्ति प्रस्तुत करें।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-31—

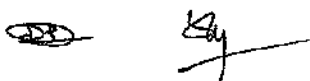
Approval of Upfront Land Rebate Mechanism for Eligible Anchor and Mega Anchor Aerospace & Defence Units on the lines of the UP FDI/FCI, Fortune Global 500 & Fortune India 500 Companies Investment Promotion Policy, 2023

1. Introduction

- a. The Uttar Pradesh Defence & Aerospace Unit and Employment Promotion Policy, 2018 and the Uttar Pradesh Aerospace & Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024 provide for a 25% upfront land rebate for Anchor & Mega Anchor Aerospace & Defence Units, i.e., units undertaking an investment of more than ₹200 crore/₹300 crore respectively (excluding the cost of land).
- b. As per the provisions of the aforesaid policies, the applicant is eligible for the 25% Front-End Land Rebate along with other back-ended incentives. However, for availing these incentives under both policy frameworks, the applicant is required to obtain a Letter of Comfort (LoC) prior to the disbursement of incentives, as per the SOP to Uttar Pradesh Aerospace & Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024
- c. The Aerospace & Defence sector is a strategic, niche sector highly capital intensive and has long gestation periods, a highly regulated market environment, restricted customer and consumption base, and stringent procurement and compliance frameworks. These factors often pose significant challenges to project viability and financial sustainability during the initial stages of project implementation.
- d. Further, the primary objective of the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor is not merely the promotion of commercial investments, but also the advancement of defence indigenisation, self-reliance, and the development of a robust domestic defence manufacturing ecosystem.
- e. Accordingly, the vision, spirit, and intent of the policy is to provide necessary institutional and financial support to eligible investors, thereby enhancing project viability and feasibility while facilitating indigenous manufacturing capabilities and strengthening the State's position as a leading defence and aerospace hub which gets denied where upfront subsidy does not remain upfront.

2. Background

- a. As per the categories defined under Paragraph 8.3 (Mega Anchor Aerospace & Defence Unit) and Paragraph 8.4 (Anchor Aerospace & Defence Unit) of the Uttar Pradesh Aerospace & Defence Units and Employment Promotion Policy, 2024, eligible units proposing the prescribed investment thresholds (to become Anchor Unit) are entitled to a Front-End Land Rebate of 25% in accordance with Paragraph 9(ख) (i) of the Policy.
- b. Similarly, under Paragraph 5.2 of the Uttar Pradesh Defence & Aerospace Units and Employment Promotion Policy, 2018 (as amended from time to time), eligible units established in the Defence Industrial Corridor were entitled to an upfront rebate of 25% of the cost of land. Accordingly, both Policies envisage the grant of a 25% Front-End Land Rebate to eligible Aerospace & Defence units established within the Defence Industrial Corridor.
- c. The above incentive shall remain valid, and the applicant is able to claim the other back ended incentives on



- i. **Achievement of the minimum eligible investment thresholds** specified for the categories defined as prescribed under Para 8.3 and 8.4; and
 - ii. **Completion of investment within the stipulated timelines** as per Para 9.1(i) & (ii) of the 2024 Policy, which prescribe an **eligible investment period of 5 years for Anchor units and 7 years for Mega Anchor units**.
- d. Similar provisions regarding compliance with investment commitments are also available under Paragraph 5.5 of the Uttar Pradesh Defence & Aerospace Units and Employment Promotion Policy, 2018 (inserted vide Government Order dated 17 August 2022).
 - e. Accordingly, investors falling in the above-mentioned categories are eligible to avail the other incentives only upon the issuance of a **Letter of Comfort (LoC)**, which serves as the formal recognition of a project's eligibility under the Policy. The process of scrutiny, evaluation, recommendation, and approval of LoC applications generally requires approximately **four to six months**, resulting in a significant time gap between land allotment and the actual availability of the Front-End Land Rebate to the investor.
 - f. This time lag impacts the objective of providing immediate financial support at the project implementation stage and may affect investor cash flows during the initial phase of project development. Therefore, there is a need to adopt a streamlined mechanism for grant of the Front-End Land Rebate that balances investor facilitation with adequate safeguards for ensuring compliance with investment commitments under the Policy.

3. Present Proposal

- a. To ensure uniformity in the implementation of investment promotion policies and facilitate the timely disbursement of Front-End Land Rebate to eligible Aerospace & Defence investors, it is proposed that the mechanism prescribed u/p 31 of the *Uttar Pradesh FDI/FCI, Fortune Global 500 & Fortune India 500 Companies Investment Promotion Policy, 2023* be adopted, mutatis mutandis, for eligible Anchor and Mega Anchor Aerospace & Defence Units established within the Defence Industrial Corridor.
- b. Under the proposed mechanism, applications for grant of Front-End Land Rebate shall be submitted to the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPIEDA), being the nodal agency for the Defence Industrial Corridor. The applications shall be examined by the Evaluation Committee constituted under Clause 5.2.1 of the Standard Operating Procedure (SOP) of the Uttar Pradesh Aerospace & Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024. Thereafter, the proposals shall be placed before the Empowered Committee constituted under Clause 5.3.1 of the SOP, under the chairmanship of the Infrastructure & Industrial Development Commissioner (IIDC), Government of Uttar Pradesh, for review and recommendation. Upon approval by the competent authority, the eligible Front-End Land Rebate shall be released in accordance with the provisions of the Policy and SOP.

4. Financial Implications

- a. The proposal does not involve any additional financial liability on the State Government or UPIEDA, nor does it propose the introduction of any new incentive or subsidy. The incentives covered under the proposal are already provided under the applicable Aerospace & Defence Policies.
- b. The proposal is limited to providing clarity and formalising the operational and implementation framework for the grant of the existing Front-End Land Rebate. It seeks to adopt a streamlined mechanism for processing and approval of such claims to ensure uniformity, transparency, and timely disbursement of incentives in accordance with the existing policy provisions only.

5. Analysis and Justification

The existing policy framework envisages grant of a 25% Front-End Land Rebate to eligible Anchor and Mega Anchor Aerospace & Defence Units; however, a detailed implementation mechanism for extending the benefit at the land allotment stage has not been prescribed.

Adoption of a mechanism like that provided under the UP FDI/FCI, Fortune Global 500 & Fortune India 500 Companies Investment Promotion Policy, 2023 would:

- Facilitate timely implementation of the policy provisions;
- Reduce the upfront financial burden on investors;
- Enhance project viability during the initial stages of implementation;
- Promote large-scale investments in the Defence Industrial Corridor; and
- Ensure consistency and transparency in the administration of front-end incentives across State investment promotion policies.

6. Approval Sought from the Board

The approval of the Board of Directors, UPIEDA, is solicited for

- a. Adoption of a mechanism for grant of the 25% Front-End Land Rebate to eligible Anchor and Mega Anchor Aerospace & Defence Units under the Uttar Pradesh Aerospace & Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024, on the lines of the mechanism prescribed under Paragraph 31 of the Uttar Pradesh FDI/FCI, Fortune Global 500 & Fortune India 500 Companies Investment Promotion Policy, 2023.

- b. In terms of Paragraph 7(c) of the Standard Operating Procedure (SOP) of the Uttar Pradesh Aerospace & Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024, "the High-Level Empowered Committee (HLEC) is empowered to provide clarifications, interpretations and resolutions in respect of issues arising during implementation of the Policy."

Accordingly, approval is also sought for placing the matter before the HLEC for issuance of necessary direction to enable implementation of the aforesaid mechanism by delegation of authorization to the Empowered Committee chaired by the Infrastructure & Industrial Development Commissioner (IIDC), based on the recommendations of the Evaluation Committee, to examine, approve and issue the Eligibility Certificate for grant of the Front-End Land Rebate, in a manner analogous to the mechanism prescribed u/p 31 of the Uttar Pradesh FDI/FCI, Fortune Global 500 & Fortune India 500 Companies Investment Promotion Policy, 2023.

The Board may consider the proposal and accord its approval and such directions as may be deemed appropriate.

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा विचार-विमर्श एवं पुनः परीक्षण के उपरान्त पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

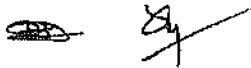
एजेण्डा बिन्दु सं.-32-

परियोजनाओं को समयबद्धरूप से पूर्ण किये जाने हेतु यूपीडा में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा विस्तार का कार्योत्तर अनुमोदन

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यकता आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त सेवा विस्तार किया गया है, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन मा0 निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना निवेदित है:-

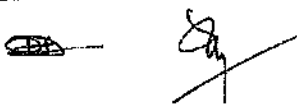
क्र० सं०	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/ तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री भगवानदीन वर्मा,	भू-अर्जन अधिकारी	09.01.2026	06 माह	09.07.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
2	श्री नरेन्द्र सिंह,	भू-अर्जन अधिकारी	09.01.2026	03 माह	09.04.2026 (03 माह)	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
3	श्री प्रशान्त मिश्रा,	जन सम्पर्क अधिकारी	06.01.2026	06 माह	06.07.2026 (06 माह)	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
4	श्री अंकित भरद्वाज,	सहा० प्रबन्धक(वित्त)	25.12.2025	06 माह	25.06.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
5	श्री शम्श आजाद,	सहा० प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2026	06 माह	25.07.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
6	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय,	सहा० प्रबन्धक (सिविल)	02.12.2025	06 माह	02.06.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
7	श्री दुर्गा प्रसाद अवरथी,	प्रबन्धक (सिविल)	06.12.2025	06 माह	06.06.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
8	श्री अभिमन्यु कुमार यादव,	लेखाकार कम कैशियर	30.12.2025	06 माह	30.06.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
9	श्री भूपनारायण,	लेखाकार कम कैशियर	30.01.2026	03 माह 15 दिन	14.05.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
10	श्री प्रमोद कुमार सिंह,	लेखाकार कम कैशियर	28.12.2025	06 माह	28.06.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
11	श्री हरि शंकर सिंह,	लेखाकार कम कैशियर	30.01.2026	06 माह	30.07.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
12	श्री श्याम सुन्दर चौधरी,	लेखाकार कम कैशियर	11.12.2025	06 माह	11.06.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
13	श्री भरत यादव	मुख्य सुरक्षा	27.01.2026	03 माह	27.04.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022



		अधिकारी				/अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
14	श्री विक्रमजीत सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	29.12.2025	06 माह	29.06.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
15	श्री कृष्ण स्वरूप सिन्हा,	सुरक्षा अधिकारी	10.01.2026	03 माह	10.04.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
16	श्री शशिकान्त मिश्रा,	सुरक्षा अधिकारी	05.01.2026	03 माह	05.04.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
17	श्री रामपाल सिंह यादव,	सुरक्षा अधिकारी	22.01.2026	03 माह	22.04.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
18	श्री ओम प्रकाश सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	14.12.2025	03 माह	14.03.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
19	श्री अनिल कुमार सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	18.01.2026	03 माह	18.04.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
20	श्री परमात्मा सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	15.01.2026	06 माह	15.07.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
21	श्री राजेन्द्र सिंह(प्रथम),	सहा० सुरक्षा अधिकारी	01.01.2026	03 माह	01.04.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
22	श्री राम जगत तिवारी,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	01.10.2025	06 माह	01.04.2026	पत्रांक-5570/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
23	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव,	वरिष्ठ सलाहकार (प्रो०सेल)	31.01.2026	06 माह	31.07.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
24	श्री अवधेश कुमार सिंह,	सहायक प्रबन्धक	04.02.2026	06 माह	04.08.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
25	श्री रवि कुमार,	वरिष्ठ सहायक	18.02.2026	06 माह	18.08.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
26	श्री रवि कुमार वर्मा,	सहायक राजस्व अधिकारी	05.02.2026	06 माह	05.08.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
27	श्री कमरुद्दीन सिद्दीकी,	सहायक राजस्व अधिकारी	05.02.2026	06 माह	05.08.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
28	श्री ओम प्रकाश	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.01.2026	03 माह	27.04.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
29	श्री अनिल कुमार,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	18.02.2026	03 माह	18.05.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
30	श्री मनोहर सिंह	सुरक्षा अधिकारी	30.01.2026	03 माह	30.04.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
31	श्री गणेश प्रसाद,	लेखाकार-कम -कैशियर	30.01.2026	03 माह	30.04.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
32	श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.01.2026	03 माह	01.04.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
33	श्री संतोष कुमार सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.01.2026	06 माह	29.07.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
34	श्री फूल सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.02.2026	03 माह	13.05.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
35	श्री कल्लू सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	03.02.2026	03 माह	03.05.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
36	श्री राम किशोर,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	08.02.2026	03 माह	08.05.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
37	श्री सुदर्शन प्रसाद,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	10.01.2026	03 माह	10.04.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
38	श्री प्रभुनाथ यादव,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	02.02.2026	06 माह	02.08.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
39	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06.02.2026	03 माह	06.05.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
40	श्री राधेश्याम त्रिपाठी,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	02.02.2026	06 माह	02.08.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
41	श्री राम आसरे सरोज	सहायक सुरक्षा अधिकारी	02.02.2026	06 माह	02.08.2026	पत्रांक-6288/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 30 जनवरी, 2026
42	श्री सुनील प्रताप राव,	महाप्रबन्धक	22.03.2026	06 माह	22.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022

4

		(सिविल) गंगा एक्सप्रेसवे				/अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
43	श्री बृजपाल सिंह,	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) गंगा एक्सप्रेसवे	22.03.2026	06 माह	22.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
44	श्री. संजीव शुक्ला,	प्रबन्धक (सिविल) गंगा एक्सप्रेसवे	22.03.2026	06 माह	22.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
45	श्री राजेश कुमार पाण्डेय,	सहा० प्रबन्धक (सिविल) गंगा एक्सप्रेसवे	22.03.2026	06 माह	22.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
46	श्री सुरेन्द्र कुमार पुष्पद,	सहा० प्रबन्धक (सिविल)	22.03.2026	06 माह	22.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
47	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव,	निजी सचिव	21.03.2026	06 माह	21.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
48	श्री राम किंकर त्रिपाठी,	प्रबन्धक (सिविल)	19.02.2026	06 माह	19.08.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
49	श्री पंकज कनौजिया,	सहा० प्रबन्धक (सिविल)	24.02.2026	06 माह	24.08.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
50	श्री शंकर दयाल राम,	सहा० प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2026	06 माह	02.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
51	श्री अतुल कुमार पाण्डेय,	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2026	06 माह	24.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
52	श्री राम शंकर सोनी,	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2026	06 माह	24.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
53	श्री भागीरथ शुक्ला,	वरिष्ठ सहायक	18.03.2026	06 माह	18.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
54	श्री जगदीश सिंह,	लेखाकार कम कैशियर	01.03.2026	06 माह	01.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
55	श्री दयाराम यादव,	लेखाकार कम कैशियर	30.03.2026	06 माह	30.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
56	श्री ग्यासुल हक,	लेखाकार कम कैशियर	11.03.2026	06 माह	11.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
57	श्री गजानन्द सिंह यादव,	सुरक्षा अधिकारी	19.03.2026	06 माह	19.09.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
58	श्री राधा मोहन द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	04.03.2026	03 माह	04.06.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
59	श्री वकील सिंह राठी,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	19.02.2026	03 माह	19.05.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
60	श्री शिव प्रकाश तिवारी,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	26.02.2026	03 माह	26.05.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
61	श्री मान सिंह यादव,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.03.2026	03 माह	01.06.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
62	श्री अली शेर खॉं,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	25.02.2026	03 माह	25.05.2026	पत्रांक-7125/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 12 मार्च, 2026
63	श्री राजेश कुमार पाण्डेय,	नोडल अधिकारी सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन, यूपीडा।	22.04.2026	06 माह	22.10.2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
64	श्री अनुराग अस्थाना,	महाप्रबन्धक(सिविल)	14.04.2026	06 माह	14.10.2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
65	श्री नरेन्द्र सिंह,	भू-अर्जन अधिकारी	09.04.2026	06 माह	09.10.2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
66	श्री कृष्ण कुमार,	निजी सचिव	11.04.2026	06 माह	11.10.2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022



67	श्री अंकुर अवस्थी,	निजी सचिव	11.04.2026	06 माह	11.10.2026	/अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026 पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
68	श्री धर्मेन्द्र प्रजापति,	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-02	11.04.2026	06 माह	11.10.2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
69	श्री विकास कुमार,	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-02	11.04.2026	06 माह	11.10.2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
70	श्री शरद तिवारी,	सलाहकार विधि	09.04.2026	06 माह	09.10.2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
71	श्री रमेश चन्द्र दुबे,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.03.2026	—	31 मई 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
72	श्री प्रभात कुमार अवस्थी,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	31 मई 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
73	श्री रमेश नाथ सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	05.04.2026	—	31 मई 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
74	श्री भरत यादव,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.04.2026	—	31 मई 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
75	श्री ओम प्रकाश,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.04.2026	—	31 मई 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
76	श्री कपिल देव सिंह यादव,	सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
77	श्री राजेश कुमार सिंह चन्देल,	सुरक्षा अधिकारी	26.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
78	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,	सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
79	श्री प्रेम पाल सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	01.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
80	श्री राम विलास सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	01.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
81	श्री बृजेश कुँवर यादव,	सुरक्षा अधिकारी	25.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
82	श्री कृष्ण स्वरूप सिन्हा,	सुरक्षा अधिकारी	10.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
83	श्री राम पाल सिंह यादव,	सुरक्षा अधिकारी	22.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
84	श्री ओम प्रकाश सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	14.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
85	श्री राजेन्द्र सिंह द्वितीय,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	01.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
86	श्री श्याम बिहारी सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	12.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
87	श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ल,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
88	श्री रियाज अहमद,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	05.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
89	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	06.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
90	श्री शैलेन्द्र सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
91	श्री सोबरन सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	28.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
92	श्री अनिल कुमार सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	18.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
93	श्री बृजपाल सिंह कनौजिया,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
94	श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय,	सहा० सुरक्षा	01.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022

		अधिकारी				/अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
95	श्री सुधीश कुमार शुक्ला,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
96	श्री राजपाल सिंह यादव,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	01.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
97	श्री राम चन्द्र वर्मा,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
98	श्री राजेन्द्र सिंह प्रथम,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	01.04.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
99	श्री राम चरण,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.03.2026	—	30 अप्रैल 2026	पत्रांक-187/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 08 अप्रैल, 2026
100	श्री आर०आर०सिंह,	वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक(सिविल)	04.05.2026	06 माह	04.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
101	श्री विनय प्रकाश,	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	02.05.2026	06 माह	02.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
102	श्री अरुण कुमार पाठक,	मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत)	30.05.2026	06 माह	30.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
103	कर्नल राजेन्द्र विक्रम सिंह,	महाप्रबन्धक (सिविल)	28.06.2026	06 माह	28.12.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
104	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव,	वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी	18.05.2026	06 माह	18.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
105	श्री चुनकू राम पटेल,	विशेष कार्याधिकारी, (भू-अर्जन)	03.06.2026	06 माह	03.12.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
106	कर्नल संजय सिंह,	मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेंस कॉरिडोर)	30.05.2026	06 माह	30.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
107	श्री सुनील कुमार सिंह,	विशेष कार्याधिकारी (विधि)	19.05.2026	06 माह	19.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
108	श्री अमरनाथ,	सहा०प्रबन्धक (डिफेंस कॉरिडोर)	06.05.2026	06 माह	06.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
109	श्री बृजेश कुमार सिंह,	सहा० प्रबन्धक (डिफेंस कॉरिडोर)	06.05.2026	06 माह	06.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
110	श्री शिवानंद सिंह,	प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2026	—	25.07.2026 (70 वर्ष पूर्ण)	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
111	श्री शुभम बंसल,	ऑडिटर(टैक्स)	10.05.2026	06 माह	10.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
112	श्री के०एन० निगम,	लेखाकार	24.06.2026	06 माह	24.12.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
113	श्री हरीश गिरी,	डाक रनर	28.05.2026	06 माह	28.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
114	श्री ज्ञान सिंह	डाक रनर	28.04.2026	—	30.04.2026 (आकस्मिक निधन)	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
115	श्री गणेश प्रसाद,	लेखाकार कम आडिटर	30.04.2026	—	09.07.2026 (70 वर्ष पूर्ण)	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
116	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी,	प्रबन्धक(सिविल)	06.06.2026	—	30.06.2026 (70 वर्ष पूर्ण)	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
117	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	25.05.2026	06 माह	25.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
118	श्री संतोष कुमार सिंह, सहा० सुरक्षा अधिकारी	सहा० सुरक्षा अधिकारी	25.05.2026	06 माह	25.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
119	श्री सुधीश कुमार शुक्ला,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.04.2026	06 माह	30.10.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
120	श्री बृजेश कुँवर यादव,	सुरक्षा अधिकारी	30.04.2026	06 माह	30.10.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
121	श्री शशिकान्त मिश्रा,	सुरक्षा अधिकारी	05.04.2026	—	30 जून, 2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026
122	श्री राम जगत तिवारी,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	01.04.2026	—	मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य महाप्रबन्धक,	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022 /अधि० दिनांक 25 मई, 2026



					सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन द्वारा श्री तिवारी की अनुशासनहीनता के दृष्टिगत संविदा बढ़ाये जाने की संस्तुति नहीं की गई। उक्त के दृष्टिगत श्री तिवारी की संविदा अवधि विस्तारित न करने का निर्णय लिया गया है।	
123	श्री विनीत प्रकाश ओझा,	विधि सहायक	13.05.2026	06 माह	13.11.2026	पत्रांक-1355/2570/यूपीडा/2022/अधि0 दिनांक 25 मई, 2026

2. यूपीडा में संविदा के आधार पर निम्नलिखित नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है, जिसका अनुमोदन यूपीडा निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना निवेदित है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण	कार्यालय आदेश संख्या/दिनांक
1	श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	उप प्रबन्धक(वित्त)	12 मई, 2026	संख्या:-1050/2696/यूपीडा/2023/अधि, दिनांक 12 मई, 2026
2	श्री राजेश प्रताप सिंह	विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी)	01 जून, 2026	संख्या:-1509/1379/यूपीडा/2018/अधि, दिनांक 29 मई, 2026

यूपीडा में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अधिकारियों को उनके मूल विभाग में योगदान देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है, के सम्बन्ध में यूपीडा निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यमुक्त तिथि	कार्यालय आदेश संख्या/ दिनांक
1	श्री मनोज कुमार सिंह	अधिशाली अभियन्ता	19 मार्च, 2026	संख्या:-7342/1729/यूपीडा/2020/अधि, दिनांक 19 मार्च, 2026
2	श्री हौसिला प्रसाद मौर्य	अधिशाली अभियन्ता	27 मई, 2026	संख्या:-1472/1752/यूपीडा/2020/अधि, दिनांक 27 मई, 2026

3. यूपीडा में शासन द्वारा तैनात किये गये प्राधिकरण सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती के पद पर योगदान देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है, के सम्बन्ध में यूपीडा निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यमुक्त तिथि	कार्यालय आदेश संख्या/ दिनांक
1	श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव	प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)	01 जून, 2026	संख्या:-1538/2875/यूपीडा/2020/अधि, दिनांक 01जून, 2026

4. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी संविदा सेवा अनुबन्ध 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण आगे विस्तारित नहीं किया गया है तथा उनकी संविदा सेवा समाप्त हो गई है, का अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	संविदा सेवा समाप्ति की तिथि
1	श्री भूप नारायण	लेखाकार-कम ऑडिटर, पी0आई0यू0-4, उरई, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे।	14.05.2026 (70 वर्ष पूर्ण)
2	श्री राम कृष्ण गौड़	सहा0 प्रबन्धक(सिविल), पी0आई0यू0-प्रयागराज, गंगा एक्सप्रेसवे	02.03.2026 (70 वर्ष पूर्ण)

3	श्री शमीम अख्तर सिद्दीकी	प्रबन्धक(सिविल) गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पी0आई0यू0-1, गोरखपुर	12.05.2026 (70 वर्ष पूर्ण)
---	--------------------------	---	----------------------------

उपरोक्तानुसार एजेण्डा क्र0-32 के उप प्रस्तर-1,2,3 व 4 पर अंकित प्रस्ताव से संज्ञानित होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं.-33-

जेम पोर्टल के माध्यम से यूपीडा में आउटसोर्सिंग पर मानव संसाधन आपूर्ति हेतु चयनित एजेन्सी मे0 पी0सी0एस0 फिनटेक कन्सल्टेन्सी प्रा0 लि0, लखनऊ का अनुमोदन प्राप्त किये जाने विषयक

यूपीडा में आउटसोर्स पर मानव संसाधन आपूर्ति हेतु मार्च, 2024 से अप्रैल, 2026 तक मे0 प्रिन्सिपल सिक्वोरिटी एण्ड एलाइड सर्विसेस प्रा0 लि0 व मे0 पी0सी0एस0 फिनटेक कन्सल्टेन्सी प्रा0लि0 अनुबन्धित रही है। उक्त फर्मों के साथ यूपीडा के अनुबन्ध की अवधि पूरी होने के उपरान्त जेम पोर्टल पर निविदा (निविदा सं0-GEM/2026/B/7314372 दि0-03.03.2026) के द्वारा आमंत्रित निविदा में कुल 141 फर्मों द्वारा प्रतिभाग किया गया। निविदा समिति द्वारा तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में कुल 11 फर्मों, निविदा की शर्तों के अनुसार अर्ह पायी गयी। निविदाकर्ता 127 फर्मों ई0एम0डी0 न जमा करने के कारण तथा 03 फर्मों मैनुपावर सप्लाय व नेटवर्थ का मानक पूरा न करने के कारण अनर्ह पायी गयीं।

निविदाकर्ता 11 फर्मों के तकनीकी मूल्यांकन व उनके प्रस्तुतीकरण में प्राप्त अंकों के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन परिणाम दि0-23.04.2026 को जेम पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त फर्मों की वित्तीय निविदा दि0-04.05.2026 को निविदा समिति व निविदाकर्ता फर्मों के समक्ष आनलाइन खोली गयी। ऑनलाइन वित्तीय निविदा में जेम पोर्टल द्वारा फर्म मे0 पी0सी0एस0 फिनटेक कन्सल्टेन्सी प्रा0 लि0, लखनऊ को एच-01 श्रेणी में वर्गीकृत कर चयनित किया गया तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गई। यूपीडा में आउटसोर्स पर मानव संसाधन आपूर्ति हेतु, जेम पोर्टल द्वारा चयनित फर्म मे0 पी0सी0एस0 फिनटेक कन्सल्टेन्सी प्रा0 लि0, लखनऊ के चयन को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-34-

उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, आगरा नोड- के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं (आंतरिक सड़क, पहुँच मार्ग आदि कार्य) के विकास हेतु ई0पी0सी0 आधार पर चयनित न्यूनतम निविदादाता मे0 वेल जी रतना सोराठिया प्रा0 लि0 के पक्ष में अनुबन्ध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ

प्रस्ताव:-

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के आगरा नोड के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं (आंतरिक सड़क, पहुँच मार्ग, फायर स्टेशन, जलापूर्ति कार्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य) के विकास हेतु उ0प्र0 शासन (औद्योगिक विकास अनुभाग-3) के पत्रांक सं0-30/ 2025/ 924126924126/ 2025/001-77-3002-5-2025 दिनांक 31.03.2025 द्वारा अनुमानित धनराशि रू0-159.7479 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं धनराशि रू0-55.749 का आवंटन किया गया। यूपीडा द्वारा Development of Internal Infrastructure for Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor (UPDIC), Agra-Node, including defect liability and 05 Years O&M period for on EPC Mode. कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	Name of Bidders	Status of Bid
1	M/s Kalyan Toll Infrastructure Ltd.	Responsive
2	M/s Sivanssh Infrastructure Development Pvt. Ltd.	Responsive
3	M/s Ganga Infrabuild Pvt. Ltd.	Responsive
4	M/s Velji Ratna Sorathia Infra Pvt. Ltd.	Responsive
5	M/s NSC Project Pvt. Ltd.	Responsive
6	M/s PNC Infratech Ltd.	Responsive
7	M/s Urja Infra	Responsive
8	M/s Ajay Associates	Non-Responsive

उक्त 07 निविदादाताओं में से M/s Velji Ratna Sorathia Infra Pvt. Ltd. की निविदा प्रथम न्यूनतम (L1) पायी गयी। प्रथम न्यूनतम निविदादाता M/s Velji Ratna Sorathia Infra Pvt. Ltd. की निविदा, निविदा लागत रू0 120,98,50,854 के सापेक्ष रू0 95,50,56,300 है, जो कि मूल निविदा से रू0 25,47,94,554 एवं - 21.08 प्रतिशत कम है।

इस क्रम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पत्रांक सं०- 57/3393/UPEIDA/2026/Tech दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से LOA एवं पत्रांक सं०- 1168/3393/UPEIDA/DIC/Tech दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से Notice to Proceed with the work जारी किया गया है।

अतः उ०प्र० डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, आगरा नोड- के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं (आंतरिक सड़क, पहुँच मार्ग, फायर स्टेशन, जलापूर्ति कार्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य) के विकास हेतु ई०पी०सी० आधार पर चयनित न्यूनतम निविदादाता मैसर्स वेल जी रतना सोराठिया प्रा० लि० के पक्ष में अनुबन्ध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा० निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-35-

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, अलीगढ़ नोड-द्वितीय चरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं (आंतरिक सड़क, पहुँच मार्ग, फायर स्टेशन, जलापूर्ति कार्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य) के विकास हेतु ई०पी०सी० आधार पर चयनित न्यूनतम निविदादाता मे० वेलजी रतना सोराठिया इन्फ्रा प्रा० लि० के पक्ष में अनुबन्ध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा० निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ

प्रस्ताव-

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड, द्वितीय चरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं (आंतरिक सड़क, पहुँच मार्ग, फायर स्टेशन, जलापूर्ति कार्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य) के विकास हेतु उ०प्र० शासन (औद्योगिक विकास अनुभाग-3) के पत्रांक सं०-29/2025/1 924038/2025/001-77- 3002-42025 दिनांक 31.03.2025 द्वारा अनुमानित धनराशि रू०-94.1026 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं धनराशि रू०-32.9359 का आवंटन किया गया है।

उपरोक्त कार्य को पूर्ण पारदर्शिता से कराने के उद्देश्य से उ०प्र० सरकार के ई-टेंडर पोर्टल <https://www.etender.up.nic.in> पर कार्य "Development of Internal Infrastructure for UPDIC, Aligarh Node, Phase-II with defect liability period and operation and Maintenance for concurrent period of Five 05 Years on EPC Mode" हेतु निविदा सं० 2025_UPEID_1042273_1 दिनांक 23.05.2025 अपलोड की गई।

यूपीडा द्वारा निविदा मूल्यांकन हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त निविदाओं का तकनीकी परीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित निविदाएँ अर्ह (Responsive)

1. M/S Kalyan Toll Infrastructure
2. M/S VELJI RATNA SORATHIA INFRA PVT. LTD
3. M/S GANGA INFRABUILD PVT LTD
4. M/S Urja Infra
5. M/S SIVANSSH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PVT LTD

उक्त 05 निविदादाताओं में से M/S VELJI RATNA SORATHIA INFRA PVT. LTD. की निविदा न्यूनतम पायी गयी। प्रथम न्यूनतम निविदादाता M/S VELJI RATNA SORATHIA INFRA PVT. LTD. की निविदा, निविदा लागत रू०-64,31,90,460.00 के सापेक्ष रू०- 50,77,34,600.00 पायी गयी, जो कि मूल निविदा से रू०- 13,54,55,860.00 एवं 21.06 प्रतिशत कम है,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी-द्वितीय, यूपीडा के द्वारा पत्रांक सं०-6338/3394/UPEIDA/2026/Tech दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से Letter of Acceptance एवं पत्रांक सं०-342/3394/UPEIDA/DIC/Tech Dated 16.04.2026 के माध्यम से Notice to Proceed with the work जारी किया गया है।

अतः डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, अलीगढ़ नोड-द्वितीय चरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं (आंतरिक सड़क, पहुँच मार्ग, फायर स्टेशन, जलापूर्ति कार्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य) के विकास हेतु ई०पी०सी० आधार पर चयनित न्यूनतम निविदादाता मैसर्स वेलजी रतना सोराठिया इन्फ्रा प्रा० लि० के पक्ष में अनुबन्ध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा० निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-36-

उ०प्र० डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, चित्रकूट नोड- के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में "Construction of 24.00m Wide Internal Roads and Drainage Works at Dedfence Industrial Corridor, Chitrakoot Node in state of Uttar Pradesh on EPC mode." विषय ई०पी०सी० अनुबन्ध के समापन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा० निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ

प्रस्ताव:-

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड के अंतर्गत "Construction of 24.00m Wide Internal Roads and Drainage Works at Dedfence Industrial Corricor, Chitrakoot Node in state of Uttar Pradesh on EPC mode." कार्य के संपादन हेतु ई0पी0सी0 पद्धति पर ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से फर्म मैसर्स एस0एस0 इन्फ्राजोन प्रा0लि0 का चयन किया गया एवं अनुबंध संख्या-01/ACEO/PIU-01/बॉदा/यूपीडा/2024 दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से कार्य प्रारम्भ किया गया। कार्य प्रारम्भ तिथि 12.07.2024 एवं कार्य समापन तिथि 31.03.2026 थी। कार्य समाप्त होने के पश्चात ई0पी0सी0 अनुबंध में निर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर यूपीडा द्वारा पत्रांक सं0-1248/2959/यूपीडा/2024/डि.कॉ0/टेक0 दिनांक 26.05.2026 द्वारा Completion Certificate प्रदान किया गया।

अतः उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर चित्रकूट नोड के अंतर्गत जनपद-चित्रकूट में "Construction of 24.00m Wide Internal Roads and Drainage Works at Dedfence Industrial Corricor, Chitrakoot Node in state of Uttar Pradesh on EPC mode." विषयक कार्य के समापन संबंधी कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-37-

उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, कानपुर नोड- के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के ग्राम साढ़ में 02 यूनिट फायर स्टेशन के निर्माण हेतु चयनित न्यूनतम निविदादाता मे0 प्रमोद कुमार के पक्ष में अनुबंध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ

प्रस्ताव:-

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड के अन्तर्गत "Construction of 02 Unit Fire Station Building in Defence Industrial Corridor At Village Sarh, Tehsil Ghatampur, District Kanpur" कार्य के संबंध में उ0प्र0 शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-03 द्वारा शासनादेश संख्या-39 / 2022 / 77-3099 / 308 / 2022 / 001 - 1258 दिनांक 12.10.2022 द्वारा कुल धनराशि रु0- 335.33 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य हेतु निविदा लागत रु0-281.79 लाख निर्धारित की गई थी। इस कार्य हेतु यूपीडा की ओर से ई-निविदा आमंत्रित की गई जिसमें मे0 प्रमोद कुमार की निविदा प्रथम न्यूनतम पायी गयी। इस हेतु यूपीडा के पत्रांक सं0-6611/3272 /यूपीडा/डि0का0/टेक0 दिनांक 14.02.2026 के माध्यम से Letter of Acceptance जारी किया गया।

अतः उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर कानपुर नोड के अंतर्गत जनपद-कानपुर की तहसील-घाटमपुर के ग्राम साढ़ में 02 यूनिट फायर स्टेशन के निर्माण हेतु चयनित न्यूनतम निविदादाता मैसर्स प्रमाद कुमार के पक्ष में अनुबंध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदन निवेदित है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

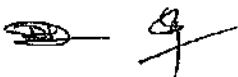
एजेण्डा बिन्दु सं.-38-

उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, नोड-कानपुर नगर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर में ग्राम साढ़ में स्टार्म वाटर ड्रेन के निर्माण हेतु चयनित न्यूनतम निविदादाता मे0 आर0सी0सी0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 के पक्ष में अनुबंध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ

प्रस्ताव:-

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड के अन्तर्गत "Construction of Storm Water Drainage works at Defence Industrial Corridor, Lucknow Node At Village Bhatgaon, Tehsil Sarojini Nagar, District Lucknow" कार्य के संपादन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें मैसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स प्रा0लि0 की निविदा प्रथम न्यूनतम पायी गई। इस हेतु अपर मुख्य कार्य पालक अधिकारी-द्वितीय, यूपीडा के पत्रांक सं0-6425 / 3435 / यूपीडा / डि0का0/टेक0 दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से मैसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स प्रा0लि0 के पक्ष में Letter of Acceptance जारी किया गया।

अतः उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ नोड के अंतर्गत जनपद-लखनऊ की तहसील-सरोजनी नगर के ग्राम भटगाँव में "Construction of Storm Water Drainage works at Defence Industrial



Corridor, Lucknow Node At Village Bhatgaon, Tehsil Sarojini Nagar, District Lucknow" विषयक कार्य के लिए चयनित प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स प्रा0लि0 के पक्ष में अनुबंध गठन की कार्यवाही से संबंधित प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदन निवेदित है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-39-

Integrated Manufacturing and Logistic Cluster (IMLC) के अन्तर्गत जनपद हरदोई, मेरठ, शाहजहांपुर, सम्भल, अमरोहा, सुल्तानपुर, अमेठी, बदायूं, इटावा एवं फिरोजाबाद में अवस्थापना विकास कार्य तथा प्रदेश में बीज प्रसंस्करण वृद्धि हेतु भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क, अटारी, मलिहाबाद, लखनऊ की निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रकरण को मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ

जनपद मेरठ, सम्भल, शाहजहांपुर एवं हरदोई की अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत तथा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत IMLC अमरोहा, अमेठी, बदायूं, इटावा, फिरोजाबाद एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क, अटारी, मलिहाबाद, लखनऊ में अवस्थापना एवं विकास कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा Notice to Proceed with the work निर्गत कर दिया गया है तथा अनुबंध गठित है, जिसका कार्य 18 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा, विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	परियोजना एवं जनपद का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति धनराशि करोड़ में	टिप्पणी
1	आई0एम0एल0सी, मेरठ	213.81	अनुबंध गठित
2	आई0एम0एल0सी, सम्भल	245.42	
3	आई0एम0एल0सी, शाहजहांपुर	143.73	
4	आई0एम0एल0सी, हरदोई	140.94	
5	भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क, अटारी, मलिहाबाद, लखनऊ।	145.25	
6	आई0एम0एल0सी, अमरोहा	164.22	न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जा चुका है।
7	आई0एम0एल0सी, सुल्तानपुर	272.25	
8	आई0एम0एल0सी, अमेठी	188.63	
9	आई0एम0एल0सी, बदायूं	149.03	
10	आई0एम0एल0सी, इटावा	65.03	
11	आई0एम0एल0सी, फिरोजाबाद	146.88	

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदन निवेदित है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-40-

नए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन हेतु नए पी0आई0यू0 के गठन एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पी0आई0यू0, आजमगढ़ को समाप्त किये जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में

वर्तमान में यूपीडा द्वारा 05 एक्सप्रेसवे संचालित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत 13 पी0आई0यू0 अभी भी कार्य कर रहे हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	संचालित एक्सप्रेसवे का नाम	वर्तमान में संचालित हो रहे पी0आई0यू0
1.	आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे	1. पी0आई0यू0, आगरा 2. पी0आई0यू0, लखनऊ
2.	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे	3. पी0आई0यू0, लखनऊ 4. पी0आई0यू0, आजमगढ़
3.	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे	5. पी0आई0यू0, बांदा 6. पी0आई0यू0, बांदा, 7. पी0आई0यू0, उरई
4.	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे	8. पी0आई0यू0, आजमगढ़ 9. पी0आई0यू0, गोरखपुर
5.	गंगा एक्सप्रेसवे	10. पी0आई0यू0, मेरठ 11. पी0आई0यू0, शाहजहांपुर 12. पी0आई0यू0, रायबरेली 13. पी0आई0यू0, प्रयागराज

2. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी लम्बाई 91 किमी है। ऐसी स्थिति में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में संचालित हो रहे दो पी0आई0यू0 में से एक पी0आई0यू0 आजमगढ़ को समाप्त करते हुए वहां पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य पी0आई0यू0 में समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
3. उक्त के अतिरिक्त 08 नए एक्सप्रेसवे यथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, विन्ध्य एक्सप्रेसवे, विन्ध्य-पूर्वांचल स्पर व मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। उक्त 08 नए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे में 05 एक्सप्रेसवे टेण्डरिंग प्रक्रिया में एवं 03 एक्सप्रेसवे भूमि क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की प्रक्रियान्तर्गत है। उपरोक्त नए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नए पी0आई0यू0 का गठन एवं नए पी0आई0यू0 के गठन तक वर्तमान पी0आई0यू0 को नामित किया गया है:-

क्र० सं०	प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे का नाम	प्रस्तावित नए पी0आई0यू0 का नाम	नए पी0आई0यू0 की स्थापना तक कार्य सम्पादन हेतु नामित वर्तमान पी0आई0यू0
1.	विन्ध्य एक्सप्रेसवे	पी0आई0यू0, मिर्जापुर	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, प्रयागराज
2.	विन्ध्य-पूर्वांचल स्पर	पी0आई0यू0, दासगंजी	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, आजमगढ़
3.	मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे	पी0आई0यू0, हरिद्वार	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, शाहजहांपुर
4.	झांसी लिंक एक्सप्रेसवे	पी0आई0यू0, झांसी	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, उरई
5.	जेवर लिंक एक्सप्रेसवे	पी0आई0यू0, यौंडा	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, मेरठ
6.	चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे	-	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, बांदा
7.	आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे	-	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, लखनऊ (आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे)
8.	फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे	पी0आई0यू0, फर्रुखाबाद	अधिरासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, रायबरेली

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पी0आई0यू0 कार्यालय के संचालन हेतु निम्न विवरण के अनुसार स्टाफ की आवश्यक है:-

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1.	अधिरासी अभियन्ता	01
2.	सहायक अभियन्ता	02
3.	अवर अभियन्ता	03
4.	लेखाकार	01
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
6.	लिपिक	02
7.	रिकार्ड कीपर	01
8.	घपरासी	04
9.	चौकीदार	03
10.	स्वीपर (अंशकालिक)	01

प्रत्येक नव गठित पी0आई0यू0 के लिए उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार एक्सप्रेसवे के ग्री-कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यूटीलिटी शिफ्टिंग, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण व फारेस्ट क्लीयरेंस, रेलवे/एन0एच0ए0आई0/सिंचाई विभाग से एन0ओ0सी0 एवं एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन हेतु नए पी0आई0यू0 के गठन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पी0आई0यू0, आजमगढ़ को समाप्त करते हुए वहां पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य पी0आई0यू0 में समायोजित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-41-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में आवंटन हेतु प्रचलित General Guidelines for Procedure of Allotment and Post Allotment Services by UPEIDA के प्रस्तर- 2.8.9 एवं 4.9.1 में उल्लिखित पंजीकरण धनराशि के जब्तीकरण में संशोधन के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के अनुमोदन के संबंध में

अवगत कराना है कि प्राधिकरण में आवंटन हेतु प्रचलित General Guidelines for Procedure of Allotment and Post Allotment Services by UPEIDA प्रस्तर-2.8.9 में उल्लेख है "In case the due Allotment Money as mentioned above is not deposited within the stipulated/extended period i.e. 90 days, the allotment of plot shall be cancelled without giving any opportunity in this regard and Registration Money deposited shall be forfeited." अर्थात् यदि आवंटी द्वारा 20% प्रतिशत आवंटन आवंटन धनराशि 60 दिनों के तय समय-सीमा या बढ़ाई गई समय-सीमा (यानी 90 दिनों) के अंदर जमा नहीं की जाती है तो भूखण्ड का आवंटन, बिना कोई मौका दिए रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई पंजीकरण धनराशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

इसी प्रकार प्रस्तर-4.9.1 में उल्लेख है कि "The Allottee may surrender the allotment with an application within 30 days for the date of allotment. In such case, registration money deposited will be forfeited in total and the balance, if any, deposited against the premium of plot, will be refunded without interest" अर्थात् आवंटी, आवंटन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन सरेंडर किये जाने पर जमा की गई पंजीकरण धनराशि पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाएगी और भूखण्ड के प्रीमियम के तौर पर जमा की गई अन्य धनराशि (अगर कोई हो) बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

उपरोक्त वर्णित दोनों परिस्थितियों में केवल 01 माह से 03 माह के अन्दर ही उक्त भूखण्ड यूपीडा को अन्य को आवंटित किये जाने हेतु उपलब्ध हो जाता है। प्राधिकरण द्वारा संचालित आई.एम.एल.सी. परियोजना की भू-आवंटन नीति के अनुसार न्यूनतम 12000 वर्गमीटर के भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं। इसी प्रकार डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में भी सामान्यतया बड़े क्षेत्रफल के भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं। इन परिस्थितियों में 10% पंजीकरण धनराशि जो बहुत अधिक होती है, 01 से 03 माह के अन्दर ज़ब्त कर लेने से आवंटी पर अत्यधिक व्यय भार पड़ता है। आवंटियों द्वारा वित्तीय संकट का हवाला देते हुये आवंटन धनराशि जमा नहीं कर पाने का कारण बताते हुये मानवीय संवेदना के आधार पर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को ज़ब्त नहीं किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

अतः प्रस्तावित है कि उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में आवंटी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु जमा किये गये पंजीकरण धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि अथवा ₹0 25 लाख जो भी कम हो, को काटते हुये शेष धनराशि आवंटी को बिना ब्याज वापस कर दिया जाये।

उक्त प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु सं.-42-

आई0एम0एल0सी0 हरदोई नोड में आवंटी मे0 Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. को प्रोवीजनल आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात 20% प्रतिशत आरक्षण धनराशि जमा करने के लिये प्रचलित General Guidelines for Procedure of Allotment and Post Allotment Services by UPEIDA में ब्याज सहित निर्धारित 90 दिवस से अधिक का समय विस्तारण दिये जाने पर कार्यान्तर अनुमोदन के संबंध में

अवगत कराना है कि मैसर्स Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. द्वारा आई0एम0एल0सी0 हरदोई के भूखण्ड संख्या-1 के आवंटन हेतु आवेदन किया गया। भू-आवंटन समिति की संस्तुतियों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में पत्र दिनांक 20.03.2026 द्वारा प्रोवीजनल एलॉटमेन्ट लेटर निर्गत किया गया। उक्त आवंटन पत्र की शर्तानुसार आवंटी को शेष 20 प्रतिशत आरक्षण धनराशि जमा करने हेतु 60 दिवस दिनांक 18.05.2026 तक का समय प्रदान किया गया। निर्धारित समयान्तर्गत आवंटी द्वारा उक्त धनराशि को जमा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुये 90 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा मैसर्स Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. को 20 प्रतिशत आरक्षण धनराशि पर, यूपीडा में आवंटन हेतु प्रचलित General Guidelines for Procedure of Allotment and Post Allotment Services by UPEIDA के प्रस्तर 2.10.1 में उल्लिखित प्राविधानुसार, 9.50 प्रतिशत अधिरोपित ब्याज सहित धनराशि जमा करने का अनुमोदन प्रदान किया गया, परन्तु मैसर्स Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. ने ई-मेल के माध्यम से

आरक्षण धनराशि तथा दण्डात्मक ब्याज के लिये और अधिक अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुये दिनांक 30 जून 2026 तक जमा करने का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण में आवंटन हेतु प्रचलित General Guidelines for Procedure of Allotment and Post Allotment Services by UPEIDA द्वारा आवंटन हेतु आरक्षण धनराशि जमा करने के लिये सामान्य प्रकरणों में 60 दिवस के अतिरिक्त 30 दिवस का समय प्रदान करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय अधिकृत हैं। 90 दिवस से अधिक का समय विस्तारण का अधिकार यूपीडा निदेशक मण्डल में निहित है।

उल्लेखनीय है कि आई0एम0एल0सी0 नोड-हरदोई में कुल 07 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गये, जिसमें से भूखण्ड संख्या-1 का आवंटन मैसर्स Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. के पक्ष में किया गया। भूखण्ड संख्या-6 मैसर्स माउण्ट एवरेस्ट ब्रीवरीज प्रा0 लि0 को आवंटित किया जा चुका है तथा भूखण्ड संख्या-9 पर आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। शेष 04 भूखण्डों हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि मैसर्स Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. आई0एम0एल0सी0 नोड-हरदोई में प्रथम आवंटन किया गया है तथा उनके द्वारा 20 प्रतिशत आरक्षण धनराशि, साधारण तथा दण्डात्मक ब्याज सहित भुगतान किये जाने का लिखित अनुरोध किया गया है।

उक्त तथ्यों के आलोक में मैसर्स Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. के अनुरोध पर समयक विचरोपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यूपीडा की आगामी निदेशक मण्डल में प्रकरण को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुये, कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में आवंटी मैसर्स Grano 69 Beverage Pvt. Ltd. को, शेष 20 प्रतिशत आरक्षण धनराशि, साधारण तथा दण्डात्मक ब्याज सहित (9.50%+3%=कुल 12.50%), जमा कराये जाने हेतु आवंटी को पत्र निर्गत होने की तिथि से, 10 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

उक्त प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-43-

यूपीडा द्वारा विभिन्न परियोजनाओं यथा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर एवं इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण/विकास हेतु शासन से प्राप्त धनराशि में सम्मिलित एजेंसी चार्ज के सम्बन्ध में

उ0 प्र0 के निवासियों को सुगम एवं तेज यातायात उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत यूपीडा का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत, उ0 प्र0 में एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु किया गया। सर्वप्रथम आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण एवं तत्पश्चात पूर्वान्वल, बुन्देलखण्ड, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। उपरोक्त सभी एक्सप्रेसवे वर्तमान में संचालित हैं। आगरा-लखनऊ, पूर्वान्वल, बुन्देलखण्ड एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण ई0पी0सी0 पद्धति पर एवं गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पी0पी0पी0 मॉडल पर किया गया है।

परियोजना के निर्माण/क्रियान्वयन हेतु यूपीडा में कतिपय उच्च पदों को छोड़कर अन्य अधिकारियों की नियमित नियुक्ति न होने के फलस्वरूप कार्यों के निष्पादन हेतु तकनीकी संवर्ग की सेवाएँ उ0 प्र0 सरकार के अन्य संस्थानों यथा पी0डब्ल्यू0डी0, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर करायी जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न तकनीकी एवं अन्य संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी संविदा/आउटसोर्स पर नियुक्त किये गये हैं, जिनके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन के विभिन्न कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं। विगत 02 वर्षों में कतिपय औद्योगिक सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी नियुक्ति यूपीडा में की गयी है।

एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ-साथ शासन की मंशा/निर्देशों के अनुरूप उ0 प्र0 डिफेंस कॉरिडोर एवं विभिन्न एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का विकास/निर्माण भी कराया जा रहा है। शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत परियोजनाओं की मूल लागत के साथ-साथ कार्यों के निष्पादन हेतु यूपीडा को एजेंसी चार्ज के रूप में परियोजना की लागत का 1 से 3 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। एजेंसी चार्ज के मद में प्राप्त धनराशि से अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ कार्यालय संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्य यथा कार्यालय भवनों का किराया, साज-सज्जा का कार्य, योजनाओं का प्रचार-प्रसार, विदेश/स्थानीय यात्राएँ कार्य निष्पादन हेतु विशेषज्ञों/परामर्शियों की नियुक्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का भुगतान किया जाता है।

वर्तमान में परियोजना विशेष हेतु प्राप्त धनराशि जिसमें एजेंसी चार्ज भी सम्मिलित होता है, कि धनराशि परियोजनावार बैंक खातों में अनुरक्षित की जा रही है, व उक्त परियोजना के प्रशासनिक व्ययों का भुगतान सम्बन्धित बैंक खातों से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है, कि वर्तमान शासनादेशों के अनुसार परियोजना विशेष के लिये एक विशेष खाता खोला जाता है। उक्त खाते में निर्माण एवं एजेंसी चार्ज जमा किये जाते हैं। यूपीडा द्वारा वर्तमान में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएँ निर्मित/विकसित की जा रही है, व इस हेतु यूपीडा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्यों का निष्पादन किये जाने के दृष्टिगत प्रशासकीय व्ययों के



लिये परियोजना विशेष में धनराशि भारित किये जाने का वर्गीकरण किया जाना सामान्यतया सम्भव नहीं हो पाता है।

अतः इस सम्बन्ध में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशियों में सम्मिलित एजेंसी चार्ज को एक साथ, एक बैंक खातों में अनुरक्षित किया जाए, व यूपीडा अपनी आवश्यकता एवं कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत उपरोक्त का व्यय केवल परियोजना विशेष पर न कर सभी परियोजनाओं के सम्मिलित प्रशासनिक व्ययों का भुगतान कर सकें, व भविष्य में परियोजनाओं के निर्माण/विकास हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष विभिन्न वित्तीय वर्षों में शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि में सम्मिलित एजेंसी चार्ज को प्रारम्भ से ही अलग कर सम्बन्धित बैंक खातों में अनुरक्षित किये जाने का प्रस्ताव यूपीडा निदेशक मण्डल के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-44-

यूपीडा द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर विकसित एवं संचालित एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रहण से प्राप्त धनराशि से सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक मदों के व्ययों की धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

यूपीडा द्वारा विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण शासन द्वारा भूमि एवं निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशियों से ई0पी0सी0 मोड पर कराया गया है, व निर्माण पूर्ण होने के पश्चात टोल संग्रहण हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर नियोजित किया जाता है। नियोजित एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार यूपीडा को टोल संग्रहण की धनराशि एक निर्धारित समय में उपलब्ध करायी जाती है। उक्त प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-16-1338/77-3-16-02 यूपीडा/12 दिनांक 23.08.2016 के प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित है, कि एक्सप्रेसवे के उपयोग हेतु प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा टोल चार्ज लिया जायेगा जिसका निर्धारण उ0 प्र0 एक्सप्रेसवे (लेवी ऑफ टोलस एण्ड फिक्सिंग ऑफ फीस एण्ड रीयलाइजेशन देयर ऑफ) में रूल्स 2010 के अनुसार एवं समय-समय पर इस हेतु किये जाने वाले संशोधन के अनुसार होगा। यदि सन्दर्भगत परियोजना के वित्त पोषण हेतु यूपीडा द्वारा किसी अन्य श्रोत से ऋण लिया जाता है, तो एकत्रित टोल से सर्वप्रथम लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान किया जायेगा।

उल्लेखनीय है, कि आगरा-लखनऊ, पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण ई0पी0सी0 मोड में किया गया है, सभी एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात टोल संग्रहण हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसियाँ नियोजित की गयी है, व यूपीडा को निर्धारित समय में टोल की धनराशियाँ प्राप्त हो रही है। वर्तमान शासनादेश के अनुसार प्राप्त धनराशि से अन्य श्रोतों से लिये गये ऋण/ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।

एक्सप्रेसवे के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की शुरुआत में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि एक्सप्रेसवे पर पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश में भयमुक्त वातावरण एवं सभी को सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ यथा एम्बुलेंस सेवाएँ, पूर्व सैनिकों की तैनाती, पेट्रोलिंग हेतु नियुक्त विभिन्न श्रेणी के पुलिस सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों को सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनाती कर सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं पर वर्तमान में व्ययों के आधार पर आगरा-लखनऊ, पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर प्रतिवर्ष लगभग रू0 8 से 10 करोड़ प्रत्येक एक्सप्रेसवे पर एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लगभग रू0 3 से 4 करोड़ का व्यय होता है। वर्तमान में संचालित सभी एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा आदि सेवाओं पर लगभग रू0 30 से 35 करोड़ प्रतिवर्ष के व्ययों का भुगतान यूपीडा द्वारा टोल संग्रहण में प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है।

उपरोक्त व्ययों के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत में उपरोक्त कार्यों हेतु कोई धनराशि प्राविधानित न होने के कारण शासन से उक्त कार्यों हेतु अलग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ महत्वपूर्ण/आवश्यक होने के दृष्टिगत उक्त पर होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में निम्न 02 प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-





1. सम्बन्धित एक्सप्रेसवे की टोल संग्रहण की धनराशि से सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का व्यय किये जाने का अनुमोदन एवं इस सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23.08.2016 में सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्ययों को भी टोल संग्रहण की धनराशि से व्यय को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाने का अनुरोध।
2. यूपीडा द्वारा वर्तमान में विकसित की जा रही नयी परियोजनाओं के डीपीआर में भूमि एवं निर्माण के अतिरिक्त अन्य आवश्यक मदों में सम्भावित व्ययों की धनराशि सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किये जाने का अनुमोदन।

उक्त प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-45-

विभिन्न परियोजनाओं हेतु शासन से प्राप्त धनराशियों को बैंक खातों में जमा करने पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासन में जमा किये जाने के सम्बन्ध में

यूपीडा को विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में, शासन से विभिन्न परियोजनाओं हेतु समय-समय पर प्राप्त धनराशियों को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखे एवं शासकीय दर पर कोई ब्याज अर्जित होने पर उसे शासन/राजकोष में जमा किये जाने का प्राविधान है। यूपीडा को विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में, प्राप्त कुल धनराशि पर रू0 1,01,04,65,099.00 की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुयी है, जिससे यूपीडा द्वारा शासन को प्रेषित/जमा किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मदों में भी यूपीडा द्वारा प्राप्त धनराशियों को विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया है, जिनसे ब्याज के रूप में विगत वित्तीय वर्ष में कुल धनराशि रू0 18,81,82,957.00 प्राप्त हुयी है, जिसका बैंकवार विवरण निम्नवत है:-

1. लखनऊ एक्सप्रेसवे-केनरा बैंक, (खाता संख्या-11450)

अवगत कराना है, कि सम्बन्धित खाते में मेसर्स सहकार ग्लोबल लि0 (पूर्व टोल एजेंसी) की परफार्मेंस सिक्योरिटी की धनराशि एवं वे-साइड एमेनिटिज से अर्जित लीज रेंट आदि की धनराशि जमा हैं, जिस पर अर्जित ब्याज रू0 3,12,86,856.00 है।

2. गाजीपुर बलिया माँझीघाट-इण्डियन बैंक, (खाता संख्या-69933)

अवगत कराना है, कि सम्बन्धित बैंक खातों में एन0एच0ए0आई0 द्वारा भूमि क्रय एवं एजेंसी चार्ज हेतु यूपीडा को धनराशि उपलब्ध करायी गयी हैं, जिस पर अर्जित ब्याज रू0 81,83,125.00 है। उपरोक्त परियोजना उ0 प्र0 शासन से आच्छादित नहीं है।

3. वे-साइड एमेनिटिज से प्राप्त लीज रेंट एवं अन्य विविध मदों में प्राप्त धनराशि-पंजाब नेशनल बैंक, (खाता संख्या-36155)

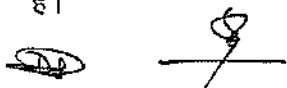
अवगत कराना है, कि सम्बन्धित खाते में विभिन्न परियोजनाओं में विकसित की गयी वे-साइड एमेनिटिज के आवंटियों द्वारा लीज रेंट, टेण्डर फीस एवं अन्य अधिरोपित पेनाल्टी आदि विविध मदों में प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज कुल रू0 3,00,40,906.00 है।

4. इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर-एच0डी0एफ0सी0 बैंक, (खाता संख्या-91220)

अवगत कराना है, कि मा0 मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु यूपीडा को यूपीसीडा से रू0 8457.33 करोड़ की धनराशि भूमि क्रय हेतु ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त हुयी थी जिस पर अर्जित ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर शासन को प्रेषित किया जा रहा है। प्राप्त धनराशियों से क्रय की गयी भूमि को उद्योगों की स्थापना हेतु आवंटित किया गया है। आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि के सापेक्ष समय-समय पर जमा की गयी लैंड प्रीमियम, लीज रेंट एवं अन्य विविध मदों में जमा धनराशि से रू0 3,15,99,289.00 का ब्याज अर्जित हुआ है।

5. डिफेंस कॉरिडोर-यूनियन बैंक, (खाता संख्या-67447)

अवगत कराना है, कि डिफेंस कॉरिडोर के अन्तर्गत 06 नोड में निवेशकों के उद्यम स्थापना हेतु आवंटियों को भू-खण्ड आवंटन किये गये हैं। आवंटियों द्वारा आवंटित भू-खण्ड के सापेक्ष समय-समय पर जमा की गयी लैंड प्रीमियम, लीज रेंट एवं अन्य विविध मदों में जमा धनराशि से रू0 8,70,72,781.00 का ब्याज अर्जित हुआ है।



उल्लेखनीय हैं, कि आवंटियों द्वारा जमा की गयी लैंड प्रीमियम, लीज रेंट एवं अन्य विविध मदों में प्राप्त धनराशि से समय-समय पर इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर एवं डिफेंस कॉरिडोर हेतु भूमि क्रय एवं अवस्थापना विकास कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है।

उपरोक्तानुसार विभिन्न मदों में यूपीडा द्वारा अर्जित धनराशियों पर ब्याज के रूप में ₹0 18,81,82,957.00 की धनराशि यूपीडा को अतिरिक्त आय के रूप में प्राप्त हुयी है। जिसका विवरण उक्त क्रमांक 01 से 05 पर अंकित बैंक खातों के समक्ष उपलब्ध है। उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 पर अंकित बैंक खातों की धनराशियां यूपीडा द्वारा अर्जित है तथा शासन द्वारा आवंटित न होने के कारण, उक्त पर प्राप्त ब्याज को शासन में जमा न करके, यूपीडा के खाते में ही रखे जाने तथा आवश्यकतानुसार यूपीडा के कार्यों हेतु विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मा. निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-46-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का सम्पूर्ण व्यय को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में अन्य मद के बचत से वहन किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

अवगत कराना हैं, कि उ0प्र0 सरकार की शीर्षस्थ प्राथमिकता वाली परियोजना के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) का क्रियान्वयन किया गया है। शासनादेश संख्या-1751/77-3-21-53एम/21 दिनांक 03.09.2021 के द्वारा 593.947 कि0मी0 लम्बे प्रवेश नियंत्रित 06 लेन चौड़े (विस्तारणीय 08 लेन) गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पी0पी0पी0 (डी0बी0एफ0ओ0टी0) पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ताओं के चयन के लिये अन्तिमीकृत गुपवार आर0एफ0क्यू0- कम-आर0एफ0पी0 अभिलेखों पर मा0 मंत्रिपरिषद से किये जाने की पुष्टि करते हुये परियोजना की अनुमानित लागत निम्नवत अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

S.No.	Head of Account	Total Sanction Cost
1	Civil Cost	19,754.00
	GST 12%	2,371.00
	Sub Total	22,125.00
2	Land Acquisition cost	9,255.00
3	Other Expenditure	
	Contingency	395.00
	Agency Charges	198.00
	Supervision	296.00
	Labour Charges	198.00
	Escalation	1,580.00
	Maintenance Cost for 5 years @ 7%	1,383.00
	Sub Total	4,050.00
4	Environment Works	200.00
5	Utility Shifting (Lump sum)	600.00
	Total Project Cost	36,230.00

उक्त परियोजना 04 ग्रुपों में विभक्त हैं, एवं तदानुसार 04 विकासकर्ताओं का चयन किया गया है। विकासकर्ताओं के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 1076 दिन (03 वर्ष) तथा पूर्ण कंसेशन की अवधि 30 वर्ष (निर्माण कार्य अवधि 03 वर्ष को सम्मिलित करते हुये) निर्धारित है।

अवगत कराना हैं, कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत है, जिसमें भूमि क्रय-9255.00 करोड़, यूटिलिटी शिफ्टिंग-600.00 करोड़, एजेन्सी चार्ज-198.00 करोड़ सुपरवीजन चार्ज 296.00 करोड़, पर्यावरण कार्य-₹0 200.00 करोड़ एवं निर्माण मद हेतु ग्रांट के रूप में (VGF)-7742.00 करोड़ शासन द्वारा वहन किया जाना है, शेष भाग पी0पी0पी0 विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय (भूमि क्रय) में से हुडको से 2400.00 करोड़ व पी0एन0बी0 बैंक से 1781.94 करोड़ का ऋण व्यय में सम्मिलित है तदानुसार कुल धनराशि ₹0 14109.00 करोड़ शासन से बजट के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि ₹0 1426.86 करोड़ अर्थात शासन द्वारा वहन की जाने वाली कुल धनराशि ₹0 15,535.86 करोड़ होगी।

वर्तमान तक शासन द्वारा कुल धनराशि ₹0 14,593.81 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। निर्गत की जा चुकी स्वीकृति में पर्यावरण मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 200.00 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय धनराशि ₹0 65.00 करोड़ ही है। इस प्रकार इस मद में ₹0 135.00 करोड़ की बचत होगी।

दिनांक 28.04.2026 को प्राधिकरण द्वारा निष्पादित अनुबंध के क्लॉज 15.1.1 के अनुसार निर्माण पूर्ण होने का अनन्तिम प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, तत्पश्चात दिनांक 29.04.2026 को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण





मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा किया गया है। उक्त आयोजन में विभिन्न कार्य जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर कराया गया है। उक्त आयोजन पर लगभग ₹0 65.00 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसका भुगतान सम्बन्धित जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों को किया जाना है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा लोकार्पण का व्यय लगभग ₹0 65.00 करोड़ का वहन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु पर्यावरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि से एजेन्सी चार्ज के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकनोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-47-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्रुप- I के कन्सेसनायर मै0 मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 द्वारा परियोजना निर्माण कार्य हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य बैंकों से लिए गये ऋण का आई0आर0बी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहण/पुनर्वित्तीयन (refinancing)

प्रस्तावना:- उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश सं0 1212/77-3-19-2019-67एम/18 दिनांक 17 जुलाई 2019 के माध्यम से इस परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु यूपीडा को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार यूपीडा द्वारा "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। शासनादेश सं0 2548/77-3 -21-21- 90एम /21 दिनांक 16 दिसंबर 2021 के माध्यम से मेरठ से प्रयागराज तक 06 लेन (एक्सपेन्डेबल टू 08 लेन) ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चार गुप्तों को पीपीपी के अन्तर्गत डी0बी0एफ0ओ0टी0 (टोल) के आधार पर विकसित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विकासकर्ताओं के नाम एवं उन्हें परियोजना निर्माण हेतु स्वीकृत की गई ग्रांट का अनुमोदन दिया गया था।

परियोजना के निम्नलिखित चार गुप्तों हेतु पृथक-पृथक "आर0एफ0व्यू0-कम-आर0एफ0पी0" विड अभिलेख तैयार कर दिनांक 16.09.2021 को ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से चार गुप्तों हेतु पृथक-पृथक ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गयी थी:-

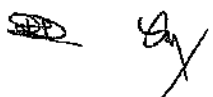
ग्रुप	ग्रुप का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
ग्रुप-I	ग्राम-बिजौली (जिला-मेरठ) से ग्राम-नगला बरहा (जिला-बदायूं) (कि0मी0 7+900 से कि0मी0 137+600)	129.700
ग्रुप-II	ग्राम-नगला बरहा (जिला-बदायूं) से ग्राम-सबरईया खूँ (जिला-हरदोई) (कि0मी0 137+600 से कि0मी0 289+300)	151.700
ग्रुप-III	ग्राम-सबरईया खूँ (जिला-हरदोई) से ग्राम-सरसो (जिला-उन्नाव) (कि0मी0 289+300 से कि0मी0 445+000)	155.700
ग्रुप-IV	ग्राम-सरसो (जिला-उन्नाव) से ग्राम-जूदापुर खंडो (जिला-प्रयागराज) (कि0मी0 445+000 से कि0मी0 601+847)	156.847

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चार गुप्तों को पीपीपी के अन्तर्गत डी0बी0एफ0ओ0टी0 (टोल) के आधार पर विकसित किये जाने हेतु न्यूनतम ग्राण्ट प्रस्तुत करने वाले निम्नलिखित निविदादाताओं को चयनित किये जाने एवं चयनित निविदादाताओं को निम्नवत् ग्रुप-वार ग्राण्ट पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्र0सं0	ग्रुप सं0	एच-1 (न्यूनतम ग्राण्ट) प्रस्तुत करने वाले निविदादाता का नाम	न्यूनतम ग्राण्ट की राशि ₹0 करोड़ में)
1	ग्रुप-I	मै0 आई0आर0बी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0	1748.00
2	ग्रुप-II	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	1720.00
3	ग्रुप-III	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2177.00
4	ग्रुप-IV	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2099.00
कुल ग्राण्ट की राशि			7742.00

3. परियोजना निर्माण कार्य हेतु फंडिंग संरचना निम्नानुसार थी:-

ग्रुप	एस0पी0वी0	क0ए0 में इंगित परियोजना राशि	बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना राशि	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि	कन्सेसनेयर की इक्विटी राशि	उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत वी0जी0एफ0 धनराशि
ग्रुप-I	मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0	5039.85	6536.00	2659.00	2133.00	1746.00
ग्रुप-II	बदायूं हरदोई रोड प्रा0लि0	5647.71	7442.00	3433.00	2289.00	1720.00
ग्रुप-III	हरदोई उन्नाव रोड प्रा0लि0	5810.99	7669.00	3295.00	2197.00	2177.00
ग्रुप-IV	उन्नाव प्रयागराज रोड प्रा0लि0	5626.46	7950.00	3510.00	2341.00	2099.00
योग		22125.01	29599.00	12897.00	8960.00	7742.00



उक्त सभी कन्शेसनेयर्स के साथ दिनांक 06.01.2022 को पृथक-पृथक कन्शेसन एग्रीमेंट निष्पादित किए गये थे। उक्त कन्शेसन एग्रीमेंट के आर्टिकल 24.1.1 एवं 24.8.2 के अनुसार कन्शेसन एग्रीमेंट की तिथि से 180 दिनों के अन्दर कन्शेसनायर को परियोजना हेतु वित्तीय प्रबंधन (Financial Closure) करना था और वित्तीय प्रबंध (Financial Close) के उपरान्त Financial Package एवं Financial Model की प्रतियां यूपीडा को उपलब्ध करानी थी।

गंगा एक्सप्रेसवे के ग्रुप-I के कन्शेसनर:- मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं तीन अन्य बैंकों/वित्तीय संस्था से परियोजना निर्माण के लिए ₹ 2659.00 करोड़ ऋण स्वीकृत करवाया था।

उक्त ऋण के संबंध में ग्रुप-I के कन्शेसनर:- मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों के साथ ऋण अभिलेख निष्पादित किए थे। ऋण प्रक्रिया के संबंध में यूपीडा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं मे0 मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 के साथ एस्को एग्रीमेंट एवं Substitution Agreement निष्पादित किया था। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

कन्शेसन एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.4 के अधोलिखित प्रावधान के अनुसार कन्शेसनर द्वारा परियोजना निर्माण हेतु लिये गये पूर्ण अथवा आंशिक ऋण के किसी अन्य बैंक/संस्था से अधिग्रहण/पुनर्वित्तीयन कराने के लिए कन्शेसनेयर को यूपीडा से अनुमति लेनी है।

Article 6.4 Obligations relating to refinancing

Upon request made by the Concessionaire to this effect, the Authority shall, in conformity with any regulations or guidelines that may be notified by the Government or the Reserve Bank of India, as the case may be, permit and enable the Concessionaire to secure refinancing, in whole or in part, of the Debt Due on such terms as may be agreed upon between the Concessionaire and the entity providing such refinancing; provided however, that the refinancing hereunder shall be utilised for the project purpose only and shall always be subject to the prior approval of the Authority, which shall not be unreasonably withheld. For the avoidance of doubt, the tenure of debt refinanced hereunder may be determined mutually between the Senior Lenders and the Authority, but the repayment thereof shall be completed no later than 1 (one) year prior to the expiry of Concession Period.

विषय:- मे0 मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 ने दिनांक 19 मई 2026 के अपने पत्र क्रमांक MBEL/BD/26/125 द्वारा परियोजना निर्माण कार्य हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य बैंकों से लिए गये ऋण का आई0आर0बी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहण करने की अनुमति मांगी है।

मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कम्पनी तथा बैंकों के मध्य निष्पादित ऋण अनुबंध की शर्त के अनुसार ऋण पुनर्वित्तीयन (refinancing) हेतु उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों को दिनांक 27 मई 2026 को नियमानुसार लिखित सूचना दे दी है। तथापि कम्पनी के वर्तमान वित्त पोषक बैंकों के कन्शेसियम लीडर- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिए गये उक्त ऋण का पुनर्वित्तीयन (refinancing) कराने हेतु यूपीडा ने No Objection Certificate मांगा है। कम्पनी ने ऋण के पुनर्वित्तयन के संबंध में बैंकों के साथ हुए ऋण अनुबंध में इंगित शर्त का उद्धरण भी प्रस्तुत किया है।

इस बीच में यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे के ग्रुप- I के कन्शेसनेयर मे0 मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 को निम्न शर्तों के साथ बैंक ऋण का आई0आर0बी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से ऋण पुनर्वित्तीयन (refinancing) कराने की सैद्धांतिक मंजूरी निम्न शर्तों के अधीन दी है:-

- (i) The Concessionaire shall submit NOC/no-dues / prepayment confirmation from Senior Lender-Union Bank of India.
- (ii) The aforesaid refinancing shall not result in any increase in UPEIDA's liability whatsoever under the Concession Agreement dated 06 January 2022.
- (iii) The proposed refinancing facility shall be utilised only for repayment / prepayment of the existing senior debt and not for any additional loan, additional project cost, dividend, distribution, sponsor repayment or any other purpose.
- (iv) The final financing documents executed by the Company in this regard should expressly provide that any incremental interest / cost over and above the originally approved interest / financing cost contained in the Bank approved Financial Model, submitted to UPEIDA in accordance with the provisions of Article 24.1.2 of the Concession Agreement, shall be serviced only from surplus or subordinated cash flows, and shall not form part of Debt Due / termination payment / UPEIDA's liability.
- (v) SPV should submit executed, stamped and certified copies of all refinancing documents, with all blanks completed and all Authority (UPEIDA) protective conditions incorporated, before the refinancing is treated as

finally compliant. Comments/observations, if any, shall be incorporated while executing the same. The fee for the same shall be borne by Concessionaire.

(vi) All proceeds of refinancing shall be routed through Escrow Account.

(vii) The refinanced interest rate over & above original interest rate if any, shall be the last priority in waterfall mechanism; after meeting all obligations and to be part of Supplementary Agreement.

(viii) Concessionaire shall execute a Supplementary Agreement for the instant refinancing proposal in the prescribed format to be provided to it by UPEIDA.

3. Final approval shall be granted after complying with the above conditions.

प्रस्ताव:

यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्रुप- I के कन्वेंशनल मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0 के यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों से परियोजना हेतु लिए गए ऋण का आई0आर0बी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से पुनर्वित्तीयन (refinancing) कराने के आवेदन पर यूपीडा द्वारा दी गयी सैद्धांतिक मंजूरी की मा0 निदेशक मण्डल से पुष्टी एवं इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को अधिकृत किए जाने पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-48-

यूपीडा के वित्तीय आंकलन एवं वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए परामर्शी आबद्ध करने के संबंध में

विषय:- यूपीडा के वित्तीय आंकलन तथा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं भूमि कय आदि हेतु यूपीडा के वर्तमान में परिचालित (Operational) एक्सप्रेसवे से प्राप्त होने वाली टोल धनराशि का Monetisation/Securitisation करने अथवा Investment Trust के माफत वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए यूपीडा को सलाह देने के लिए एक परामर्शी आबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।

यूपीडा के निम्न पांच एक्सप्रेसवे परिचालन में है:-

1. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
2. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
3. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे
4. गोरखपुर एक्सप्रेसवे
5. गंगा एक्सप्रेसवे

उक्त में से क्रमांक 1 से 4 तक के एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (Engineering Procurement & Construction) प्रणाली के अंतर्गत निर्मित किए गये जिनके सिविल निर्माण कार्य हेतु यूपीडा ने बैंकों से ऋण लिया था। क्रमांक 5 पर इंगित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) प्रणाली के अंतर्गत किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे हेतु जमीन के कय हेतु शासन से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल आय (Revenue) के सिक्कुरटाईजेशन (Securitisation) के सापेक्ष पंजाब नेशनल बैंक से तथा हुडको से यूपीडा द्वारा ऋण लिया गया था। यूपीडा के निम्न एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है:-

1. चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट तक)
2. झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से झांसी तक)
3. लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे (आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)
4. फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे)
5. जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे)
6. मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे
7. विन्ध्य एक्सप्रेसवे
8. विन्ध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे



यदि शासन द्वारा इन एक्सप्रेसवे को ई0पी0सी0 प्रणाली पर निर्मित करने का निर्णय लिया जाता है तो एक्सप्रेसवे हेतु जमीन क़य, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं सिविल निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। यदि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का निर्माण पी0पी0पी0 प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है तो जमीन क़य एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगा।

अधोसंरचना परियोजना (Infrastructure Projects) के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कई स्रोतों से की जा सकती है। जिनमें प्रमुख स्रोत निम्नवत् हैं:-

1. Monetisation of Existing Expressways
2. Securitisation of Toll Revenues of Operational Expressway
3. Public Private Partnership
4. Loan from Banks, Financial Institution, Multilateral Development Banks, etc.
5. Infrastructure Investment Trust (InvIT)

उपर्युक्त प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं.-49-

Proposal for Restoration / Revocation of Cancellation of Provisional Allotment of 166 Ha. land at Jhansi Node to M/s Global Engineers Limited

1. **PROPOSAL:** To consider the request of M/s Global Engineers Limited for revocation of cancellation and restoration of provisional allotment of Plot No. S-5, measuring 166 Ha. at Jhansi Node, UP Defence Industrial Corridor.
2. **BACKGROUND**
 - 2.1 M/s Global Engineers Limited was provisionally allotted 166 hectares of land at Jhansi Defence Node, vide Provisional Allotment Letter No. 781/UPEIDA/24/1610(47)/LA dated 10.05.2024, for the establishment of an Explosive Manufacturing Facility. The project aimed to produce Nitrocellulose (NC), Nitro-glycerine (NG), Single Base Propellant, and Double Base Propellant through a joint venture with a foreign collaborator.
 - 2.2 The project was proposed with an estimated investment of Rs. 2254 Crores, as detailed in the Detailed Project Report (DPR). The intended product portfolio included Nitrocellulose, Nitro-glycerine, Single Base Propellant, Double Base Propellant, Triple Base Propellant, and NC/NG Paste.
 - 2.3 However, due to the non-finalization of the joint venture—primarily resulting from a strategic takeover of the collaborating company, M/s Boaz Indu Plan Kemi, Austria, by a firm based in a non-friendly nation (Turkey)—the investor requested to surrender the allotted land. This request was conveyed via email dated 11.10.2024.
 - 2.4 In response, UPEIDA issued a letter (No. 6555/UPEIDA/1610(47)) dated 27.02.2025, confirming the cancellation of the provisional allotment and forfeiture of the reservation deposit.
 - 2.5 Subsequently, the investor, through an email dated 01.03.2025, has requested the revocation of the cancellation, citing their ability to identify a new willing joint venture partner to proceed with the project.
3. **DEVELOPMENTS AFTER CANCELLATION:**
 - 3.1 **Request to Revoke the Cancellation:** On 1st March 2025, the investor, M/s Global Engineers Limited, formally requested the UPEIDA to revoke the cancellation of their provisional land allotment. They informed that they have successfully identified a new, willing joint venture (JV) partner to replace the previous collaborator. This request has been processed and forwarded to the higher authorities for review and necessary directions on 4th March 2025, as part of the procedural approval process.
 - 3.2 **Name Change Request:** In July-August 2025, the company had also requested a change of name from "Global Engineers Limited" / "Global Engineers India Limited" to "Global Engineers Defence Limited." This was proposed as a prerequisite for forming the new JV. Upon examination, the request was rejected, as the authority determined that such a change could not be permitted at this stage of the process after removal of all encumbrances on land viz the Nakera Minor. Subsequently, M/s Global Engineers Limited reaffirmed their intention to continue with the original company name (On which the provisional allotment was made) and requested information regarding outstanding dues.
 - 3.5 **Encumbrance on the Land:** The entire 166-hectare land parcel was previously encumbered by minor canal passing through it—specifically Nakera Minor. The matter was escalated to the UP Government, which recently approved vide Government Order NO 150/83/Avs.-2026 dated 21st July 2026 decided to transfer of these canal (Genda Kabula Minor & Nakera Minor) lands measuring 4.226 hectares to UPEIDA against a deposit of Rs. 136.33 lakhs. This transfer effectively removes the encumbrance on the land.
 - 3.6 It is noteworthy that, due to the encumbrance, the land was not available for effective allotment to any investors. Furthermore, no applications or requests for this land have been received since 10th May 2024, indicating the impact of the encumbrance on land availability.

4. Strategic Justification for Consideration of Restoration

4.1 India's current domestic production capacity for propellants—including Nitrocellulose (NC), Nitro-glycerine (NG), and single, double, and triple-base propellants—is inadequate to satisfy the nation's growing demand for high explosives used in ammunition manufacturing. This shortfall results in a heavy dependence on imports, which poses strategic risks to national security and self-sufficiency.

4.2 Furthermore, an embargo has been imposed that will ban the import of approximately 150 types of munitions by May 2024. This development underscores the urgent need for strengthening indigenous production capabilities to ensure uninterrupted supply and to reduce reliance on foreign sources.

4.3 Given the strategic importance of ammunition and explosive materials for defence preparedness, establishing or restoring domestic industrial capacity is crucial. Currently, India's domestic production fulfils only about 20% of the country's total requirement for high explosives. This gap highlights the necessity of developing a robust, self-reliant industry that can meet the full spectrum of demand in a timely and secure manner.

4.4 Restoring and enhancing indigenous production facilities will significantly bolster national security, ensure supply chain resilience, and align with the government's vision of Atmanirbhar Bharat (self-reliant India). It is therefore imperative to consider restoration as a strategic priority to strengthen India's defence manufacturing infrastructure and reduce vulnerability to external disruptions.

4.5 The company to date remains the only entity with the largest and most ambitious investment proposal in UPDIC Nodes. It is also important to note that, due to encumbrances caused by irrigation minors, an amount of approximately Rs 3,008 crore has been stuck. Additionally, two other companies have similar proposals in the same Node: Nav Bharat Defence Systems Pvt Ltd with an investment of Rs 354 crore, and NextStrat Tech Vision LLP with Rs 400 crore.

5. RECOMMENDATION: In view of the above, it is recommended that the Board of Directors may consider to:-

5.1 Revoke the cancellation order dated 27.02.2025 and restore the provisional allotment of Plot No. S-5 [168 Ha.] at Jhansi Node in favour of M/s Global Engineers Limited on original terms & conditions.

5.2 Allow the investor to deposit the remaining 20% amount and other applicable dues as per demand to be issued by UPEIDA.

5.3 Direct the investor to immediately apply to PESO [Petroleum & Explosives Safety Organisation] for requisite licenses and commence project implementation for manufacturing niche propellant products.

Put up for kind consideration and approval of the Board of Directors.

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा पुनः परीक्षण कर वित्तीय आशय को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु सं.-50-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 से 8 तक के ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर की अनुरक्षण अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन

प्रकरण की पृष्ठभूमि :-

1. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण ई.पी.सी. पद्धति पर 08 पैकेजों में विभक्त कर कराया गया है। परियोजना के पैकेज सं0-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 का निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथियां क्रमशः दिनांक 08.03.2022, 08.11.2021, 30.09.2021, 08.11.2021, 26.10.2021, 30.11.2021, 15.12.2021 तथा दिनांक 06.10.2021 हैं।
2. वर्तमान में एक्सप्रेसवे अनुरक्षण के अंतर्गत है। अनुरक्षण कार्य के अनुश्रवण हेतु 02 अनुरक्षण इकाई एवं 02 अथॉरिटी इंजीनियर कार्यरत हैं।
3. परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर का परियोजना की अवधि पूर्ण होने की तिथि से 05 वर्षों तक परियोजना के अनुरक्षण का दायित्व निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत सभी पैकेजों के ई.पी.सी. ठेकेदारों के द्वारा परियोजना का अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है।
4. परियोजना के पैकेजवार अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने की तिथि का विवरण निम्नवत् है:-

पैकेज संख्या	निर्माणकर्ता संस्था का नाम	अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने की तिथि
01	मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स	08.03.2027
02	मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स	08.11.2025
03	मेसर्स एपको इन्फ्राटेक	30.09.2026
04	मेसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स	08.11.2025

05	मेसर्स पी.एन.सी. इन्फ्राटेक	26.10.2026
06	मेसर्स पी.एन.सी. इन्फ्राटेक	30.11.2026
07	मेसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स	15.12.2026
08	मेसर्स ओरियन्टल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स	06.10.2026

- उपरोक्तानुसार अनुरक्षण अवधि समाप्त होने से पूर्व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता एवं आवागमन को सुरक्षित रखने हेतु सड़क के आगामी संचालन व अनुरक्षण के लिये डी.पी.आर. गठन कर नवीन अथॉरिटी इंजीनियर एवं ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर का चयन कर अनुबन्ध गठन किया जाना है, जिसके लिए निविदा के माध्यम से M/S Translink Infrastructure Consultants Pvt. को परियोजना परामर्शी के रूप में चयन किया गया है।
- परियोजना परामर्शी M/S Translink Infrastructure Consultants Pvt. द्वारा Inception Report उपलब्ध कराकर Draft Final DPR भी उपलब्ध कराया गया है, जिस पर यूपीडा द्वारा कतिपय टिप्पणियाँ की गईं। परियोजना परामर्शी द्वारा यूपीडा द्वारा की गई टिप्पणियों को सम्मिलित कर Final DPR उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
- M/S Translink Infrastructure Consultants Pvt. द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर ई-टेंडर पोर्टल पर निविदा आमंत्रित कर नवीन अथॉरिटी इंजीनियर एवं ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर का चयन किया जाना है, जिसके फलस्वरूप चयनित नवीन अथॉरिटी इंजीनियर एवं ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर का यूपीडा के साथ अनुबन्ध गठन किया जायेगा। इस समस्त प्रक्रिया में लगभग 06 से 09 माह का समय लगने की सम्भावना है।
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 08 पैकेजों में से पैकेज-1 की अनुरक्षण अवधि की समाप्ति की तिथि 08.03.2027 है, अतएव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी इंजीनियर-1 एवं 2 ने कमश: ईमेल दिनांक 06.07.2026 एवं दिनांक 06.07.2026 द्वारा दिनांक 31.03.2027 तक समस्त पैकेजों की वित्तीय प्रभाव की गणना उपलब्ध कराते हुए अनुरक्षण अवधि को बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।
- उक्त सुझाव पर अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण इकाई-1 एवं 2 द्वारा कमश: पत्रांक 215 दिनांक 23.06.2026 एवं ईमेल दिनांक 09.07.2026 द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।
- उक्त के परिप्रेक्ष्य में, इस कार्यालय के ईमेल दिनांक 09.07.2026 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण इकाई-1 व 2 एवं अथॉरिटी इंजीनियर-1 व 2 को अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित पैकेजों के संशोधित वित्तीय प्रभाव की गणना, जी.एस.टी. एवं एस्कलेशन सहित करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।
- तदनुसार, अथॉरिटी इंजीनियर-1 व 2 ने कमश: ईमेल दिनांक 15.07.2026 एवं ईमेल दिनांक 10.07.2026 द्वारा दिनांक 31.03.2027 तक वर्धित अनुरक्षण अवधि के सापेक्ष अनुरक्षण कार्यों हेतु सम्भावित धनराशि उपलब्ध करायी है।

वित्तीय प्रभाव:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 से 8 तक के ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर का अनुरक्षण अवधि 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाये जाने का पैकेजवार निम्नवत् वित्तीय प्रभाव पड़ेगा:-

पैकेज- 1 से 4 के ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर्स से सम्बन्धित अनुरक्षण धनराशि:-

Pkg. no.	EPC Contractor	Maintenance Period Date	Proposed extension upto 31.03.2027	Monthly Maintenance amount @2% (In Rs.)	Maintenance cost up to 31.03.2027 (In Rs.)	Assessed Escalation WPI of April, 2026 considered Rs. 167 & Base Rate 118.30 (In Rs.)	Additional Maintenance cost for Extended Period up to March-2027 (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s Gayatri Projects Ltd.	08.03.2027	23 days	2,43,92,470	1,80,97,639	74,50,169	2,55,47,808
2	M/s Gayatri Projects Ltd.	08.11.2026	4 months 22 days	2,11,02,080	9,98,83,179	4,11,18,435	14,10,01,614
3	M/s APCO Infrotech Pvt. Ltd.	30.09.2026	06 months	2,35,04,462	14,10,26,772	5,80,55,822	19,90,82,594
4	M/s GR Infraprojects	08.11.2026	4 months 22 days	2,49,41,809	11,80,57,896	4,86,00,334	16,66,58,230

Ltd.							
Total				37,70,65,486	15,52,24,761	53,22,90,247	

पैकेज-1 से 4 के अथॉरिटी इंजीनियर से सम्बन्धित अनुरक्षण धनराशि:-

Pkg. no.	Authority's Engineer	Maintenance Period Date	Proposed extension upto 31.03.2027	monthly Maintenance Amount	Maintenance cost up to 31.03.2027	Assessed Escalation	GST @ 18% $\{(6+7) \times 18\}$	Additional Maintenance cost for Extended Period up to March-2027
				(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7+8)
I to IV	M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd.	10.01.2027	2 months 21 days	27,76,242	87,01,770	34,80,708	21,92,846	1,43,75,324
Total					87,01,770	34,80,708		1,43,75,324

पैकेज- 5 से 8 के ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर से सम्बन्धित अनुरक्षण धनराशि:-

Pkg. no.	EPC Contractor	Maintenance Period Date	Proposed extension upto 31.03.2027	Monthly Maintenance amount @2%	Maintenance cost up to 31.03.2027 including GST @ 18%	Assessed Escalation WPI of April, 2026 considered	Monthly Maintenance Cost	Additional Maintenance cost for Extended Period up to March-2027
				(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+7)	9
5	M/s PNC Infracore Ltd.	26.10.2026	5 months 5 days	2,72,78,963	GST Amount is included in Monthly Maintenance Amount	1,12,29,800	3,85,08,763	19,89,61,947
6	M/s PNC Infracore Ltd.	30.11.2026	4 months	1,67,50,642		68,95,657	2,36,46,299	9,45,85,197
7	M/s GR Infracore Projects Ltd.	15.12.2026	3 months 16 days	2,40,31,160		98,92,793	3,39,23,953	11,98,64,635
8	M/s Oriental Structural Engineers Pvt. Ltd.	06.10.2026	5 months 25 days	2,69,70,558		1,11,02,841	3,80,73,399	22,20,94,831
Total						3,91,21,091	13,41,52,414	63,55,06,610

पैकेज- 5 से 8 के अथॉरिटी इंजीनियर से सम्बन्धित अनुरक्षण धनराशि:-

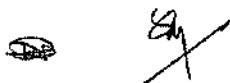
Pkg. no.	Authority's Engineer	Maintenance Period Date	Proposed extension upto 31.03.2027	Total Maintenance cost up to 31.03.2027	Assessed Escalation	GST @ 18% $\{(5+6) \times 18\}$	Additional Maintenance cost for Extended Period up to March-2027
				(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)	(In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
V to VIII	M/s Auesha Ingenieria JV with SA Infrastructure	15.12.2026	3 months 16 days	93,47,492	29,28,462	22,09,672	1,44,85,626
Total					74,95,853	22,09,672	1,44,85,626

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 से 4 एवं पैकेज-5 से 8 तक ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर की सेवाओं को दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ाये जाने पर ₹0 53,22,90,247+63,55,06,610= ₹0 1,16,77,96,857 एवं अथॉरिटी इंजीनियर-1 एवं अथॉरिटी इंजीनियर-2 की सेवाओं को दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ाये जाने पर ₹0 2,88,60,950 का वित्तीय प्रभाव सम्भावित है।

इस प्रकार दिनांक 31.03.2027 तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुरक्षण अवधि बढ़ाये जाने पर कुल ₹0 1,19,66,57,807.00 की वित्तीय वृद्धि अनुमानित है।

उपरोक्तानुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण अनुबन्ध की अवधि दि०-31.03.2027 तक बढ़ाये जाने तथा तत्क्रम में सम्भावित वित्तीय वृद्धि के सम्बन्ध में अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।



एजेण्डा बिन्दु सं.-51-Proposal for Extension of Construction and Production Period Corresponding to Declared 'Zero Period' for Allottees

As per the provisions of 4.29 'Zero Period' in certain circumstances such as encroachment, stay order by any court of Law, any Government Order, no approach available to the allotted land, possession cannot be handed over to Allottee, relief has been provided in Clause 4.29.2 in case Zero Period is confirmed.

4.29.2 Relief to be given to allottee on declaration of Zero Period shall be as follows subject to execution of a supplementary lease deed: -

- If 'Zero Period' has been approved for the entire area of the allotted land, then the installments (premium plus simple interest) falling due during the 'Zero Period' would be shifted beyond 'Zero Period' and no penal interest would be charged/payable to/by the allottee on such installments for the 'Zero Period.'
- If 'Zero Period' has been approved for the partial area of the allotted land, then the installments (premium plus simple interest) falling due during the 'Zero Period' in respect of such partial area would be merged with the installments (premium plus simple interest) in respect of clear area viz. which is not affected by any reason, considered for declaration of Zero Period', and a revised installment (premium plus simple interest) would be fixed accordingly. No penal interest would be charged/payable to/by the Allottee on such installments for the duration of 'Zero Period.'
- The total lease period would not be extended on acceptance of 'ZERO PERIOD' by UPEIDA. The zero period shall be considered within the lease period.
- The total period of installment on such plots would also be revised keeping in view the remaining lease period only after accounting for 'ZERO PERIOD'.
- In case the 'Zero Period' is allowed to an allottee, lease rent of the plot as advised to the allottee in the Final Land Allotment Letter of UPEIDA shall be considered for waiver by UPEIDA on case-specific basis for the duration of Zero Period as above, on specific written request of the allottee.
- The expenses for execution of supplementary lease deed, in case it is required due to permission of 'ZERO PERIOD' shall be borne the allottee.

The above clauses cover the financial aspect only while the allottees have represented that the investment period may also be extended by Zero Period as they were unable to do any construction activity due to non - possession of their plot.

Hence, it is proposed for kind consideration of Board that in case Zero Period along with financial relief has been granted to an allottee then the construction / production period may also be extended by the same Zero Period.

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु सं.-01(A)-पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर को देय ग्राण्ट/वायबिलिटी गैप फण्ड (वी0जी0एफ0) को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

उ0 प्र0 के निवासियों को सुगम एवं तेज यातायात उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर किये जाने हेतु वर्ष 2021 में एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई 594 किमी0 को 04 ग्रुपों में विभक्त करते हुये प्रत्येक ग्रुप हेतु निविदाएँ आमंत्रित कर विकासकर्ताओं से प्रस्ताव माँगे गये थे।

शासनादेश संख्या-2648/77-3-21-90M/21 दिनांक 16.12.2021 में उल्लिखित आदेशों में 04 विकासकर्ताओं को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना निर्माण एवं 30 वर्ष तक परियोजना के संचालन हेतु कंसेशन सम्बन्धी कार्य का दायित्व सौंपा गया था।

विकासकर्ताओं का चयन न्यूनतम वी0जी0एफ0 (Absolute Amount) की माँग अथवा अधिकतम प्रीमियम के आधार पर किया जाना था। विकासकर्ताओं द्वारा न्यूनतम वी0जी0एफ0 (Absolute Amount) के आधार पर बिड की गयी धनराशि के आधार पर निम्न विकासकर्ताओं को चयनित किया गया है:-

ग्रुप	कम्पनी का नाम	कन्सेशनेयर/ एस0पी0वी0	Letter of Award No. & Date
I	मेसर्स आई0आर0बी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0	मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0	7734/UPEIDA/2020/2280 dated 16.12.2021
II		बदायूं हरदोई रोड प्रा0लि0	7735/UPEIDA/2020/2280 dated 16.12.2021
III	मेसर्स अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लि0	हरदोई उन्नाव रोड प्रा0लि0	7736/UPEIDA/2020/2280 dated 16.12.2021
IV		उन्नाव प्रयागराज रोड प्रा0लि0	7737/UPEIDA/2020/2280 dated 16.12.2021

उक्त चारों विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबंध (Financial closure) करने के दौरान बैंकों को प्रस्तुत वित्तीय मॉडल (Financial Model) एवं वित्तीय समझौतों (Financial Agreement) की प्रतियाँ यूपीडा को उपलब्ध करायी गयी थी।

पी0पी0पी0 संकल्पना के अन्तर्गत परियोजना निर्माण कार्य हेतु वित्तीय प्रबंधन विकासकर्ताओं द्वारा किया जाना अपेक्षित हैं, तथापि वी0जी0एफ0 हेतु उक्त सम्बन्धित शासनादेश के अन्तर्गत उ0 प्र0 शासन द्वारा चारों ग्रुपों के कन्सेशनेयर्स हेतु अलग-अलग इक्विटी स्पोर्ट हेतु ग्रांट धनराशि रु0 7,742.00 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसका प्राविधान यूपीडा तथा चारों ग्रुपों के विकासकर्ताओं के मध्य निष्पादित "कन्सेशन अनुबंध" के आर्टिकल-25 (ग्रांट) के अन्तर्गत विहित है। वांछित वी0जी0एफ0 की पूर्ण धनराशि का वहन उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के बजट से किया जाना है। शासन द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज) हेतु वी0जी0एफ0 हेतु अनुदान संख्या-07 के लेखा-शीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-14-गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि- 24- वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित है।

इस परिप्रेक्ष्य में परियोजना निर्माण कार्य हेतु फण्डिंग संरचना एवं वी0जी0एफ0 हेतु विभिन्न विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रु0 करोड़ में)

ग्रुप	कन्सेशनेयर/ एस0पी0वी0	CA में इंगित परियोजना राशि	बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना राशि	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि	कन्सेशनेयर की इक्विटी राशि	उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत वी0जी0एफ0 धनराशि
I	मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0	5039.85	6538.00	2659.00	2133.00	1746.00
II	बदायूं हरदोई रोड प्रा0लि0	5647.71	7442.00	3433.00	2289.00	1720.00
III	हरदोई उन्नाव रोड प्रा0लि0	5810.99	7669.00	3295.00	2197.00	2177.00
IV	उन्नाव प्रयागराज रोड प्रा0लि0	5626.46	7950.00	3510.00	2341.00	2099.00
	योग	22125.01	29599.00	12897.00	8960.00	7742.00

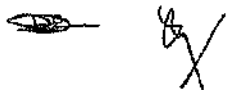
अग्रेतर अवगत कराना है कि यूपीडा की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चारों ग्रुपों के कन्सेशनेयर्स के साथ निष्पादित "कन्सेशनेयर समझौते" के आर्टिकल 25 के अनुसार कन्सेशनेयर्स द्वारा उक्त प्रोजेक्ट में लगायी जाने वाली स्वयं की कुल पूँजी के परियोजना के निर्माण में उपयोग हो जाने के उपरान्त कन्सेशनेयर की मांग पर यूपीडा द्वारा कन्सेशनेयर के वरिष्ठ उधारदाताओं (सीनियर लेन्डर्स) को उसके द्वारा कन्सेशनेयर्स को प्रोजेक्ट निर्माण कार्य हेतु आगामी त्रैमास के दौरान जारी किए जाने वाले ऋण की धनराशि के अनुपात में वी0जी0एफ0 की धनराशि की अनुशंसा पर वी0जी0एफ0 धनराशि वरिष्ठ उधारकर्ता सीनियर लेन्डर्स को यूपीडा द्वारा जारी की जाती है। परियोजना निर्माण के घटको के भुगतान हेतु बैंक ऋण और वी0जी0एफ0 धनराशि ऋण पूँजी अनुपात (Debt Equity Ratio) के अनुसार संवितरण (disburse) की जानी चाहिए।

उक्त के कम में यूपीडा द्वारा अब-तक परियोजना के सभी चार कन्सेशनेयर्स की रु0 7742.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 5,141.67 करोड़ की धनराशि ग्रांट/वी0जी0एफ0 स्वरूप अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका ग्रुपवार विवरण निम्नवत है:-

(राशि रु0 करोड़ में)

ग्रुप सं0	कन्सेशनेयर एस0पी0वी0	यूपीडा द्वारा स्वीकृत ग्रांट/वी0जी0एफ0 धनराशि	यूपीडा द्वारा वितरित ग्रांट/वी0जी0एफ0 धनराशि	अवशेष धनराशि
I	मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लि0	1746.00	1746.00	--
II	बदायूं हरदोई रोड प्रा0लि0	1720.00	1021.67	698.33
III	हरदोई उन्नाव रोड प्रा0लि0	2177.00	958.00	1219.00
IV	उन्नाव प्रयागराज रोड प्रा0लि0	2099.00	1416.00	683.00
	योग	7742.00	5141.67	2600.33

इस संबंध में ग्रुप-II, III एवं IV के कन्सेशनेयर्स द्वारा निम्न पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनकी कतिपय कारणों से परियोजना लागत बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत से कम हो गयी है। पुनरीक्षित



परियोजना लागत तथा उसके सापेक्ष बैंक ऋण एवं कन्सेशनेयर की इक्विटी राशि को घटाने (reduction) पर यूपीडा से अनुमोदन की अपेक्षा की गयी।

ग्रुप	कन्सेशनेयर/एस0पी0वी0	Letter No. & Date
II	बदायूं हरदोई रोड प्रा0लि0	BHRPL/UPEIDA/G-2/2024-25/2784 dated 20.03.2025
III	हरदोई उन्नाव रोड प्रा0लि0	HURPL/UPEIDA/3463 dated 20.03.2025
IV	उन्नाव प्रयागराज रोड प्रा0लि0	UPRPL/UPEIDA/2313 dated 20.03.2025

कन्सेशनेयरों के प्रस्ताव के अनुसार आवेदित पुनरीक्षण के फलस्वरूप परियोजना लागत के स्रोतों में निम्नानुसार कमी हो जाएगी परन्तु यूपीडा द्वारा पूर्व अनुमोदित वी0जी0एफ0 धनराशि में कोई कमी नहीं होगी। कन्सेशनेयरों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पुनरीक्षित स्रोत निम्नानुसार होंगे। (राशि रु0 करोड़ में)

Grp	Name	Approved Term Loan	Revised Term Loan	Original Equity	Revised Equity	Original VGF	Revised VGF	Bank Approved Project Cost	Bank Approved Revised Project Cost	Difference
		A	B	C	D	E	F	G (A+C+E)	H (B+D+F)	I (G-H)
II	BHRPL	3433	2835	2289	1891	1720	1720	7442	6446	996
III	HURPL	3295	2344	2197	1563	2177	2177	7669	6084	1585
IV	UPRPL	3510	2903	2341	1936	2099	2099	7950	6938	1012
Total										3593

इस प्रकार सम्पूर्ण परियोजना लागत धनराशि रु0 3593.00 करोड़ से कम होने पर भी उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली वी0जी0एफ0 की धनराशि को कन्सेशनेयरों द्वारा घटाया नहीं जा रहा है। इस सम्बन्ध में कन्सेशनेयरों का यह भी मंतव्य है कि यूपीडा द्वारा उनको परियोजना का कार्य उनके द्वारा निविदा में इंगित वी0जी0एफ0 राशि के कारण दिया गया है, अतः परियोजना लागत के कम होने के पर भी उनके द्वारा निविदा में इंगित वी0जी0एफ0 धनराशि दी जानी चाहिए।

ग्रुप-II, III एवं IV के कन्सेशनेयर द्वारा प्रोजेक्ट लागत कम होने पर भी अनुपातिक रूप से वी0जी0एफ0 की धनराशि कम न किये जाने एवं प्रकरण में उनके मन्तव्यों एवं विवाद के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में यूपीडा के पत्र संख्या- 6437/यूपीडा/एफ0आई0/454(21)/2026 दिनांक 06.02.2026 एवं पत्र संख्या-1322/यूपीडा/एफ0आई0/454(21)/2026 दिनांक 22.05.2026 के द्वारा कन्सेशनेयर को देय ग्रांट/वी0जी0एफ0 की देयता के सम्बन्ध में अभिमत/मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के क्रम में शासन स्तर पर वी0जी0एफ0 की देयता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी:-

अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
श्री पलाश श्रीवास्तव, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि0, भारत सरकार	सदस्य

गठित समिति के अध्यक्ष ने अपने पत्र संख्या-401/ए0सी0एस0/अ0औ0वि0/2026 दिनांक 17.07.2026 द्वारा रिपोर्ट संयुक्त सचिव, अवस्थापना अनुभाग उ0 प्र0 शासन को प्रेषित की गयी। उक्त क्रम में विशेष सचिव अवस्थापना विकास अनुभाग के पत्र संख्या-1/1415055/2026/83-2026-अव0 दिनांक 30.07.2026 द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट यूपीडा को प्रेषित करते हुये यह अवगत कराया गया कि, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.07.2026 की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है, एवं यह अपेक्षा की गयी है, कि प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

गठित समिति द्वारा कुल 07 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट एवं संलग्नक प्रेषित किये हैं। उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ-06 एवं 07 के प्रस्तर-5 (Conclusion) में निम्न उल्लिखित है:-

- 5.1 The committee is unanimous in its view that the Concession Agreement in question is in the nature of fixed lump sum contractual grant subject only to the restrictions set forth in Article 25.2.2.
- 5.2 Article 25.2.3- as expressed in the Concession Agreement- merely regulates the manner of disbursement of the grant and does not empower UPEIDA to alter its quantum, which has been discovered in an open and transparent bidding process. In the absence of any express contractual provision for a downward revision of Grant, the legal validity of proportionate reduction in VGF would be open to challenge.

- 5.3 Accordingly, in our considered view, there is a greater merit in the contentions of the Concessionaire as opposed to the contentions put forth by the Concessional Authority on the basis of the contractual framework encapsulated in the Concession Agreement.
- 5.4 Finally, that the Committee's view is specifically confined to the specific issues raised by UPEIDA in its note (Annexure I) and consequently, our recommendations are limited to interpretations of the specific Articles in the Concession Agreement that was referred to us.

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में विकासकर्ताओं के साथ निष्पादित अनुबंधों के प्रस्तर 25.2.2 का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया है, कि वी0जी0एफ0 एक निश्चित एकमुश्त (fixed lump sum) सविदात्मक अनुदान (contractual grant) की प्रकृति का होने, प्रस्तर-25.2.3 में मात्र अनुदान के वितरण की प्रक्रिया को विनियमित करने तथा यूपीडा द्वारा अनुदान की राशि में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार एवं वी0जी0एफ0/ग्राण्ट की राशि में अनुपातिक रूप से कटौती करने का भी कोई स्पष्ट प्राविधान न होने एवं इस प्रकार की कटौती वैधानिकता न्यायिक चुनौती के लिये खुली रहेगी, के मन्ताव्य के साथ यह भी उल्लिखित किया है, कि विकासकर्ताओं के तर्क अथॉरिटी (यूपीडा) के तर्कों की अपेक्षा अधिक विधिसम्मत एवं ग्राह्य है।

अतः गंगा एक्सप्रेसवे के ग्रुप-II, III एवं IV के विकासकर्ताओं को शासन स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट के आलोक में वी0जी0एफ0 की अवशेष धनराशि रु0 2600.33 करोड़ अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव यूपीडा बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु सं.-01(B)-

Payment of Consultancy Fee to M/s RITES Ltd. in compliance to Hon'ble High Court of Judicature Allahabad, Lucknow Bench order dated 04.02.2026 in WRIT-C No. 1117 of 2026 towards mobilization fee and submission of Inception & Interim Report against Pre-Feasibility study for Development of Semi-High Speed Railway (HSR) Corridor for Agra-Lucknow-Ghazipur-Varanasi Route along Agra-Lucknow Expressway and Purvanchal Expressway of U.P.

Background:-

1. A Consultancy Agreement was executed between UPEIDA & M/s RITES Ltd. on 17.08.2019 for an amount of Rs.12,78,00,830/- (excluding GST) for conducting "Pre-Feasibility study for Development of Semi-High Speed Railway (HSR) Corridor for Agra-Lucknow-Ghazipur-Varanasi Route along Agra-Lucknow Expressway and Purvanchal Expressway of U.P." The assignment covered an estimated length of 800 Km with rates for the pre-feasibility study as Rs.1,59,751/- (excluding GST).
2. Payment Terms stipulated in Clause 5.3 of Consultancy Agreement are tabulated as under:-

S.No.	Description	% of total Contract Value
1.	Mobilization fee against Bank Guarantee of equal amount*	10%
2.	On Submission of Inception Report	10%
3.	On Submission of Interim Report	30%
4.	On Submission of Draft Pre-feasibility Report	25%
5.	On Acceptance of Draft Pre-feasibility Report	15%
6.	On Submission of Final Pre-feasibility Report and its Acceptance by the Authority	10%
Total		100%

3. Subsequently, M/s RITES Ltd. raised invoice no. 06T19/01024 dated 30.12.2019 towards submission of Interim Report. Further, M/s RITES Ltd. vide letter no. RITES/RI/T&S/Semi-HSR/UPEIDA-ALGV/2020 dated 12.02.2020 submitted reminder for release of payment against under mentioned submitted invoices. The consultants requested that "These bills have been raised against Mobilization Fee and Submission of Inception & Interim Report respectively as per clause 5.3 (1), (2) & (3) of the Contract Agreement. The Inception Report was submitted vide our letter of even no. dated 30.09.2019, which has been approved by UPEIDA vide letter no. 4704/UPEIDA/18/1004(Tech.) dated 22.10.2019 and the Interim Report has been submitted vide our letter of even no. dated 30.12.2019. It is kindly requested that payment, which are pending since a long time, may please be released, as early as possible."

S.no.	Invoice No.	Invoice Date	Amount Including GST (Rs.)
1.	06T19/00557	20.08.2019	1,50,80,497.94
2.	06T19/00715	30.09.2019	1,50,80,497.94
3.	06T19/01024	30.12.2019	4,52,41,493.82
Total			7,54,02,489.70

Due to non-payment of above mentioned invoices, M/s RITES Ltd. submitted several request letters dated 30.01.2024, 16.08.2024, 25.05.2024, 26.09.2025 & 17.11.2025. Subsequently, M/s RITES Ltd. filed WRIT Petition no. 1117/2026 (RITES Ltd Vs State of UP & Others filed in the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench). The aforesaid WRIT Petition was listed on 04.02.2026 in the list of fresh cases before Hon'ble High Court.

4. Further, RITES Ltd. vide letter no. RITES/RI/T&S/Semi-HSR/UPEIDA-ALGV/2018-19 dated 12.02.2026 duly enclosing the proceedings Court Order dated 04.02.2026 before the Hon'ble High Court of Judicature Allahabad, Lucknow Bench in WRIT-C no. 1117 of 2026 has intimated that ***"The Hon'ble Court, vide order dated 04.02.2026 was pleased to record the statement made on behalf of the Respondent Authorities that the admitted dues pertaining to two invoices, as mentioned in the letter dated 06.07.2020 issued by your office shall be paid as per rules at the earliest. The Writ petition was accordingly disposed of with the aforesaid observations WRIC(L)_1117_2026."*** The consultants has further requested UPEIDA that ***"In view of the above judicial observations and recorded statement before the Hon'ble Court, we kindly request your good office to take necessary action for release of the admitted payment against the two invoices at the earliest, in compliance with the Court's Order."*** Details are as under:-

S.no.	Invoice No.	Invoice Date	Amount Including GST (Rs.)
1.	06T19/00557	20.08.2019	1,50,80,497.94
2.	06T19/00715	30.09.2019	1,50,80,497.94
Total			3,01,60,995.88

5. Further, Advocate Subhash Bisaria on behalf of M/s RITES Ltd. has sent a legal notice addressed to CEO UPEIDA & FC UPEIDA (Received in UPEIDA Office on 08.06.2026) for wilful disobedience of order passed by Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad dated 04.02.2026 and requested compliance of Court Order within 15 days of receipt of Notice. UPEIDA vide letter No. 10170/UPEIDA/Semi-HSR/Acct/1004-II dated 06.07.2020 of Account Section, UPEIDA M/s RITES Ltd. has been intimated that payment against first two invoices (Upto inception report) has already been processed and payment will be done after allocation of budget from GoUP.
6. A meeting with officials of M/s RITES Ltd. under the chairmanship of ACEO UPEIDA convened vide meeting notice no. 3822/UPEIDA/18/236/Tech. dated 20.07.2026 was conducted on 22.07.2026 at conference room, 5th floor, A-block, PICUP Bhawan, Lucknow to discuss the request of M/s RITES Ltd. for early release of payment towards mobilization fee and submission of inception/interim report pursuant to Hon'ble High Court of judicature, Allahabad, Lucknow bench order dated 04.02.2026 in WRIT petition no. 1117 of 2026.
7. The meeting was attended by following officials:-

UPEIDA	RITES
(i) Shri Srihari Pratap Sahi, ACEO, UPEIDA-in chair	(i) Shri Anuj Jain, Group GM & Project Unit Head, Lucknow
(ii) Shri Sanjay Singh, FC, UPEIDA	(ii) Smt. Anjali, DGM, Lucknow
(iii) Shri Hemraj Singh, CE, UPEIDA	(iii) Shri Pradeep Tyagi, Advisor, RITES, Gurugram.
(iv) Shri Sanjay Yadav, Dy. Collector, UPEIDA	(iv) Shri Gaurav Punhani, Legal, RITES, Gurugram.
(v) Shri SK Srivastava, CGM, UPEIDA	
(vi) Col. RV Singh, GM, UPEIDA	
(vii) Shri AK Kapoor, Finance Advisor, UPEIDA	

During the meeting Shri Anuj Jain, Group GM & Project Unit Head, Lucknow & Shri Pradeep Tyagi, Advisor, RITES, Gurugram explained the background of the case and requested UPEIDA to release the payment towards the admitted dues pertaining to two invoices amounting to Rs. 3,01,60,995.88/- for mobilization fee and submission of inception report in compliance to Hon'ble High Court of Judicature, Allahabad, Lucknow Bench order dated 04.02.2026 in Writ petition no. WRIC(L)_1117_2026.

8. It was brought out by UPEIDA Officials that since the contract has already been terminated; full and final payment towards the milestones completed by RITES should be considered to finally settle the matter. During the meeting, it emerged that the amount claimed by M/s RITES Ltd. towards submission of Mobilization Fee and

Submission of Inception & Interim Report respectively as per clause 5.3 (1), (2) & (3) of the Contract Agreement is payable. Further, the above payments are covered by Hon'ble High Court Order dated 04.02.2026 which requires compliance at the earliest.

9. It is also mentioned that no budget has been allotted/approved by GoUP for meeting the expenditure towards payment of Rs. 3,01,60,995.88/- (Including GST) to M/s RITES Ltd. The expenditure towards this payment can be presently met from the savings in the 'Supervision Charges' head of Purvanchal Expressway.

Proposal:-

To ensure compliance of Hon'ble High Court of Judicature, Allahabad, Lucknow Bench order dated 04.02.2026 in Writ petition no. WRIC(L)_1117_2026, it is proposed that two invoices amounting to Rs. 3,01,60,995.88/- claimed by M/s RITES Ltd. towards Mobilization Fee and submission of Inception & Interim Report respectively as per clause 5.3 (1), (2) & (3) of the Contract Agreement may kindly be approved for payment.

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु सं.-02(A)-

पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों यथा— Diesel, Petrol, Bitumen, LPG etc, की दरों में वृद्धि के दृष्टिगत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.04.2026 के क्रम में बिटुमिन के मूल्य समायोजन की दृष्टि से प्रतिपूरक प्रक्रिया अपनाने हेतु पूरक अनुबन्ध के गठन के सम्बन्ध में

आगरा से लखनऊ तक 302 किमी० प्रदेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर यातायात हेतु सुरक्षित रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए समान रख रखाव एवं सड़क की सर्फेस कन्डीशन को ध्यान में रखते हुये पूरे मार्ग पर सतह का नवीनीकरण करने के लिए 01 लेयर ओवर-ले तथा आगामी 05 वर्षीय अनुरक्षण हेतु निविदा के माध्यम से चयनित ठेकेदार M/s Brij Gopal Construction Pvt. Ltd-M/s Atlas Construction Pvt. Ltd. (JV) के साथ दिनांक 21.04.2025 को अनुबंध गठित किया गया। कार्य का विवरण निम्नवत् है:-

- Routine Maintenance for 05 Year
- Periodic Maintenance within (01) Year from award of work. (Under periodic Maintenance, wearing coat (SMA) with required DBM as envisaged in BOQ shall be executed within one (01) year from award of work.

ठेकेदार M/s Brij Gopal Construction Pvt. Ltd-M/s Atlas Construction Pvt. Ltd. (JV) द्वारा अवगत कराया गया है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों यथा— Diesel, Petrol, Bitumen, LPG etc, की दरों में असाधारण वृद्धि हुयी। उक्त घटना निष्पादित अनुबंध के Article-11 से आच्छादित है एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार प्रतिपूरक प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु अनुरोध किया है।

ठेकेदार M/s Brij Gopal Construction Pvt. Ltd-M/s Atlas Construction Pvt. Ltd. (JV) द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में गठित समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुतियों की गई हैं:-

- कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता की दृष्टि से सम्बन्धित ठेकेदार को मोर्थ के प्रपत्र दिनांक 17.04.2026 निर्धारित प्रतिपूरक प्रक्रिया अनुमन्य की जा सकती है।
- प्रतिपूरक प्रक्रिया मात्र बिटुमिन कार्यो हेतु ही अनुमन्य होगी।
- प्रतिपूरक प्रक्रिया, सक्षम स्तर से कनिर्गत निर्देशों के पश्चात् आपूर्ति किये गये बिटुमिन के सम्बन्ध में प्रभावी होगी।
- यदि भविष्य में मोर्थ द्वारा दिनांक 30.06.2026 तक निर्धारित सीमा में कोई वृद्धि की जाती है तो तदानुरूप प्रतिपूरक प्रक्रिया प्रभावी होगी।
- मूल्य समायोजन की दृष्टि से प्रतिपूरक प्रक्रिया अपनाने हेतु पूरक अनुबन्ध का गठन किया जाना उचित होगा।

अपेक्षित स्वीकृति/निर्णय:- ठेकेदार M/s Brij Gopal Construction Pvt. Ltd-M/s Atlas Construction Pvt. Ltd. (JV) द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मोर्थ के प्रपत्र दिनांक 17.04.2026 निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत् है:-

" It is proposed to pay, as a measure of relief, price adjustment for abnormal increase in the prices of Bitumen in respect of Short-Term Maintenance Contracts (STMC), Item Rate and EPC contracts of less than 18 months duration, where no price adjustment mechanism has been provided.

- For the surge in bitumen prices, price adjustment is proposed for the period from 1st April 2026 to 30th June, 2026 for such contracts having bid due date before April 2026, as per following formula:

Price adjustment on Bituminous work

The additional payment on Bituminous work shall be made every Month for changes in prices of Bitumen input in accordance with the formula given below:

$$V = Q(W_f - W_o)$$

Where,

V = Price adjustment for payment on Bituminous work

Q = Quantity of Bitumen consumed as per actual consumption (Not more than the approved Job Mix formula) (MT).

W_o = Price of Bitumen of nearest IOCL refinery on 01-03-2026 (Per MT).

W_f = Price of Bitumen for the nearest IOCL refinery as per the invoices for the period of work done (Per MT).

- No price adjustment shall be admissible for items other than Bitumen.

उपरोक्त प्रतिपूरक प्रक्रिया अपनाने एवं इस हेतु पूरक अनुबन्ध का गठन किये जाने का अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु सं.-02(B)-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे हेतु प्रवेश नियंत्रित ग्रीन-फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की अनुमोदित लम्बाई 49.90 किमी० के स्थान पर संशोधित लम्बाई 50.94 किमी० किये जाने के सम्बन्ध में

औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश I/1019429/2025 दिनांक 09.07.2025 द्वारा आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे हेतु प्रवेश नियंत्रित ग्रीन-फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण रु० 4775.84 करोड़ की लागत से ई०पी०सी० मोड पर कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. एक्सप्रेसवे के संरेखण का अनुमोदन शासन के ई-मेल (मध्याह्न- 19:07:10) दिनांक 24.09.2024 के द्वारा प्रदान किया गया है। जिसके अनुसार लिंक एक्सप्रेसवे का विकास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किमी० 294+300 से प्रारम्भ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किमी० 6+300 तक 48.9 किमी० लम्बाई में किसान पथ से अधिकतम 8.3/न्यूनतम 2.2/औसत 5.2 किमी० की दूरी से किया जाना है।

3 उक्त अनुमोदित संरेखण पर किमी० 19 एवं 20 में लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग के किनारे स्थित आजाद बिहार कालोनी के निवासियों द्वारा संरेखण परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है एवं विभिन्न स्तरों पर इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भी दिये गये हैं। यह कालोनी एक आवासीय कालोनी है जिसमें कई बहुमंजिला इमारतें पूर्व निर्मित है। संरेखण के किमी० 36 एवं 37 में लखनऊ रायबरेली राष्ट्रीय मार्ग के निकट दुर्बल आवासीय योजना में निर्मित मकान एवं एक प्लाईवुड फैक्ट्री पड रही है।

4. अनुमोदित संरेखण में उक्त कारणों से विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना है जिससे भूमि क्रय/अध्याप्ति प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है। आजाद बिहार कालोनी में मकानों का समूह एवं बहुमंजिला इमारतें निर्मित होने तथा प्लाईवुड फैक्ट्री के विस्थापन के कारण परिसम्पत्ति मंद में अत्यधिक व्यय सम्भावित है।

5. परियोजना परामर्शी द्वारा विषयगत एक्सप्रेसवे के विकास हेतु अनुमोदित संरेखण पर उत्पन्न उक्त विरोधों के दृष्टिगत पुनः विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। परामर्शी द्वारा विषयगत लिंक एक्सप्रेसवे को लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर कानपुर की ओर 1.25 किमी० तथा लखनऊ रायबरेली राष्ट्रीय मार्ग पर रायबरेली की ओर 1.00 किमी० शिफ्ट करते हुये आंशिक संशोधित संरेखण तैयार किया गया है। इसके कारण लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग के निकट लगभग 09 किमी० लम्बाई में एवं लखनऊ रायबरेली राष्ट्रीय मार्ग के निकट लगभग 06 किमी० लम्बाई में संरेखण परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है, अर्थात् कुल अनुमोदित लम्बाई 49.9 किमी० लम्बाई में से लगभग 15 किमी० लम्बाई में आंशिक संरेखण परिवर्तन प्रस्तावित है। तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:-

लखनऊ रायबरेली राष्ट्रीय मार्ग

Lucknow Link Expressway Interchange/ Alternate at Raebareilly Road NH-30

S. No.	Particulars	Link Expressway Alignment	Changed Interchange at Raebareilly Road
1	Length (Km)	5.8 Km	6.8 Km
2	Villages Affected	3	4 (1 Additional village Bindua)
3	Brick Kiln		1 (Not Working)
4	Affected Population / Houses / Industrial Premises	- Population Affected : 700 Approx. - House Affected : 100 - Industrial Premises : 2 - Educational / Colleges buildings : 1 - Commercial / Shops : 20-30	- House Affected : 5 - Industrial Premises : Nil - Educational / Colleges buildings : Nil - Commercial / Shops : 2-4

• The Change in Interchange at Raebareilly Road is 1000 m away from Link Expressway Road towards Raebareilly side.

लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग

Lucknow Link Expressway Interchange/ Alternate at Kanpur Road NH-27

S. No.	Particulars	Link Expressway Alignment	Changed Interchange at Kanpur Road
1	Length (Km)	9.10 Km	6.125 Km
2	Villages Affected	8	8 (2 Additional village - Garhi Chunoti and Ramchore)
3	Brick Kiln		2
4	Affected Population / Houses / Industrial Premises	- Population Affected : 500 Approx. - House Affected : 62 - Industrial Premises : 12 - Educational / Colleges buildings : 1 - Commercial / Shops : 15-20	NIL

• The changed alignment at Kanpur road is 1250 m away from Link Expressway alignment towards Kanpur side.

6. उक्त प्रस्तावित आंशिक संशोधन के फलस्वरूप लिंक एक्सप्रेसवे के प्रारम्भिक बिन्दु, समापन बिन्दु एवं किसान पथ से अनुमोदित/न्यूनतम /औसत दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुमोदित संरक्षण से प्रभावित ग्रामों एवं आंशिक संशोधन के फलस्वरूप परिवर्तित ग्रामों का विवरण निम्नवत् है:-

अनुमोदित संरक्षण से आच्छादित ग्राम	प्रस्तावित आंशिक संशोधन के फलस्वरूप संरक्षण से आच्छादित ग्राम
1.भलिया, 2.नकटौरा, 3.जलियामऊ, 4.सकरा, 5. मदारपुर, 6.सराय मुहिब, 7. कुडहा ईटगाँव, 8. बरकताबाद, 9.भदोई, 10.मवई पंडियाना, 11.अमौवा, 12.लोनहा, 13. भटगाँव, 14.पिपरसण्ड, 15. अंधपुर देव, 16.औरौवाँ, 17.बन्थरा सिकन्दर पुर, 18. कुरौनी, 19.नीवाँ, 20.शाहपुर मझगाँव, 21.मकदूम पुर कैथी, 22.खटौला, 23.रतौली, 24.जैतीखेड़ा, 25.परवर पश्चिम, 26.परवर पूरब, 27.भसन्डा, 28.देहवा, 29. गौरा, 30.हुलास खेड़ा, 31.दादा सिकन्दरपुर, 32. खुजहेटा, 33.भट्टी बरकतनगर, 34.देई टीकर, 35. सिधौली कलौ, 36.रायपुर, 37.पहासा, 38.रतिया मऊ, 39.देहरामऊ (कुल ग्राम- 39)	1.भलिया, 2.नकटौरा, 3.जलियामऊ, 4.सकरा, 5.मदारपुर, 6.सराय मुहिब, 7. कुडहा ईटगाँव, 8.बरकताबाद, 9. भदोई, 10.मवई पंडियाना, 11.अमौवा, 12.लोनहा, 13. भटगाँव, 14.पिपरसण्ड, 15. अंधपुर देव, 16.औरौवाँ, 17. बन्थरा सिकन्दर पुर, 18. कुरौनी, 19.नीवाँ, 20.शाहपुर मझगाँव, 21.मकदूम पुर कैथी, 22.खटौला, 23.रतौली, 24.जैतीखेड़ा, 25.परवर पश्चिम, 26.परवर पूरब, 27. भसन्डा, 28.देहवा, 29.गौरा, 30.हुलास खेड़ा, 31.दादा सिकन्दरपुर, 32.खुजहेटा, 33.भट्टी बरकतनगर, 34.देई टीकर, 35.सिधौली कलौ, 36.रायपुर, 37.पहासा, 38. रतिया मऊ, 39.देहरामऊ अतिरिक्त आच्छादित ग्राम- 1. राम चौरा, 2.गढ़ी चुनौती, 3.बिन्दौआ (कुल ग्राम- 42)

7. उक्त आंशिक संशोधित संरक्षण के अनुसार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे की अनुमोदित लम्बाई 49.9 किमी० के स्थान पर संशोधित लम्बाई 50.94 किमी० होगी। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर पूर्व प्रस्तावित इण्टरचेंज के स्थान पर लिंक एक्सप्रेसवे पर अण्डरपास के माध्यम से परिकल्पित डायवर्जन देते हुये यातायात आवागमन प्रस्तावित किया गया है। आंशिक संशोधन के फलस्वरूप अतिरिक्त लम्बाई

में होने वाले व्यय को पूर्व प्रस्तावित इण्टरचेन्ज की लागत में बचत से समायोजित कर लिया जायेगा एवं परियोजना की स्वीकृत निर्माण लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

Project Section					
Agra Lucknow- Purvanchal Link Expressway amended alignment cost proposal					
Initial approved	Length	49.9 Km	Cost Rs. In Cr.)	3046.060	
Partial updated total length	Length	50.98 Km	Cost Rs. In Cr.)	3046.042	
Effectuated Key features of Road with respect to initially consider		Qty	Rate (Rs. Cr.)	Saving (Cr.)	Excess (Cr.)
Length	Km	1.000	60.670		60.670
Elevated Loop	RMT	2400.000	0.044	105.600	
Additional Land cost	Hect	12.00	1.750		21.00
Additional Utility Shifting cost	Cr		Lum Sum		20.00
Additional Highway Loop length cost with Rotary	Km	1.630	2.400		3.912
Total				105.600	105.582

उपरोक्तानुसार आंशिक संशोधित संरक्षण एवं इण्टरचेन्ज की संशोधित परिकल्पना का मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2026 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्तानुसार अनुमोदन के क्रम में निविदायें आमंत्रित हैं एवं तदनुसार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
उपरोक्त से मा0 निदेशक मण्डल अवगत होना चाहें।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

यूपीडा बोर्ड की 94वीं बैठक में उपरोक्त समस्त एजेण्डा बिन्दु सं0- 01 से 51 तथा अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु 01(A), 01(B), 02(A) व 02(B) पर, निदेशक मण्डल द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त पृथक-पृथक अनुमोदन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। तत्पश्चात बोर्ड बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई तथा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड के अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अपर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृपया पृष्ठ संख्या 01 से 112 पर निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकनोपरान्त, सहमति की दशा में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल से कार्यवृत्त के अनुमोदन हेतु अनुरोध करना चाहें।

01/09/26

(संजय यादव)

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-I

(श्रीहरि प्रताप शाही)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य-सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल

अनुमोदित

(दीपक कुमार)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त(अध्यक्ष) एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा (सदस्य सचिव)

निदेशक मण्डल, यूपीडा

दि-01/09/2026